lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005
Hkkx& nks
jktLo foHkkx]
ftyk dk;kZy;] gfj}kj
ikDdFku

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वों के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा–4 में प्रत्येक लोक प्राधिकारी को 17 मैनुअल तैयार कर प्रकाशित करने का प्राविधान है। प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जाएगा तो आधारभूत सूचनाएं इन मैनुअल्स में ही उपलब्ध हो जाएगी तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य स्रोतों का आश्रय लेना होगा।

राजस्व विभाग जिला कार्यालय हरिद्वार द्वारा अधिनियम की धारा–4 में निर्धारित 17 मैनुअलों के अंतर्गत विभागीय विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान पर केंद्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है तथापि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुरूप 17 मैनुअलों को तैयार करने में सहभाग करना एक सुखःद अनुभव भी है। जिला कार्यालय हरिद्वार से संबंधित 17 मैनुअलों को निम्नवत् भागों में विभाजित किया गया है।

1– भाग– एक मैनुअल संख्या –1, 2, 3 एवं 4
2– भाग– दो मैनुअल संख्या – 5
   खंड – I, II, III, IV
3– भाग–तीन मैनुअल संख्या – 6, 7, एवं 8।
4– भाग–4 मैनुअल संख्या– 9, 10, 11 एवं 12
5– भाग–5 मैनुअल संख्या– 13, 14, 15, 16 एवं 17।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए उक्तानुसार मैनुअल्स का स्वरूप एक प्रारंभिक अवस्था है, जिसको भविष्य में निरंतर अद्यावधिक किया जाएगा तथा मैनुअलस को कम्प्यूटरीकृत कर बेबसाइट में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जन सामान्य को संबंधित जानकारियां / सूचनाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त 17 मैनुअल्स को उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों तथा मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के मार्गदर्शन में तैयार करवाया जा सका। मैनुअल्स की सामग्री एकत्रित करने, उन्हें लिपिबद्ध करवाने एवं वर्तमान स्वरूप में उन्हें प्रस्तुत करने में श्री एस0 एन0 पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा श्री गोपालदत्त डंगवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री पंकज राजपूत, राजस्व सहायक–द्वितीय का प्रशंसनीय योगदान रहा। इसके अलावा सभी उप जिलाधिकारियों, कलेक्ट्रेट के अनुभागीय प्रमुखों एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग की भी सराहना की जाती है।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
जिला अधिकारी,
हरिद्वार।

स्थानः हरिद्वार।
दिनांकः अक्टूबर, 2009

tuin gfj}kj ,d nf"V e

tuin gfj}kj dh LFkkiuk fnukd 28-12-1988 dk gbZ FkhA tuin xBu ds i'pkr rglhy yDlj dh LFkkiuk fnukd 03-08-1989 dk gbZ FkhA

Ø0l0	lpuk dk fooj.k	tuin dh lefdr fLFkfr	rglhy gfj}kj ls lEcfU/kr lpuk	rglhy :Mdh ls lEcfU/kr lpuk	rglhy yDlj ls lEcfU/kr lpuk
1	2	3	4	5	6
1.	तहसील	03	हरिद्वार	रूड़की	लक्सर
2.	विकास खण्ड	06	बहादराबाद	भगवानपुर, रूड़की, नारसन	लक्सर, खानपुर
3.	थाना	15	हरिद्वार,रानीपुर,ज्वालापुर, कनखल,श्यामपुर, पथरी, बहादराबाद	रूड़की, गंगनहर, मंगलौर,, भगवानपुर, बुग्गावाला, झबरेड़ा	लक्सर, खानपुर
4.	नगर पंचायत	04	बी0एच0ई0एल0	लंढौरा, झबरेड़ा	लक्सर
5.	नगर पालिका परिषद	03	हरिद्वार	रूड़की, मंगलौर	—
6.	न्याय पंचायत	46	09		11
7.	ग्राम सभा	299	65	167	67
8.	छावनी	01	—	रूड़की	—
9.	कुल ग्राम	639	147	326	166
10.	आबाद ग्राम	497	119	251	127
11.	गैर आबाद ग्राम	143	31	71	31
12.	लेखपाल क्षेत्र	156	40	84	32
13.	राजस्वनिरीक्षक क्षेत्र	08	02	04	02
14.	भौगोलिक क्षेत्रफल	170756है0	51602है0	81512है0	37642है0
15.	कृषित क्षेत्रफल	131717है0	30434है0	70463है0	30320है0
16.	सिंचित क्षेत्रफल	119285है0	27242है0	62449है0	29594है0
17.	असिंचति क्षेत्रफेल	11932है0	3192है0	8014है0	726है0
18.	वन क्षेत्र	12095है0	11146है0	237है0	712है0
19.	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार	14,44,213	7,73,173 पुरूष	6,71040 महिला	ग्रामीण—9,98,550 नगरीय—11,24,488
20.	जनसंख्या घनत्व	612			

iLrkouk

tuin dk fooj.k%

जनपद हरिद्वार जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा नदी के दाहिने तट पर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओ की तलहटी में 29.58 उत्तरी अक्षांश तथा 79.10 पूर्वी देशान्तर में बसा हुआ है। शिवालिक पर्वतमाला के छोर पर ''बिल्व'' पर्वत और ''नील'' पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा यह छोटा सा खूबसूरत नगर अपनी प्राकृतिक सुषमा, मनोहारी गंगा तटो, वहां होने वाली पूजा आरतियों के सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों, शिवालिक की वन और पहाड़ी वाली प्राकृतिक विरासतों, मन्दिरो आश्रमों और अखाड़ों के कारण यह प्राचीन काल से यायावरो घुमक्कड़ों, तीर्थयात्रियों और गंगा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

gfj}kj dk Hkkxkfyd Lo:i%

मन्दिरों, घाटों और धार्मिक मान्यताओं के प्रसिद्ध हरिद्वार उत्तर पूर्व में उत्तराखण्ड के देहरादून व पौड़ी जिले की सीमाओं के साथ शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण–पूर्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों की सीमा से लगा हुआ है। 20 दिसम्बर 1988 को अस्तित्व में आये इस जनपद का सृजन सहारनपुर जिले को विभाजित कर बिजनौर और मुजफ्फरनगर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया।

gfj}kj dk /kkfeZd Lo:i%

हरिद्वार केवल चार धामों का ही प्रवेश द्वार नही है, बल्कि प्रकृति ने यहां दिल खोलकर कई रमणीक पर्यटन स्थल, आध्यात्मिक केन्द्र और मोक्ष प्रदायिनी गंगा के घाटों का निर्माण किया है। यह पवित्र नगर जीवनदायिनी गंगा के दाहिने तट पर बिल्व और नील पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा है। देशी विदेशी पर्यटक यहां के मनोहारी दृश्य तथा श्रद्धालुओ की अटूट आस्था पर हमेशा मंत्र मुग्ध रहते है। इसे पुलो की नगरी के नाम से भी जाना जाता है।

{k=Qy ,oa i'kklfud foHkktu%

जनपद हरिद्वार का भौगोलिक क्षेत्रफल 2360 वर्ग कि0मी0 है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को हरिद्वार रूडकी व लक्सर तीन तहसीलों तथा छः विकास खण्ड–बहादराबाद, रूडकी,नारसन, भगवानपुर, लक्सर व खानपुर में बांटा गया है।

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1444213 है, जिनमें 773173 पुरूष एवं 671040 महिलाएं है। प्रति हजार पुरूष पर महिलाओ की संख्या 866 है। जनसंख्या का घनत्व 612 है। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 998550 है जबकि नगरीय क्षेत्र के अनुसार कुल जनसंख्या 1124488 थी जिनमें से 242658 अनुसूचित जाति के एवं 2026 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी।

———

[kM& III

vudef.kdk

foHkkx&21 ¼LFkkuh; fudk;½

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	विवरण	पृष्ठ सं0
1	संख्या–63सीएम / 9–2–95 दिनांक 19–9–95	प्रदेश में पेयजल योजनओं के अर्न्तगत हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया जाना।	8
2	अधिसूचना संख्या– यू0 ओ0–74 / नौ–6–95 दिनांक 30 –9–95	उ0प्र0 नगर पालिका परिषद् (कक्ष समितियॉ) नियमावली 1995	9–11
3	संख्या–3648 / नौ–4–95–38बी दिनांक 21–11–95	नागर स्थानीय निकायों की उप विधियों का गजट में प्रकाशन।	12
4	संख्या–3616ए / 9–7–95–4(ज) / 94 दिनांक 21–12–95	टैक्टर ट्राली,वाटर टैंकर एवं व्हील बैरों के क्रय में यू0पी0 स्टेट एग्रो द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्राथमिकता दिलाया जाना।	13
5	संख्या–583 / 9–1–96–8 ई / 95 दिनांक 15–2–96	नागर स्थानीय निकायों की बैठकों में महिला सदस्यों के साथ उनके सम्बन्धियों आदि का उपस्थित न रहना।	14–15
6	संख्या–1116 / नो–8–96–4 आरसी2 96 दिनांक 14–5–96	नगर निगमो,नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को परामर्श सेवायें।	16
7	सं0–2708 / 9–5–06 दि0 22.5.1996	शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।	17
8	संख्या–2543 (1) / 9– 1– 96–10 टी (235–1) / 96 दिनांक 19– 6–96	स्थानीय निकायों की सम्पत्ति बेचने के सम्बन्ध दिशा निर्देश।	18
9	संख्या–113सीएम / 9– 1– 98–9ई / 97 टी0सी0 दिनांक 30–5–98	नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की प्रत्येक बैठकों में मा0 सांसदों ,मा0 विधायकों अर्थात प्रत्येक पदेन सदस्यों को आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में ।	19
10	संख्या–2428(2) / 9–1–99 दिनांक 17–9–99	नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के सदस्यों के त्याग पत्र का सत्यापन्न	20
11	संख्या–2523 / न0 वि0 / आ0 –2001–431 (न0वि0 /आ0) / 01 दिनांक 10–10–2001	देश की सुक्षा में लगे सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवनों आदि को कर मुक्त करने के सम्बन्ध में।	21
12	अधिसूचना संख्या–218 / विधायी एवं संसदीय कार्य /2002दि0 19–6–2002	उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम संशोधन 2002	22–24
13	अधिसूचना संख्या–217 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002, दिनांक 19–6–2002	उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947(उत्तरांचलसंशोधन) अधिनियम 2002	25–26
14	अधिसूचना संख्या–225 /विधायी एवं संसदीय कार्य /2002 दिनांक 2–7–2002	उत्तरांचल (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916)(संशोधन)अध्यादेश 2002	27‘29
15	अधिसूचनासंख्या– 2083 / नौ–2 (41अधि0) / 2002 दिनांक 26–8–2002	उत्तरांचल जल संस्थान नामक निकाय गठित करने के समबन्ध में।	30
16	अधिसूचना संख्या– 1073 / श0 वि0आ02002–270 (न0वि) / 20 02 दिनांक8–11– 2002	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (केंद्रीयत) सेवा नियमावली 1966) अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश 2002	31
17	अधिसूचना संख्या–1152 / श0 वि0 आ0–02–105 (आ0) 02 दिनांक16–12– 2002	नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन	32–33
18	अधिसूचना सं0–455 / वि0 एवं संसदीय कार्य / 2002 दिनॉक 21.12.2002	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) अधिनियम 2002	34–36
19	अधिसूचना सं0–456 / वि0 एवं संसदीय कार्य / 2002 दिनॉक 21.12.2002	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) अधिनियम 2002	37–39
20	सं0–1472 / श0वि0आ0–03– 100 (सा0श0वि0 / 2003 दिनॉक 22.5.2003	प्रांइवेट डाक्टरों से लिए जा रहे लाईसेंस शुल्क को अस्थगित किए जाने के संबंध में।	40
21	विज्ञप्ति सं0–617 / 27 (1) /2005 दिनॉक 30.4. 2005	उत्तरांचल राज्य का द्वितीय वित्त आयोग (पंचायतीराज और स्थानीय निकाय) का गठन।	41–43
22	अधिसूचना सं0– 423 / वि0 एवं संसदीय कार्य / 2005 दिनॉक 31.1.2005	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005	44–46
23	अधिसूचना सं0– 422 / वि0 एवं संसदीय कार्य / 2005 दिनॉक 31.1.2005	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005	47–48

foHkkx&22 ¼foRr½ 'kklukns'k vikIr

(1)	(3)	(4)	
24	संख्या– सा–4–586/दस–95 –201/76, :दिनांकः 12 सितंबर, 1995	उत्तर प्रदेश फाउंडामेंटल (प्रथम संशोधन) नियमावली	49–50
25	संख्या–ए–1–164/दस–97–10 (4)/85 दिनांक 25 मार्च, 1997	मानक मदों के अनुसार प्रचलित देदक प्रपत्रों में संशोधन।	51–52
26	संख्या–सा–3–268/दस–901/94 दिनांक 25 मार्च, 1997	राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन को अतंरिम राहत की स्वीकृति	53–54
27	संख्या–बी–1–1134/दस–16/94/1998, दिनांक 30 मार्च 1998	राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन बिलों को कंप्यूटर से तैयार किया जाना तथा वेतन भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाने के सम्बन्ध में।	55–56
28	संख्या बीमा–325/दस–98, दिनांक 10 मार्च, 1998	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना में संशोधन	57–58
29	संख्या–2512/1–4–97–87–बी–4/82, दिनांकः 13 जनवरी, 1998	प्रतिशत के आधार पर उच्चीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।	59
30	संख्या–सा–4–161/दस–98–604/82, : दिनांक 28 फरवरी 1998	सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।	60–62
31	संख्या–सा–4–642/दस–97–502/85, : दिनांकः 29 जुलाई, 1997	सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश)(प्रथम संशोधन) नियमावली 1997	63–70
32	संख्या–2932/1–........ दिनांक 15 फरवरी 1990	कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान(सलेक्शन ग्रेड) अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।	71
33	संख्या–सा–3–346/दस–101 (4)–2000, दिनांक : 07 अप्रैल, 2000	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों की शीघ्रता से निस्तारण करने हेतु।	72–73

foHkkx& 23 ftyk iapk;r

foHkkx& 24 yksd fuekZ.k foHkkx

(1)	(3)	(4)	
34	सं0–5315 एससी/ 23 – पी0डब्लूडी/ 71 दिनॉक 5.10.1971	यू0पी0 रोड साइड कंट्रोल एक्ट 1945 में कलेक्टर के अधिकार पगरना अधिकारियों को दिए जाने विषयक।	74
35	सं0–1292/23– सा0नि0 वि0 –6/81 दिनॉक 31.3.1982	यू0पी0 रोड साइड कंट्रोल एक्ट 1945 की धारा– 6 (2) के अंतर्गत आदेश।	75

foHkkx& 25 fuokZpu

foHkkx&26 ¼ ou iapk;r ,oa flfoy ou@i;kZoj.k ls lcf/kr dk;Z½

(1)	(3)	(4)	
36	संख्या–7077/14–2–99–1944/88 , दिनांक 25.08.1999	पर्वतीय क्षेत्रों के वनों में रिवर राफ्टिंग की अनुमति दिया जाना।	76–78
37	संख्या–104/26 -प0स0–आ.व.ग्रा.वि. दिनांक 01 जनवरी, 1999	वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रक्रिया का सरलीकरण ।	79–80
38	संख्या–204/विधायी एवं संसदीय कार्य/ 2002 दिनांक 1 अगस्त,2002	भारतीय वन (उत्तरॉचल संशोधन) अधिनियम 2001 (अधिनियम संख्या–10 वर्ष 2002)	81–86
39	संख्या–184/7–1–2002 – 800 (389)/2002 दिनांक 23 अक्टूबर,2002	उत्तरॉचल में नवोदय विद्यालयों की स्थापना हेतु वन भूमि का निशुल्क हस्तान्तरण ।	87–88
40	संख्याः323/7 (व.भू.ह. 2003–85 (43)/2003 दिनांक 8अक्टूबर, 2003	वन संरक्ष्ण अधिनियम,1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर बानिकी कार्यो के लिए प्रत्यावर्तन के तहत एन.पी.बी. (net present value) एकत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देश ।	89–90
41	संख्या–156/7–1–2005 –500 (826)	वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारिण।	91–94
42	संख्या–78/7 (व0भू0ह0) –2005–54 (51)/2005 दिनांक 25 जनवरी, 2004	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर बानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा– निर्देश	95–96
43	संख्या–1313/14–प0 भू0वि0/98–7/93 दिनांक 04 जुलाई, 1998	उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम,1976 के अन्तर्गत आम प्रजाति के वृक्षों के पातन पर पूर्ण प्रतिबन्ध ।	97
44	संख्या–7796/1.व.ग्रा.वि./2001–10(6)/2001 दिनांक 27 दिसम्बर, 2001	अधिसूचना	98–99

45	संख्या–7791 / 1.व.ग्रा.वि. / 2001–10(6) / 2001 दिनांक 27 दिसम्बर, 2001	उत्तर प्रदेश वन विभाग (अधिकारों की अभिपुष्टि) नियमावली (उत्तरॉचल) आदेश 2001 की अधिसूचना ।	100–101
46	संख्या–1497 / 1(2)व.ग्रा.वि.2002–10(18) / 2001 दिनांक 08 नवम्बर, 2002	उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 की अधिसूचना ।	102–103
47	संख्याः1495 / 1(2)व.ग्रा.वि. / 2002–10(15) / 2001 दिनांक 08 नवम्बर, 2002	उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश आरामशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली,1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 की अधिसूचना ।	104–105
48	संख्याः756 / 1 (2) व.ग्रा.वि. / 2003–9(2) / 2001 दिनांक 30 अप्रैल,2003	उत्तरॉचल के वनों से उत्पादित लीसे के निस्तारण हेतु नीति निर्धारण ।	106–108
49	संख्याः392(1) /अ.स.वन/ 2003 /व.ग्रा.वि. / 2003 दिनांक 24 मई, 2003	नई वन पंचायतों का गठन व पूर्व गठित वन पंचायतों को सक्रीय किये जाने के सम्बन्ध मे।	109
50	संख्याः392(1) /अ.स.वन/ 1(2) व.ग्रा.वि. /8 (15) / 2001 टी0सी0 दिनांक 24.05.2003	वन पंचायतों का सुदृढीकरण एवं वानिकी सम्बन्धी विभिन्न कार्यो में वन पंचायतों का सहयोग एवं भागीदारी	110–111
51	संख्या–1056 / 1 (2)व.ग्रा. वि.. / 2003–9 (26) / 2003 दिनांक 19 जुलाई, 2003	गुजरों एवं अन्य व्यवसायिक व्यक्तियों के भैसों के लिए शाख–तराशी एवं चुगान शुल्क तथा भेड–बकरियों के लिए चरान–चुगान शुल्क के पुनरीक्षण / निर्धारण के सम्बन्ध मे।	112–113
52	संख्या–914 / व.ग्रा.वि. / 2003 दिनांक 23.8.2003	औषधीय एवं सुगन्ध पादपों का संरक्षण,विकास व विदोहन (C D H conservation development and harvesting) उत्तरांचल के प्रत्येक वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (Joint harvesting Team) हेतु योजना	114–119
53	संख्या–913 / व.ग्रा.वि. / 2003 दिनांक 23.8.2003	औषधीय एवं सुगन्ध पादपों का संरक्षण,विकास व विदोहन (C D H conservation development and harvesting) उत्तरांचल के प्रत्येक वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (Joint harvesting Team) हेतु योजना	120–122
54	संख्या–2218 / व.ग्रा.वि. / 2003–9 (4) / 2001 दिनांक 06.10.2003	औषधीय एवं सुगन्ध पादपों का संरक्षण,विकास व विदोहन (C D H conservation development and harvesting) उत्तरांचल के प्रत्येक वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (Joint harvesting Team) हेतु योजना	123–124
55	संख्या–115 / 1(2) व0 ग्रा0वि0 / 2003–21 (5) / 2003दिनाक 29.1..2003	उत्तरॉचल में ओक टसर विकास परियोजना के कियान्वयन हेतु वन क्षेत्रों में स्थित बांज वृक्षों के उपयोग के सम्बन्ध में ।	125–126
56	सख्या–1571 / 1(2) व.ग्रा. वि. /02/8 (15) 2001 टी0 सी0–1 दिनांक 31 अगस्त2002	वन पंचायतों के गठन तथा वन पंचायतों के विद्यमान क्षेत्र का विस्तार – अभियान।	127–128
57	सख्या–622 / वन पंचा. / वन /2003 दिनांक 18 सितम्बर, 2003	राज्य के समस्त राजस्व गांवों में वन पंचायतों का गठन और पुरानी वन पंचायतों का क्षेत्र विस्तार 100 प्रतिशत पूर्ति के लिये विशेष अभियान।	129
58	संख्या–1300 / प्र0स0 / आ.व.ग्रा.वि. दिनांक 29.03.2003	वन पंचायतों के गठन, क्षेत्र विस्तार, अमल दरामद समय से चुनाव माइको–प्लानिग तथा वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबन्ध हेतु कार्ययोजना (2003–04)	130–138
59	संख्या–2243 / ग–2–2005 –19 (1) 2003 दिनांक 21 जुलाई2005	उत्तरॉचल राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों को मिलने वाले वन उपज सम्बन्धी अधिकार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	139
60	संख्या–2212 / ग–2– 05 –19(37 / 2003 दिनांक 28 जुलाई,2005	वन्य जीवों द्वारा जान–माल की क्षति की दशा में देय आर्थिक अनुग्रह सहायता की दरों का पुनरीक्षण ।	140–145

foHkkx&27 ¼f'k{kk½

(1)	(2)	(3)	(4)
61	संख्या–948 / उच्च शिक्षा / 2003, दिनांक 18 अक्टूबर,2003	प्रदेश के बाहरी विश्वविद्यालयों /उच्च शिक्षा संस्थाआं द्वारा अध्ययन केन्द्र आदि के संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।	146–147

foHkkx& 28 vkokl foHkkx@fofu;fer {k= vf/k"Bku rFkk vihyk l lcaf/kr dk;l

1	2	3	4
62	संख्या 425 / 37–3–88–216–एन.के.वी.–76, लखनउ,4 अप्रैल, 1988	अधिसूचना	148

63	संख्या–86(6)/9–आ–3–94–9–आर0ए0 /93 लखनउः दिनांक 13 मई 1994	विनियमित क्षेत्र गोचर जिला चमोली के सम्बन्ध में परगना अधिकारी–कर्णप्रयाग को नियत प्राधिकारी नियुक्त करने से सम्बन्धित	149
64	संख्या–86(3)/9–आ–3–94–9–आर0ए0/ 93, लखनउः दिनांक 13 मई 1994	विनियमित क्षेत्र गौचर जिला चमोली के लिए नियंत्रक प्राधिकारी का गठन सम्बन्धी अधिसूचना''	150
65	संख्या–86 9–आ–3–94–9–आर0ए0 /93 लखनउः दिनांक 13 मई 1994	''अधिसूचना''	151

foHkkx&29 ¼ fjV ;kfpdk)

(1)	(2)	(3)	(4)
66	480/कार्मिक–2/2003 दिनांकः 4–4–2003	सेवा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी किया जाना।	152–153
67	505/XXX(2)/2004 दिनांकः 9–6–2004	सेवा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी किया जाना।	154–155
68	सं0–663/XXXI (2)(जी)/2004 दिनांक : 4–10–2004	मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में उत्तरांचल सरकार की ओर से प्रतिशपथ–पत्र योजित किये जाने हेतु उप सचिव स्तर (वेतनमान–12000– 16500)	156
69	101–एक (6)/ 36–1 / न्या0अनु0/2004 दिनांकः 12. 10.2004	मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र के लिए प्रस्तरवार आख्या तैयार किया जाना।	157–158
70	176–एक(1)/छत्तीस (1)/न्या.अनु./2005 दिनांकः 5–5–2005	मा0 उत्तरांचल उच्च न्या0 में शासन के विरूद्ध मामलों में नियत समय में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना	159–160
71	190–एक(1)/छत्तीस (एक)/न्या.अनु./2005 दिनांकः 4–6–2005	शासन के विरूद्ध योजित रिट याचिकाओं में प्रतिवाद आदेश निर्गत किया जाना।	161–162
72	88–एक(2)/छत्तीस (1)/ न्याय विभाग/2005 दिनांकः 4–6–2005	सलेम एडवोकेट बार एसोसिण्शन, तमिलनाडु प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया AIR 2005 SUPREME COURT 3353 नामक मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80)	163–165
73	245/एस.ओ.मुख्य सचिव/ 2005 दिनॉकः 30–6–2005	रिट याचिकाओं में निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने विषयक।	166–167
74	15मु0स0/18(1)/2005 दिनांकः12–7–2005	मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन करने विषयक	168

foHkkx&21

संख्या–63सीएम / 9–2–95

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त ,उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(3) सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग
(4) सचिव,
कृषि विभाग।

नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांकः 19 सितम्बर,1995।

fo"k;%& in'k e i;ty dk;dek d vUrxr g.M iEik dk
vf/k"Bkiu mRrj in'k ty fuxe l djk;k tkukA

महोदय,

उर्पयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में पेयजल कार्यक्रमों के अर्न्तगत हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन केवल उत्तर प्रदेश जल निगम से ही कराया जायेगा और किसी अन्य एजेन्सी से हैण्ड पम्प लगवाने का कार्य नहीं कराया जायेगा,चाहे हेण्ड पम्प स्थापना कार्य का वित्त पोषण किसी भी भिभाग द्वारा कयों न किया जा रहा हो।

2– कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

माता प्रसाद,
मुख्य सचिव।

संख्या–63 सीएम (1) / 9–2–95–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रबन्ध निदेशक,उ0प0 जल निगम,लखनऊ।
(2) निदेशक,मंडी परिषद् उ0प0 लखनऊ।
(3) आयुक्त,ग्रामय विकास।
(4) प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 एग्रो इसिट्रनिगम ,लखनऊ।

आज्ञा से
(आर0बी0 भाष्कर)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग–6
संख्या–यू0ओ0–74 / नौ–6–95
लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर ,95।
–अधिसूचना–

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया हे कि ऐसी परिसिथतियॉ विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव से नियम बनाना आवश्यक हो गया है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1916 की धारा 3–ख और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन्1904) की धारा 23 की उपधारा (3) के साथ पठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थातः–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद् (कक्ष समितियॉ) नियमावली 1995।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद (कक्ष समितियॉ) नियमावली 1995 कहीं जायेगी।

(2) यह ऐसी नगर पालिका परिषदों पर लागू होगी जिनकी अपने नगर पालिका क्षेत्रों के भीतर कक्ष समितियां हों।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगीं।

2– (1) जब तक विषय का प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) ''क्षेत्र'' का तात्पर्य किसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्र से हैं

(ग) ''समिति'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–6 क के अधीन गठित कक्ष समिति से हैं।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषि शब्दों और पदों के तात्पर्य वही होगें,जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

समिति का शक्तियां

3– समिति इस नियमावली और अधिनियम के अधीन कृत्यें का सम्पादन करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है अर्थात–

समिति के कृत्य

(1) यह सुनिश्चित करना कि नगर पालिका परिषद कक्ष के स्थानीय निकायों आकांक्षाओं के प्रति पूर्णरूप अनुक्रियाशील है।

(2) नगरिकों को अपने–अपने स्थानीय क्षेत्रों को सफाई और विकास में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

(3) आवंटित निधियों ओर अंशदानों से स्वैच्छिाक अभिकरणों की सहायता से स्थानीय निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए माध्यम के रूप में कार्य करना।

(4) निर्माण कार्यों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना और क्षेत्र के लिए आय–व्ययक में सम्मिलित निर्माण कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए अर्गेत्तर उपायों का सुझाव देना।

(5) नगरीय नगरपालिका सेवाओं सुविधाओं और सुख सुविधाओं के संधारण में कमी और गलती की पहचान करवाना और सुसंगत निकायों से कार्यवाही करने के लिए कहना।

4– कक्ष समिति के निम्नलिखित कृत्य होगें:–

(1) उर्पयुक्त कृत्यों से समबन्धित निवासियों को शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए एक मद के रूप में कार्य करना।

(2) क्षेत्र के भीतर पथो,सडकों,गलियों,नालियों,शिविरों,जल सम्बन्धी सार्वजनिक सडकों पर रोशनी नगर की सफाई करना पार्कों का कूडा करकट हटवाने,पार्कों में खेल के मैदानों और खुले स्थानों के निर्माण पुनः निर्माण मरम्मत साधारण नवीनीकरण के लिए नगर पालिका परिषद की योजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना।

(3) पथों सडकों ,गलियों,नालियों सिविरों और समस्त सार्वजनिक स्थानों ,समस्त पार्कों खुले स्थानों और खेल के मैदानों की पानी से धुलाई बुहारी द्वारा उनकी सफाई तथा उन्हें स्वच्छ रखना और मल इत्यादि दुर्गन्ध युक्त पदार्थ ओर कूडे–करकट को एकृत कराना और हटवाना मनुष्यों के उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को दूषित न होने देना ओर क्षेत्र में दूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना सुनिश्चित कराना।

(4) यह सुनिश्चित करना कि उसके क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति कर और अन्य कर प्रभार और शुल्क नगर पालिका परिषद की मॉगों के अनुसार वसूल किये जा रहे है,और करों,प्रभारों और शुल्कों की मॉग के अधिकतम प्रतिशत तक की उगाई के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव भी देना।

(5) प्रत्येक कक्ष के भीतर मकानों पर संख्या लिखवाना और पथों, सडकों, गलियों और परिक्षेत्रों का नाम रखा जाना या नया नाम रखा जाना/ समय–समय पर उनकी जॉच पडताल भी करना या नया नाम रखा जाना सुनिश्चित करना।

(6) यह सुनिश्चित करना कि नगर पालिका परिषद द्वारा दी गई अनुज्ञाप्तियों द्वारा उनके क्षेत्र के भीतर दुरूप्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(7) अतिक्रमण को हठवाना और सुनिश्चित करना कि क्षेत्र के भीतर अग्रेत्तर कोई अतिक्रमण न हो।

(8) आग–बम्बों का संधारण सुनिश्चित करना ।

विशेष आमंत्रित

5– कक्ष समिति अपनी बैठकों में समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर के मामलों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान या अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित कर एकत्रित सकती है,किन्तु ऐसे आमंत्रितों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

समिति की बैठकें

6– समिति की बैठक प्रति मास ऐसे स्थान और समय पर होगी जैसे अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,
आर0बी0भास्कर,
सचिव,

संख्या–यू0ओ0–74(1)/नौ–6–95,तद्दिनांकित।

1– प्रतिलिपि–संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रालय, ऐशबाग, लखनऊ को नियमावली की अंग्रेजी पाठ सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में दिनांक 30–9–95 को प्रकाशित एवं मुद्रित अधिसूचना की 25 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– समस्त मण्डलायुक्त।
2– समस्त मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक नगर निगम उत्तर प्रदेशं
3– समस्त सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट,उत्तर प्रदेश
4– निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

भुइयादीन,
अनुसचिव,

संख्या–3648 / नौ–4–95–38बी,

प्रेषक,

श्री आर0बी0 भाष्कर,
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासनं

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उत्तर प्रदेश,
इलाहावाद।

नगर विकास अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर 95।

fo"k;d%& ukxj LFkkuh; fudk;ksa dh mifof/k;ksa dk xtV esa idk'kuA

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि नागर स्वायत्त शासन विधि(संसोधन)अधिनियम 1995 (उ0प्र0अधिनियम संख्या–26 सन्1995) के खण्ड 21 और (प्रतिलिपि–संलग्न) में क्रमशःनगर नियम अधिनियम 1959 की धरा 544 और नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 में यह प्राविधान किया गया है कि यथा स्थिति नगर निगमों,नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा बनाये गये विनियम और उप विधियॉ सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगीं । इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब राज्य सरकार अथवा मण्डलायुक्त का पूर्वामोदन आवश्यक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी विनिमय अथवा उपविधियॉ प्रदेश के नगर निगमों,नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों से प्राप्त हो,उन्हें सरकारी गजट में पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

संलगनकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
आर0बी0 भास्कर,
सचिव,

संख्याः3648 (1) / नौ–6–95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समसस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश।
3– समस्त नागर स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश।
4– संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रालय,ऐशबाग लखनऊ।

आज्ञा से,
(आर0बी0 भाष्कर)
सचिव,

संख्या–3616ए / 9–7–95–41 ज / 94

प्रेषक,

श्री एस0एन0 शुल्क,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम , उ0प्र0
3–समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर ,1995 ।

fo"k;%& VDVj Vkyh]okVj Vdj ,o 0ghy cjk d d; e ;0ih0 LVV ,xk }kjk mRikfnr oLrvk dk ikFkfedrk fnyk;k tkukA

महोदय,

उपर्युकत विषयक शासनादेश संख्या–2414ए / 9–7–94–4 1 ज / 94 दिनांक 27 अगस्त 1994 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। कि ट्रालीज,वाटर टैंकर ,व्हीलवेरों एवं यू0पी0 सग्रो द्वारा निर्मित इसी प्रकार के अन्य निमित वस्तुओं के कय को कृपया प्राथमिकता दिलाने की कृपा करें।कृपया कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस0एन0 शुक्ला)
विशेष सचिव,

<u>संख्या–3616 (1)ए / 9–7–95 निद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि–प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को उनके पत्रांक 1931228–8 / म0प्र0(30) / 13 / 95 दिनांक 25 अगस्त 1995 के सन्दीा में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(मो0अकरम)
अनुसचिव।

संख्या–583 / 9–1–96–8 ई / 95

प्रेषक,

श्री आर0बी0भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभागं

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,उत्तर प्रदेश,
(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट्स,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांकः 15 फरवरी 1996।

fo"k;%& ukxj LFkkuh; fudk;k dh cBdk e efgyk lnL;k d lkFk mud lEcfU/k;k vkfn dk mifLFkr u jgukA

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के समक्ष ऐसे उद्धहारण हैं कि नगर पालिकाओं की बैठकों में महिला अध्यक्ष अथवा सदस्यों के साथि ही उनके पति अथवा सम्बन्धी भी सम्मिलित होते हैं और बैठक की कार्यवाही में भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम ,1916 और उनके अधीन प्रवृत्त नियमावलियों के प्राविधानों कके अनुसार यथाा निर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य ही सम्मिलित हो सकते हैं और बैठक में विचाराधीन बिन्दुओं पर अपने मतों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगमों,नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की बैठकों में यह सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि यथा निर्वाचित अथवा पदेन / पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बैठक में सम्मिलित न होने पाये ओर न ही उसके द्वारा अपने किसी मत की अभिव्यक्ति बैठक में की जाय।

2– यह भी सुनिश्चित रहना आवश्यक है कि महिला पदाधिकारियों के किसी भी सम्बन्धी को यथास्थिति नगर निगम,नगरपालिका या नगर पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन की अनुमति प्रदान न की जाय जब तक उनके द्वारा विधिवत निरीक्षण हेतु आवेदन न किया गया हो ओर यथास्थिति मुख्य नगर अधिकारी या अधिशासी अधिकारी द्वारा ऐसे निरीक्षण की लिखित अनुमति प्रदान न कर दी गयी हो।यह आदेश सभी महिला पदाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0बी0भाष्कर)
सचिव,

संख्या–583(1) / 9–1–96–8ई / 95–तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
(1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को इस अभ्युक्ति सहित कि ऐसे सभी प्रकरण तत्काल शासन के संज्ञान में लाये जायॅ।

आज्ञा से ,

(मधुसूदन रायजादा)
संयुक्त सचिव,

संख्याः1116 / नौ—8—96—4 आरसी / 96

प्रेषक,

श्री आर0बी0भाष्कर,
सचिव,उ0प्र0शासन,
नगर विकास विभाग,

सेवा में,

(1) समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट,उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग—8 लखनऊ दिनांक 14 मई 1996।

fo"k;%& uxj fuxek]uxj ikfydk ifj"knk rFkk uxj ipk;rk dk ijke'k lok;A

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संविधान (74 वे संशोधन) अधिनियम ,1992 के अनुतरण में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 में किये गये व्यापक संशोधनों कके परिपेक्ष्य में नगरपालिकाओं (नगर निगमों,नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों) के अनिवार्य तथा विवेकाधीन कृतयों में पर्याप्त बृद्धि होने के साथ ही सामाजिक आर्थिक नियोजन,शहरी गरीगी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रशासन ,आदि विषयों के कारण उनके उत्तरदायित्व पर्याप्त अधिक हो गये हैंऐसी स्थिति में उनकी संगठनात्मक साम्थ्र्य में बृद्धि ,उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार,तथाउ वितितीय प्रबन्ध एवं शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अर्न्तगत सर्वेक्षण आदि के काय्र होना समाचीन है। नगर प्रशासन तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण,शोध तथा परामर्श के लिए / सी0पी0 102 सेक्टर—5 इन्दिरानगर लखनऊ स्थित क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द में आवश्यक परामर्श की सुविधा उपलब्ध है अतएव शहरी संशाधनरों को गतिशील बनाने ,सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का संचालन करने,बजट तैयार करने ˋतथा संगठाात्मक ढॅचे का पुनःरूपाकंन करने के सम्बन्ध में,यदि आवश्यक हो तो ,सम्बन्धित नगर निगम नगरपालिका या नगर पंचायत उक्त केन्द से परामर्श प्राप्त कर सकते है।

भवदीय,
(आर0बी0भाष्कर)
सचिव

संख्याः1116(1) / नौ—8—96,दिद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को प्रेषितः—

1— निदेशक,स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2— समस्त नगरपालिका परिषदों / नगरपंचायतों के अध्यक्ष ,उत्तर प्रदेशं
3— निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा ,उत्तर प्रदेश इलाहवाद।

भवदीय,
आज्ञा से,
(मधूसूदन रायजादा)
संयुक्त सचिव।

शा0सं0—2708 / 9—5—95।

प्रेषक,

श्री आर0बी0 भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग—5 लखनऊ दिनांक 22 मई 1995 ।

fo"k;%& 'k) i;ty dh vkifrZ lqfuf'pr fd;k tkukA

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूत्रि न होने से संक्रामक रोगों का भय उत्पन्न हो गया है। दूषित पेयजल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अतः पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में क्लोरीनेशन अवश्य किया जाय तथा पानी की रैण्डम जॉच जलकर स्टाफ जल संस्थान तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की जाय।

3— कृपया उर्पयुक्त आदेशों का कडाइ से अनुपालन सुनिश्चित कररायें ।

भवदीय,
(आर0बी0 भाष्कर)
सचिव,

संख्या—2708 (1) / 9—5—96 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य विभाग,उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त महाप्रबन्धक,जल संस्थान,उत्तर प्रदेश
(4) अपर निदेशक,मलेरिया एवं संवारी रोग,स्वाथ्य भवन लखनऊ ।

आज्ञा से,
(जे0पी0 विश्वकर्मा)
विशेष सचिव,

संख्या–2543 (1)/9–1–96–10 टी (235–1)/96

प्रेषक,

श्री जे0पी0 विश्वकर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांकः 19 जून 1996।

fo"k;%& LFkkuh; fudk;ksa dh lEifRr cspus ds lEcU/k esa fn'kk funsZ'kA

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह अनुरोध करने की अपेक्षा हुई है कि कृपया स्थानीय निकायों की सम्पत्ति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन बेची जायः–

"स्थानीय निकाय अपनी अचल सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्त आय एकमुश्त धनराशि का उपयोग केवल ऐसी अचल सम्पत्तियों के सृजन में ही करेगी,जिससे स्थानीय निकाय को आवर्तन आय होती रहे। अचल सम्पत्ति सृजित किये जाने की प्रक्रिया में धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा (फिक्स डिाजिट) में रहेगी और धनराशि से प्राप्त व्याज के रूप में नियमित आय को स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। फिक्स डिपाजिट का सर्टिफिकेट रसीद को जिला मजिस्ट्रेट की सुरक्षा में रखी जाय।

सम्बन्धित विभाग द्वारा समस्त धनराशि पहले जिलाधिकारी के काय्रलय मे जमा कर दी जाय। सभी भूमि का कब्जा दिया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(जे0पी0विश्वकर्मा)
विशेष सचिव,

संख्या–113सीएम/9–1–98–9ई/97 टीसी

प्रेषक,

श्री जे0एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 30 मई 1998।

विषयः& नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतो की प्रत्येक बैठकों में मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों अर्थात प्रतयेक सदस्यों को आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रदेश की नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों की बैठकों में मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों अर्थात प्रत्येक पदेन सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है,जिससे उनमें क्षोभ व्याप्त है।इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुपालन में प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की प्रत्येक बैठकों में मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों अर्थात प्रत्येक पदेन सदस्य को यथा समय अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।

2– उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश की समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
(जे0एस0मिश्र)
सचिव,

संख्या–113सी एम(1)/9–1–98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काय्रवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0लखनऊ।
(3) राज्य निर्वाचन आयोग,उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निजी सचिव,मा0मंत्री आवास एवं नगर विकास।
(5) समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(माया जगदीश)
उप सचिव,

संख्या–2428(2)/9–1–99

प्रेषक,

आर0के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0 ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ/दिनांक 17 सितम्बर 1999 ।

विषयः– नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायता के सदस्यों के त्याग पत्र का सत्यापन्न।

महोदय,

उपरोकत विषय पर मुझे आपका ध्यान उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम –39 के प्राविधानों की ओर आकृष्ट करते हुये यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्राविधन के अनुसार राज्य सरकार को सम्बोधित त्याग पत्र जिला मजिस्ट्रेट को देने के पश्चात सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तथा ऐसा त्याग पत्र प्राप्त होते ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यक्ष को सूचित करने तथा तयागपत्र राज्य सरकार को अग्रसारित किये जाने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे उदाहरण हैं निमें सदस्यों के हस्तलिखित त्यागपत्र न होने तथा टंकित त्यागपत्र विना हस्ताक्षर किये हुये ही शासन को अग्रसारित कीर दिये जाते है। कालान्तर में ऐसे त्यागपत्रों पर प्रतिक्रियायें व्यक्त होती हैं और त्यागपत्र मोलिक न होने पर प्रतिवाद भी किये जाते है।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि किसी भी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के किसी सदस्य का त्यागपत्र प्राप्त होते ही हस्ताक्षर का सत्यापन सम्बन्धित व्यक्ति से कराया जाये,और हस्त लिखित तथा सत्यापित हस्ताक्षर आधारित त्यागपत्र शासन को अविलम्ब अग्रसारित कर दिये जायें।

कृपया इन आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जायें।

भवदीय,
(आर0 के0 सिंह)
विशेष सचिव,

संख्या/तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त विहित प्राधिकारी(मण्डलों के आयुक्त) उ0प्र0।
2– निदेशक,स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
3– नगर विकास शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,
(आर0 के0 सिंह)
विशेष सचिव,

प्रतिलिपि–शासनादेश संख्या–2523/न0वि0/आ0–2001–431 (न0वि0 / आ) 01 दिनांक 10 अक्टुबर 2001 जो निगर विकास/आवास अनुभाग देहरादून से अन्यों के साथ–साथ समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल को प्रेषित है।

....

fo"k;%& n'k dh lqj{kk esa yxs lSU; dfeZ;ksa dh fo/kokvksa ds LokfeRo ds vkoklh; Hkouksa vkfn dks dj eqDr djus ds lEcU/k esaA

उर्पयुक्त विषयक प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ उत्तर प्रदे श शासन द्वारा दी जा रही सुविधाएं जो कि उत्तरांचल में भी पूर्व से ही लागू है,को शासन के अग्रिम आदेशों क (पेंशन नुरूस्कार एवं अनुदान) उत्तरांचल में भी यथावत रखा जाए।

2– भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–1308/नो–9–199 दिनांक 13 मइ 1999 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

....

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1,खण्ड (क)
(उत्तरॉचल अधिनियम)
देहरादून,रविवार 16 जून 2002 , ई0
ज्येष्ठ 26,1924 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 218 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून ,16 जून ,2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरॉचल स्तिरीय पंचायती राज संशोधन विधेयक 2002 में दिनांक 16 जून 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या 08,सन्2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरॉचल त्रिस्तरीय पंचायत राज संशोधन अधिनियम,2002
(अधिनियम संख्या–08 वर्ष 2002)

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम ,1947 एवं क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरॉचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश),2001 के उत्तरॉचल राज्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–1

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

(1) यह अधिनियम उत्तरॉचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन अधिनियम,2002 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरॉचल राज्य में होगां

(3) यह तत्काल लागू होगा।

2– उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरॉचल का पढा जानाः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,1947 (अधिनियम सं 26 वर्ष 1947) में भी जहॉ–जहॉ शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहॉ ''उत्तरॉचल'' पढा जायेगा।

अध्याय–2

3– उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,1947 की धारा 11 (च) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी

धारा 11(च) ''पंचायत क्षेत्र'' की घोषणा :–

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी

जसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यथा साध्य 300 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 1000 हो, में समाविष्ट

किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये,''पंचायत क्षेत्र'' घोषित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 1000 तथा मैदानी क्षेत्रों
में यथासाध्य 5000 से अधिक नहीं होगी।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को ''पंचायत क्षेत्र'' की घोषणा
के प्रयोजनों के लिये विभाजित नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि व्यवहारिक दृष्टि से उक्त प्रतिबन्धों का पालन किया जाना सम्भव न हो,तो अपरिहार्य एवं विशिष्ट परिस्थितियों में,राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रतिबन्ध शिथिल कर सकती है।

(2) राज्य सरकार,सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समयः—

(क) किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकालकर,

परिष्कार कर सकती हैः

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती हैःया

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

मूल अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगीः

धारा 12 (1) (ग):किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और,किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में,जिसकी जनसंख्याः—

(1) 500 तक,5 सदस्य होगें।
(2) 501 से 1000 तक 7 सदस्य होगें।
(3) 1001 से 2000 तक,9 सदस्य होगें।
(4) 2001 से 3000 तक 11 सदस्य होगें।
(5) 3001 से 5000 तक,13 सदस्य होगें।
(6) 5001 से अधिक,15 सदस्य होगें।

अध्याय—3

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरॉचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश),2001 की धारा 6(1) (ख) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगीः

धारा 6 (1) (ख): निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगाः

(1) पर्वतीय क्षेत्र में 25000 तक ग्रसमीध्स जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगेः

(2) मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृ0 के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक ,निर्वाचन क्षेत्र होंगेः

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकाखण्ड में समान होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन किसी संघठन ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6— उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरॉचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश),2001(1)(ख) निम्नवत संशोधित कर दी जायेगीः—

धारा 18 (1) (ख):निर्वाचित सदस्य जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जायेगेंऔरइस प्रयोजन के लिये पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगाः—

(1) पर्वतीय क्षेत्र के 24,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगें तथा 24,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में

उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेगें।

(2) मैदानी क्षेत्र के 50,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होगे तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जरायेगें।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
(आर0पी0 पाण्डेय)
सचिव,

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1,खण्ड (क)
(उत्तरॉचल अधिनियम)
देहरादून,रविवार 16 जून 2002 , ई0
ज्येष्ठ 26,1924 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 217 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून ,19 जून ,2002
अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947(उत्तरॉचल संशोधन) विधेयक 2002 में दिनांक 16 जून 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या 07,सन्2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 (उत्तरॉचल संशोधन) अधिनियम 2002
(अधिनियम संख्या–07वर्ष 2002)

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम ,1947 एवं ग्राम पंचायत की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तरॉचल पंचायत अध्यादेश 2002 का प्रतिस्थानी अधिनियम

अध्याय–1

1– यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,1947 (उत्तरॉचल संशोधन) अधिनियम संक्षिप्त नाम और
2002 कहा जायेगा।

प्रारम्भ

2– इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरॉचल राज्य में होगा।
3– यह दिनांक 29,अप्रैल 2002 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–2

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,1947 (अधिनियम 26 सन् 1947) जिसे मूल अधिनियम कहा गया है,की धारा 12 के अन्त में नई उपधारा (3–क) का जोडा जानाः–

''इस अधिनियम क किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी जहॉ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिये उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहॉ राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त ,प्राधिकृत कोई अधिकारी,आदेश द्वारा ,प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रशासक छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसे कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये,पद धारण करेगा और ग्राम

पंचायत उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियॉ कृत्य और कर्तव्य यथासिथति ऐसे प्रशासक में निहित होगें और उसके द्वारा उनका प्रयोग,सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा''।

अध्याय–3

श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशसंख्या 2,वर्ष 2002 एतद्द्वारा वापस लिया जाता है।

आज्ञा से
(आर0पी0पाण्डेय)
सचिव,

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–2,खण्ड (क)
उत्तरॉचल शासन
(उत्तरॉचल अध्यादेश)
देहरादून,मंगलवार 02 जुलाई, 2002 , ई0
आषाढ 11,1924 शक सम्वत्
उत्तरॉचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 225 / विधायी एवं संसदीय एवं संसदीय कार्य / 2002

देहरादून ,02,जुलाई ,2002
अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करके राज्यपाल महो दय ने निम्नलिखित उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1916) (संशोधन) अध्यादेश,2002 पर दिनांक 02,जुलाई ,2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अध्यादेश संख्या,03,सन्2002 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1916) (संशोधन)
अध्यादेश,2002
(उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 03,वर्ष 2002)

नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तर प्रदे श नगरपालिका अधिनियम 1916 का उत्तरॉचल राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन करने के उद्देश्य से

अध्यादेश

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापितः–

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और श्री राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैः

अतएव अब संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति व प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. यह अध्यादेश उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916) (संशोध अध्यादेश 2002 कहा जायेगा।
2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2.उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा9(1)(क) का संसोधन धारा 9(1)(क) का संसोधन

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है)की धारा 9(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगीः–

''निर्वाचित सदस्य,जिनकी संख्या4 से कम और 45 से अधिक नहीं होगी,जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेंः

3. धारा 9–क का संसोधन

मूल अधिनियम की धारा 9–क के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द ''सत्ताईस'' पर शब्द ''चौदह''

4- धारा 13–ख का संसोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–ख में निम्नलिखित उपधारा (3) बढा दी जायेगीः–

''(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे,का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड(ग) तथा (ड)की सूचनाओं को छोडकर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगाः–

(क)क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ ? आरोप से उन्मोचित हुआ ह?या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामलें में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है,एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो?

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल,अचल सम्पत्तियों,बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचनाः

(घ) उस पर देनदारियों ,विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का सम य से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरणः

(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरणः

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित :

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरणः

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर,प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण,और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरणः

5. धारा 13–ग का संसोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–ग में निमनलिखित उपधारा (घ) बढा दी जायेगीः–

''(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी हों''

6. धारा 13–घ का संसोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–घ (घ) ,के बाद उपधारा–ढ,13–घ (छ) के बाद उपधारा (ज) तथा 13–घ (ट) के बाद उपधारा (ठ) (ड)(ढ) (ण) तथा (त) निम्नवत् बढा दिये जायेंगेः

(ज) ''उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की
तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ हैः'' या

(झ)''महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हैःया

(ठ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में,जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई ज्ञापन दिया जा सकता है,अंश या हित रखता हैः''या

(ड) किसी ऐसी संस्था,जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी हैः''या

(1) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के महत्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सडक या पटरी,नाली ,नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनिाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ करता हैःया

(2) नगर पालिका किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या युनियन का सदस्या या पदाधिकारीहैः''या नगर पालिका के अधिनियम ,नियम ,उपविधियॉ ,विनियम, शासनादेश का उल्लंघन नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।''

7. धारा 13–च का का पुरःस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 13–घ क बाद निम्नलिखित धारा 13 पुनःस्थापित कर जायेगीः

''मतदान की रीति–किसी वार्ड के प्रत्येक निवा।चन में,जहॉ मतदान लिया जाये,गूढ शलाका या वोटिंग मशीन द्वारा दिये जोयेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान नहीं लिया जायेगाः''

8.धारा 43–कक का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा–43'कक की उपधारा (2) (क) में उपधारा ''(ट) के उपधारा 13 घ के बाद उपधारा (ठ) (ड)(ढ)(ण) तथा (त) रख दिये जायेगें।

सुरजीत सिंह बरनाला,
राज्यपाल
उत्तरॉचल।

आज्ञा से ,
(आर0पी0 पाण्डेय)
सचिव।

पंजीकृत
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4,खण्ड (क)
उत्तरॉचल शासन
सामान्य परिनियम नियम
संख्या–2083 / नौ–2 (41अधि0) / 2002
देहरादून,सोमवार,26 अगस्त,2002 ई0
भाद्रपद 26,अगस्त,2002

अधिसूचना

सा0प0 नि0–026

चूँकि राज्य सरकार की राय में कुमायूँ और गढवाल परिक्षेत्र में जल सम्मरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं में एकरूपता एवं सुधार की दृष्टि से उक्त क्षेत्रों के लिये गठित गढवाल परिक्षेत्र जल संस्थान और कुमायूँ परिक्षेत्र जल संस्थान को आमेलित कर ''उत्तरॉचल जल संस्थान'' के नाम से निकाय गठित करना अपेक्षित है,तथा चूँकि ,उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम,2000 (अधिनियम संख्या–29,सन् 2000) की धारा 86 के अधीन उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 उत्तरॉचल राज्य में भी यथावत लागू है,अतएव उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 18 की उपधारा (1)(2)(3)(6)एव उपधारा (8) की उपधारा (ग) व (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ''कुमायूँ परिक्षेत्र जल संस्था'' एवं गढवाल परिक्षेत्र जल संस्थान को आमेलित कर इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से उत्तरॉचल जल संस्थान नाम निकाय गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं,और विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त जल संस्थान की उत्तरॉचल राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र की जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था पर अधिकारिता होगी और मुख्यलय देहरादून में होगा ।

आज्ञा से,
(पी0के0महान्ति)
सचिव,

पंजीकृत
संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून,शुक्रवार 08 नवम्बर 2002 ई0,
कार्तिक 17, 1924 शक सम्बत्

उत्तरॉचल शासन
आवास एवं शहरी विकास विभाग
संख्या 1073/श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002
देहरादून 08 नवम्बर 2002

अधिसूचना

चूँकि ,उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम ,2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरॉचल शासन,उत्तरॉचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को,आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन होः

चूँकि ,उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1966 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा 6त्र86 के अधीन उत्तरॉचल में यथावत् लागू हैः

अतः अब,उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 (अधिनियम संख्या 29,सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्दीयत) सेवा नियमावली ,1966 उत्तरॉचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1966) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1. (1) यह आदेश उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली ,1966 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना

2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली ,1966 में जहॉ–जहॉ पर शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है,वहॉ–वहॉ ''उत्तरॉचल पढा जायेगा।

आज्ञा से ,
(पी0के0 महान्ति)
सचिव,

उत्तरांचल शासन
आवास एवं शहरी विकास
संख्या–1152 / श0वि0आ–02–105(श0वि0)02
देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर 2002 ।

केन्द्र द्वारा पुरोधानित छोटे एवं मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना अर्न्तगत प्रदेश के विभिन्न स्थानीय निकाय क्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं क प्रभावी कियान्वयन,विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा समपादित किये जा रहे कार्यों का सम्न्वय,योजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण,प्रगति की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की एक नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति गठित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहष्र स्वीकृति प्रदान करते है।

समिति के सदस्य निम्नवत होगें:–

1– जिलाधिकारी	अध्यक्ष।
2– अध्यक्ष,नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत	सदस्य
3– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ,उत्तरांचल द्वारा प्राधिकृत सहायक, नियोजक स्तर का एक अधिकारी।	सदस्य
4– अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0या विभाग का जिला स्तर का अधिकारी।	सदस्य
5– अधिशासी अभियन्ता ,ऊर्जा निगम या विभाग का जिला स्तर का अधिकारी।	सदस्य
6– अधिशासी अभियन्ता,जल निगम या विभाग का जिला स्तर का अधिकारीं	सदस्य
7– अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित स्थानीय निकाय	सदस्य

2– उक्त समिति की बैठक दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

3– उक्त समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग अथवा निगम के किसी अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

4– इस समिति का कार्य योजनाओं का समयानुसार कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करना होगा।

(पी0के0महन्ति)
सचिव।

संख्या–1152 (1) श0विआ0–2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निमनालिखित को सूचनाप्रि एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
2– समस्त नगरपालिका / नगर पंचरायत उत्तरॉचल ।
3– निदेशक,स्थानीय निकाय,देहरादूनं
4– प्रभारी अधिकारी,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,उत्तरॉचल देहरादून।
5– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तरॉचलं
6– प्रबन्ध निदे शक,उत्तरॉचल ऊर्जा निगम

7— मुख्य अभियन्ता,उत्तरॉचल जल निगम ।

आज्ञा से ,
(पी0के0महन्ति)
सचिव,

पंजीकृत
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1,खण्ड (क)
(उत्तरॉचल अनिधिनियम)
देहरादून,शनिवार 21 दिसम्बर 2002 ई0,
अग्रहायण 30,1924 शक सम्वत्

उत्तरॉचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 455 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून 21 दिसम्बर 2002 ।

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरॉच (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम ,1916)(संसोधन) विधेयक,2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या–13,सन्2002 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916) (संधोधन)
अधिनियम 2002
(उत्तरॉचल अधिनियम सं0–13 वर्ष 2002)

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर नपालिका अधिनियम ,1916) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश 2002 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार

(i) यह अधिनियम उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम 2002 कहा जायेगा।

(ii) यह सम्पूर्ण उत्तरॉचल में लागू होगा।

(iii) यह तत्काल से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 9(1)(क) का संशोधन धारा 9(1)(क) का संशोधन

2. उत्तर पद्रेश नगर निगम अधिनियम 1916 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9(1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :

निर्वाचित सदस्य,जिनकी संख्या 4 से कम और 45 से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करें:

3. धारा 9–क का संशोधन

3 मूल अधिनियम की धारा 9–क के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द ''सत्ताइ स्थान पर शब्द''चौदह'' रख दिया जायेगा:

मूल अधिनियम की धारा 13–ख में निम्नलिखित उपधारा (3) [illegible] जायेगी:–

4. धारा 13–ख का संशोधन

''(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाऐं जैसे आवश्यक समझे,का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और

मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोडकर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगाः–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से

उन्मोचित हुआ है?या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें

दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकेती है,एवं मामले में आरोप निर्धारित हे चुके हो या न्यायालय ने

संज्ञान में लिया हो? का विवरणः

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल,अचल सम्पत्तियों,बैक बैलेंस आदि से

सम्बन्धित पूर्ण सूचनाः

(ध) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की

अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण :

(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वर्षिक आय का पूर्ण विवरणः

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित :

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरणः

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर,प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक

धनराशि का पूर्ण विवरण और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण :

5- धारा 13 ग का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–ग में निम्नलिखित उपधारा (घ) बढा दी जायेगीः–

''(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो''

6. धारा 13 घ का संशोधन

मूल अधिनियम की धरा 13–घघ,के बाद उपधारा–ड 13– घ (छ) के बाद उपधारा (ज) तथा 13–घ (ट) के बाद उपधारा (ठ) (ड) (ढ)(ण) तथा (त) निमनवत् बढा दिये जायेगें:–

''(ड) उसकी दे से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की

तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है''या

(ज) ''महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है''या

(ठ) किसी ऐसे सामाचार–पत्र में,जिसमें नगरपालिका के कार्यकलानों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है,अंश या हित रखता हैःया

(ड)किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है,का

वैतनिक कर्मचारी हैःया

''(ढ) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सडक या पटरी नाली,नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है यः या

''(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियिन का प्रतिनिधि या पदााधिकारी है य''या

''(त) नगरपालिका अधिनियम,नियम,उपविधियॉ,विनियम,शासनादेश का उल्लंघन करने,नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो''

मूल अधिनियम की धारा 13–घ के बाद निम्नलिखित धारा 13–च पुनः स्थापित कर दी जायेगीः– 7.धारा 13 च का पुरःस्थापन

''मतदान की रीति''–किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में जहॉ मतदान लिया जाये,मतगूढ शलाका या वोंटिग मशीन द्वारा दिये जायेगें तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगाः''

मूल अधिनियम की धरा 43–कक की उपधारा (2)(क) में उपधारा ''(ट)'' के बाद उपधारा 13 घ के बाद उपधारा (ठ) (ड)(ढ)(ण) तथा (त) रख दिये जायेगें। 8. धारा 43 कक का संशोधन

निरसन और अपवाद

9–(1) उत्तरॉचल (उत्तर पद्रेश नगरपालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) अध्यादेश 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तरांचल अध्यादेश सं0–3 सन! 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशेधित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के तत्समान उप–बन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
(यू0सी0 ध्यानी)
अपर सचिव,

पंजीकृत
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1,खण्ड (क)
(उत्तरॉचल अनिधिनियम)
देहरादून,शनिवार 21 दिसम्बर 2002 ई0,
अग्रहायण 30,1924 शक सम्वत्

उत्तरॉचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 456 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून 21 दिसम्बर 2002 ।

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरॉच (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम ,1959)(संसोधन) अधिनियम,2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या–19,सन्2002 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1959) (संधोधन)
अधिनियम 2002
(उत्तरॉचल अधिनियम सं0–19 वर्ष 2002)

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर नपालिका अधिनियम ,1959) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश 2002 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

1.संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार

(i) यह अधिनियम उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) (संशो अधिनियम – 2002 कहा जायेगा।

(ii) यह सम्पूर्ण उत्तरॉचल में लागू होगा।

(iii) यह तत्काल से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2.उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धरा 6 का संशोधन

2 उत्तर पद्रेश नगर निगम अधिनियम 1959 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 6 के स्थाान पर शब्द ''साठ'' के स्थान पर शब्द ''बीस'' तथा शब्द ''ए सौ दस'' के स्थान पर शब्द पैंतालीस रख दिया जायेगाः

3. धारा 7(1) का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 7(1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द ''सत्ताईस'' के स्थान पर शब्द चौदह रख दिया जायेगाः

4. धारा–24 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 24 में निम्नलिखित खण्ड (घ) बढा दिया जायेगाः–

(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न होः

मूल अधिनियम की धारा 25 (1) खण्ड (ट) के बाद निम्नलिखित धारा बढा दिये जायेगें–

(ठ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ हैःया

(ड) महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हैःया

(ढ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में,जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता हैःया

(ण) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है,का बैतनिक कर्मचारी हैःया

(त) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सडक या पटरी ,नाली पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता हैःया

(थ) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधित्व या पदाधिकारी हैःया

(द) नगरपालिका के अधिनियम,नियम उपविधियॉ ,विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया है''

मूल अधिनियम की धारा 44 में शब्द ''मत गूढ शलाका'' के बाद शब्द ''अक्वा वोटिंग मशीन'' रख दिया जायेगाः

मूल अधिनियम की धारा 45 में निम्नलिखित उपधारा(3) बढा दी जायेगीः–

''(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे,का शपथ बढाया जाना पत्र के साथ घोषण पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनओं को छोडकर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगाः–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें मे दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उम्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामलें में अभियुक्त रहा जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है,व मामलें में अरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, का विवरणः

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल,अचल सम्पत्तियों,बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना :

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में,उसका पूर्ण विवरण :

(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरणः

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित :

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरणः

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर,प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण :

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरणः

8.धारा 177 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा–177 मेः–

(क) उपधारा (ग) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगीः–

''(ग) भवन जो एक मात्र स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते है,तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो''

(ख) उपधारा (ज) निकाल दिये जायेंगें।

(1) उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (संशोधन) अध्यादेश,2002 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद अधिनियम 1959 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
(यू0सी0 ध्यानी)
अपर सचिव,

संख्या–1472 / श0वि0आ0–03–100(सा)श0वि0 / 2003।

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन,

सेवा में,

1–आयुक्त,
कुमायूँ / गढवाल मण्डलं
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल।

आवास /शहरी विकास अनुभाग, देहरादून दिनांक 22 मई 2003।

विषयः– प्राइवेट डॉक्टरों से लिए जा रहे लाइसेंस शुल्क को अस्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा तात्कालिक प्रभाव से,अग्रिम आदेशों तक,प्रदेश के अन्दर प्राइवेट डाक्टरों से लिए जा रहे लासेंस शुल्क को आस्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(पी0के0महान्ति)
सचिव,

संख्या–1472 / श0वि0आ0–03–100 / सा (श0वि0) त्र / 2003,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) नगर प्रमुख,नगर निगम,देहरादून।
(2) समस्त अध्यक्ष,नगर पालिकाउ परिषद / नगर पंचरायत उत्तरॉचल।
(3) विभागीय आदेश पुस्तिकां

आज्ञा से ,
(जी0बी0ओली)
अनुसचिव,

उत्तरॉचल शासन,
वित्त अनुभाग–1
संख्याः 617/XXVII (1)/2005
देहरादूनः: दिनांक : 30 अप्रैल 2005।
विज्ञप्ति

भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 (झ) व 243 (म) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित रूप में उत्तरॉचल राज्य का द्वितीय राज्य वितत आयोग(पंचायती राज ओर स्थानीय निकाय) का सहर्ष गठन करते हैः–

1– डा0 जी0सी0 श्रीवास्तव ,सेवानिवृत्त आई.ए.ए. आयोग के अध्यक्ष होगें।

2– डा0 बी0के0 जोशी,भूतपूर्व कुलपति ,कुमायूं विश्वविद्यालय ,नैनीताल आयोग के सदस्य होगें।

3– श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिव वितत,उत्तरॉचल शासन आयोग के सचिव काय कार्य भी देखेगें।

4– राज्य वित्त आयोग पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा तथा श्री राज्यपाल को निमनलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियॉ देगाः–

(अ) सिद्धान्त ,जो संनियमित करेगें:–

(क) राज्य और ग्राम पंचायतों,क्षेत्र पंचायतों,जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों,शुल्कों,पथकरों ओर फीसों के शुद्ध आगम,जो संविधान के भाग–9व 9–क के अधीन उनमें विभाजित किये जाने हैं,या विभाजित किये जाएं के टिप्पणी के बारे में और उक्त सभी स्तरों की पंचायतों ओर नगनीय स्थानीयों के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी अंश के आवंटन के बारे मे।

(ख) ऐसे करों,शुल्कों,पथकरों,और फीसों ,जिन्हें ग्राम पंचायतों,क्षेत्र पंचायतों ,जिला पंचायतों ओर नगरीय स्थानीय निकायों को समुनुदेशन किया जाना है अथवा जिन्हें उनके द्वारा हस्तगत किया जाना है,के अवधारण के बारे में।

(ग) राज्य सरकार की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों,क्षेत्र पंचायतों,जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।

(ब) ग्राम पंचायतों ,क्षेत्र पंचायतों ,जिला पंचायतों,और नगरीय स्थानीय निकायों की विततीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों के बारें में।

(स) कोई अन्य विषय,जिन्हें राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों,क्षेत्र पंचायतों ,जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।

5– राज्य वित्त आयोग अपनी संस्तुतियॉ देने में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखेगाः–

(1) राज्य सरकार के राजस्व स्राोत कया है और उनके अपेक्षायें कया हैं,विशेषकर नागरिक प्रशासन व ऋण सेवा पर होने वाला व्यय और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्व।

(2) उपयुक्त स्तर पर पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये कार्य और अनुच्छेद –243–छ तथा 243–ब के अर्न्तगत उन्हें सौंपी गयी योजनाओं के कियान्वयन से सम्बन्धित उनके दायितवों पर होने वाली देयता।

(3) सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरीय स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढाने की क्षमता के आधार पर अगले पॉच वर्षो के लिए राजस्व संसाधन तथा अतिरिक्त संसाधन एकत्रित करने के लिए किये गये लक्ष्य और इस दिशा में किये गये कर प्रयास ।

(4) अन्तरित की जाने वाली राशि के सापेक्ष पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुरूप प्रयासः

(5) वित्तीय प्रबन्धउ में सुधार के साथ ही साथ संघठनात्मक ढॉचे को सरलीकृत करने की सम्भावना,जो प्रशासन में दक्षता और व्यय में मितव्ययता के सुसंगत हों:

(6) पूंजीगत परिसम्पत्तियों का रख–रखाव व अनुरक्षण ओर उन आयोजनागत योजनाओं पर अनुरक्षण व्यय जो इन निकायों को सौंपी गई हो व जो दिनांक 31 मार्च, 2006 तक पूर्ण हो जाये।

(7) आयोग नगरीय स्थानीय निकायों व सभी स्तरों पर पंचायतों की दिनांकः31 मार्च,2006 को यथा विद्यमान ऋण स्थिति का आंकलन करेगा और ऐसे सुधारात्मक उपाय बतयेगा, जो राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक समझे जायें।

(8) आयोग इस प्रश्न पर भी अपनी सुस्पष्ट संस्तुति देगा कि यदि वित्तीय संवितरण की नई व्यवस्था के बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध धनराशि आयोजनागत पक्ष के लिये पूरी नहीं पड़ती तो उसकी प्रतिपूर्ति एवं आयोजनेत्तर पक्ष दोनो के व्यय के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार हो।

(9) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा कार्मियों के आकार का सही निर्धारण।

(6) राज्य वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित शक्तियॉ होंगीः–

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी सूचना अथवा अभिलेख को मांग सकता हैः

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता हैः

(ग) राज्य वितत आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगाःऔर

(घ) ऐसी अन्य शक्तियॉ ,जैसी नियत की जाएं।

7– राज्य वित्त आयोग पूर्वोक्त प्रतयेक विषय उपर दिनांक 01 अप्रैल,2006 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

आज्ञा से तथा
राज्यपाल,उत्तरांचल के नाम से,
इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

संख्याः617 / XXVII (1) / 2005,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आदेशित कियाउ गया कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट,उत्तरांचल में प्रकाशित किया जाय।

2– आदेशित किया गया कि इस विज्ञप्ति की प्रति मुख्य सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त को भेजी जाय।

3–आदेशित किया गया कि इस विज्ञप्ति की प्रति उत्तरांचल शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव को तथा समस्त अनुभागों को भेजी जाय।

4–आदेशित किया गया कि इस विज्ञप्ति की प्रति सभी विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षों को भेजी जाय।

5–आदेशित किया गया कि इस विज्ञप्ति की प्रति पंचायती राज,स्थानीय निकाय तथा ग्राम्य विकास और सभी क्षेत्रीय / मण्डलीय अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ भेजी जाय कि वे सब अपनेउ अधीनस्थ इकाईयों को प्रति उपलब्ध का दें तथा उन्हें आवश्यक काग्रवाही के लिए निर्देशित करें।

6–आदेशित किया गया कि इस विज्ञप्ति की प्रति सभी नगर निगमों,नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों और सभी ग्राम पंचायतों,क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को भेजी जाय।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

पंजीकृत
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1,खण्ड (क)
(उत्तरॉचल अनिधिनियम)
देहरादून,सोमवार,31 जनवरी 2005 ई0,
माघ 11,1929 शक सम्वत्

उत्तरॉचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 423 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005
देहरादून 31 जनवरी 2005 ।

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 2000 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरॉच (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम ,1959)(तृतीय संसोधन) विधेयक ,2005 पर दिनांक 29 जनवरी 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या–12,सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1959) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2005।

(उत्तरॉचल अधिनियम सं0–12 वर्ष–2005)
(भारत मण्राज्य के पचपनवे वर्ष में उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

संक्षिप्त नाम

संक्षिप्त नाम 1–यह अधिनियम उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) अनकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम,2005 कहा जायेगा।

उत्तरॉचल (उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 की धारा 15 में संशोधन

2–उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश ,2002 (जिससे यहॉ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे। अर्थात–

''(ख) उपनगर प्रमुख्य की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष और छः माह या सभासद के रूप में शेष कार्यकाल के लिये जो भी कम हो ,होगी।

(ग) खण्ड (ख) के उपबन्ध ऐसे किसी उपनगर प्रमुख पर भी लागू होगें जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों।

मूल अधिनियम की धारा 16 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्न रख दिया जायेगाः– अर्थातः–

नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख का हटाया जाना

(1) जहॉ राज्य सरकार का यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(क) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख की रफ से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कोई चूक हुई हैः

(ख) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख ने–

(एक) धारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली हैःया

(दो) धारा 463 के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित,चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो,जान–बूझकर अर्जित किया हैः या

(तीन) जान–बूझकर किसी ऐसे मामले में ,जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदारी द्वारा कोई अंश या हित हो,चाहे व धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो या जिसमें किसी मुदक्किल ,मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर उसका वृत्तिक रूप में निहित था,या नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में जान–बूझकर किसी ऐसे मामले में,कार्य किया है,या

(चार) निगम के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरूद्ध या राज्य सरकार के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरूद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो,कार्य किया है या उपस्थित हुआ हैः

(पॉच) नगर निगम के नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान को परित्याग कर दिया हैःया

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा हैःया

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी अवधि के सभापति या सभासद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से चाहे जो भी हो,कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूप्रयोग किया है,या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी निगम,विनियम या उपविधि का जान–बूझकर उल्लघंन किया है,या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि,या क्षति पहुंचायी है जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर बने रहने के अयोग्य बना देती हैःया

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के या उपनगर प्रमुख के रूप में या सभासद के रूप में किया है

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य कियाः या

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है या किसी निगम द्वारा इस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाये ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया हैःया

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या श का जान–बूझकर उल्लंघन किया हैः–या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया हैःया

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन या हैः या

(चौदह) निगम की भूमि भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया या किसी अन्य व्यक्ति की अतिक्रमण करने में सहायता की है,या

दुष्प्रेरित किया है वह उससे नोटिस में विर्निदिष्ट अवधि के भीतर या कारण बताने की अपेक्षा कर सकगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये।

(2) राज्य सरकार ,नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जॉच कने के पश्चात् जैसी वह आवश्यकता समझे ,करणों को अभिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख ,सभासद भी नहीं रह सकेगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) आर (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा''

4—मूल अधिनियम की धारा—51 में—
(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी,अर्थत— ''(2) उपनगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति का पदेन उपसभापति होगा।''
(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,
आई0जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव,

पंजीकृत
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू
पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गजट ,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1,खण्ड (क)
(उत्तरॉचल अनिधिनियम)
देहरादून,सोमवार,31 जनवरी 2005 ई0,
माघ 11,1929 शक सम्वत्

उत्तरॉचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 422 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005
देहरादून 31 जनवरी 2005 ।

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 2000के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरॉच (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम ,1916)(तृतीय संसोधन) विधेयक ,2005 पर दिनांक 29 जनवरी 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या–11,सन्2005 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916) (तृतीय संधोधन)
अधिनियम 2005
(उत्तरॉचल अधिनियम सं0–11 सन्2005)
(भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित)
उत्तरॉचल

(उत्तर प्रदेश नगर नपालिका अधिनियम ,1916) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश 2002 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिकि अधिनियम 1916) (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2005 कहा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 54 का संशोधन

2–उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम ,1916) अनकूल एवं उपरान्तरण आदेश 2002 जिससे यहॉ पर मूल अधिनियम कहा गया है,की धारा 54 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगीः अर्थात :–
(2) उपाध्यक्ष की पदावधि उसके निर्वाचख्न के दिनांक से दो वर्ष छः `माह या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि,इसमें जो भी कम होः होगी ।
(3) उक्त उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसे किसी उपाध्यक्ष पर भी लागू होगें,जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये हों।

मूल अधिनियम (संख्या–2, सन् 1916) की धारा 47–क का निकाला जाना

3– मूल अधिनियम की धारा 47–क निकाल दी जायेगी।

धारा 48 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 48 में–

(क) उपधारा (2) खण्ड (ख) में,उपखण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढा दिये जायेंगेः– अर्थात–

(नौ) नगर पालिका की किसी सम्पति को हानि या क्षति पहुंचायी होःया (दस) नगरपालिका की निधि का दुर्विनियोग या दुरूप्रयाग किया हैःया (ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया हैः या (बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया हैःया

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि किसी बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है,या ऐसा `करने के लिए किसी प्रेरित किया हैःया

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया हैःया

(पन्द्रह) नगर पालिका के अधिकारियों या कर्मचखरियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया हैःया

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य पर व्ययन किया हैःया

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि ,भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है,किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है।

(ख) उपधारा (2–क) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

5–मूल अधिनियम की धारा 87–क निकाल दी जायेगी।

6–मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) में–

(क) शब्द ''दस हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द '' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रूपये'' रख दिये जायेगें।

(ख)शब्द ''तीन हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रूपये'' रख दिये जायेगें।

(ग) परन्तुक में शब्द ''बीस हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रूपये'' रख दिये जायेगें।

आज्ञा से ,
आई0जे0मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

विभाग– 22

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–4
संख्या– सा–4–586 / दस–95–201 / 76
लखनऊः दिनांकः 12 सितंबर, 1995

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैंड बुक, खंड–दो भाग दो से चार में दिये गये फंडामेंटल रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

उत्तर प्रदेश फाउंडामेंटल (प्रथम संशोधन) नियमावली 1995,
(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फंडामेंटल (प्रथम संशोधन) नियमावली 1995 कही जाएगी।

(2)– यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

फंडामेंटल रूल्स 81 ख–(2) का संशोधन

2– फाइनेन्शियल हैंड बुक खंड दो भाग दो से चार में दिए गए फंडामेंटल रूल्स में नियम 81–ख में उप नियम (2) में नीचे स्तंभ 1 में दिये गये खंड (दो) के स्थान पर नीचे स्तंभ–2 में दिया गया खंड रख दिया जाएगा अर्थातः–

स्तंभ–1	स्तंभ–2
वर्तमान खंड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खंड
	(दो) इस नियम के अधीन तब तक कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदन छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित संभावना है। (सब्सीडियरी रूल 87 भी देंखें) प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय है तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा।

आज्ञा से
वी0के0मित्तल
प्रमुख सचिव

संख्या– सा–4–586 (1) / दस–95 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार आडिट प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— महालेखाकार लेखा प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3— सचिव विधान सभा/विधान परिषद विधान भवन लखनऊ
4— सचिवालय के समस्त अनुभाग
5— समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

संख्या– ए–1–164 / दस–97–10 (4) / 85

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 1997

विषय– मानक मदों के अनुसार प्रचलित देदक प्रपत्रों में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या– बी–1–2693 / दस–15 / 1995 दिनांक 31 अक्तूबर 1996 द्वारा पूर्व प्रचलित 32 मानक मदों के स्थान पर 42 मानक मद लागू किये गए हैं। मानक मदों में वृद्धि के कारण प्रचलित देयक प्रपत्रों में नियमानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(1) शासनादेश संख्या ए–1–78 / दस–92–10(4) / 85 दिनांक 20 जनवरी 1992 द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से लागू देयक प्रपत्र रिकार्ड कोड संख्या 101, 102, 103, 104, 105 के क्रम संख्या 02 में आहरण एवं वितरण अधिकारियों के कोड संख्या के लिए निर्धारित 3 केज के स्थान पर 4 केज होंगे।

(2) वेतन देयक प्रपत्र (रिकार्ड कोड 101 में) उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित संशोधन किया जाता हैः–

(अ) बजट की वर्तमान स्थति शीर्षक के अंतर्गत पूर्व से मुद्रित मानक मद का नाम और कोड में संशोधनः–

पूर्व मानक मद का नाम व कोड	संशोधित मानक मद का नाम एवं कोड
01–वेतन	01– वेतन
03–महंगाई भत्ता	03–महंगाई भत्ता
05–अन्य भत्ते	06–अन्य भत्ते
.....	07– मानदेय
32– अंतरिम सहायता	38–अंतरिम सहायता

ब– वेतन देयक प्रपत्र रिकार्ड कोड 101 के दाहिने और मुद्रित मानक मदों संशोधनः–

पूर्व मानक मद का नाम व कोड	संशोधित मानक मद का नाम एवं कोड
01–वेतन	01– वेतन
03–महंगाई भत्ता	03–महंगाई भत्ता
05–अन्य भत्ते	06–अन्य भत्ते
.....	07– मानदेय
32– अंतरिम सहायता	38–अंतरिम सहायता

स– वेतन देयक प्रपत्र के अन्दर पृष्ठ में प्राविधानित वेतन मदों में आहरणों के विभिन्न मदों के लिए निर्धारित स्तंभ–7 में मानदेये मुद्रित कराया जाएगा।

3– यात्रा भत्ता देयक (रिकार्ड कोर्ड 102 में) उपर्युक्त प्रस्तर–1 पर उल्लिखित संशोधन के साथ–साथ निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन किये जायेंगे।

अ– देयक रिकार्ड कोड 102 के शीर्ष पर यात्रा भत्ता देयक प्रपत्र के स्थान पर यात्रा व्यय/स्थानांतरण यात्रा व्यय देयक प्रपत्र लिखा जायेगा।
ब– बजट की वर्तमान स्थिति शीर्षक के ऊपर अंकित 04 मानक मद और इसके अंत में अंकित 04 यात्रा भत्ता के स्थान पर निम्नलिखित दो पंक्तियां अंकित की जायेंगी।
04– यात्रा व्यय
05– स्थानांतरण यात्रा व्यय
4– उपरोक्तानुसार जब तक नये संशोधित प्रपत्र निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जब तक पूर्व से प्रचलित देयक प्रपत्रों पर उपरोक्तानुसार संशोधन कर आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा देयक प्रपत्र कोषागार को प्रस्तुत किये जायेंगे। निदेशक, कोषागार उपरोक्तानुसार संशोधित प्रपत्र छपवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 1.4.97 से लागू की जाएगी।

भवदीय
(शेखर अग्रवाल)
सचिव

संख्या–ए–1–164/दस–97–10 (4)/85 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– निदेशक, कोषागार उ0प्र0 1018 जवाहर भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इन संशोधनों के संबंध में समस्त कोषाधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दें तथा कोषाधिकारियों को यह निर्देशित करें कि वे अपने स्तर से जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को उपरोक्त संशोधन को सूचित करने का कष्ट करें। संशोधित प्रपत्र प्राप्त न होने तक आहरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रपत्र संशोधित कर कोषागार में पारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ
5– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0
6– सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को (उनके अधिष्ठान अनुभाग के प्रयोगार्थ)

7– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
8– सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय उ0प्र0 को उनके लेखा अनुभाग के प्रयोगार्थ।
9– प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उ0प्र0 को उनके लेखा अनुभाग के प्रयोगार्थ
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखा सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से
(ध्रुव नारायण तिवारी)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
(वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3–268 / दस–901 / 94
लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 1997
शुद्धि पत्र

राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत की स्वीकृति।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–सा–3–जी0आई–11 / दस–901 / 94 दिनांक 13 सितंबर 1995 के पैरा–3 में की गई व्यवस्था के संबंध में शासन को शंकायें सदर्भित हुई है, जिनका स्पष्टीकरण निम्न रूप से किये जाने का आदेश हुआ हैः–

प्रस्तर–3 की वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तर–3 की एतद्द्वार संशोधित व्यवस्था
3–अंतरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाये। इस घटक पर कोई महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। अंतरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को निकटतम रूपये में बदल दिया जाये	अंतरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाये। इस घटक पर कोई महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। अंतरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को रूपये में बदल दिया जाये।

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव

सेवा में,
1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3– सचिव विधान सभा / विधान परिषद उ0प्र0 लखनऊ
4– राज्यपाल सचिवालय
5– समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी
6– महालेखाकार द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0इलाहाबाद
7– निदेशक, कोष्ज्ञागार उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ
8– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0
9– निदेशक, पेंशन निदेशालय इंदिरा भवन लखनऊ
10– मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस, सिंचाई, सा0नि0वि0 राजस्व विभाग, वन, खाद्य एवं रसद, उद्योग, कृषि विकास पशुपालन, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा / परिषद सचिवालय विभाग।
11– पेंशनर्स संघों को निर्धारित सूचना के अनुसार

आज्ञा से

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

संख्या–सा–3–268 (1) / दस–901 / 94

प्रतिलिपि–निम्नलिखित प्रत्येक को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– 1– मैनुजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय पोस्ट नं0–512 बंबई 40002
2– जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 14 इंडिया एक्सचेंज प्लसे, कलकत्ता।

3– जनरल मैनेजर, बैंक आफ बडौदा, केंद्रीय कार्यालय ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम पोस्ट बाक्स न0–6058–3 फजल रोड आफ कफूपरेड कौलाबा बंबई–।।
4– जनरल मैनेजर, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय चन्दरमुखी नान प्वाइंट बंबई, 40002
5– जनरल मैनेजर, पंजाब बैंक 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली (100 प्रतियां)
6– जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग 29 बैकव रिवल्मेशन, नारीमन प्वाइंट बंबई 400020
7– जनरल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स होम प्वाइंट, पोसट बाक्स नं0 234 बंबई 40002 (एक प्रति)
8– रीजनल मैनेजर इंडिया ओवरसीज बैंक प्रधान कार्यालय, 151 माउंट मद्रास–2
9– जनरल मैनेजर यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, प्रधान कार्यालय।
10– जनरल मैनेजर, कैनारा बैंक प्रधान कार्यालय 112 जयचम राजेंद्र रोड बाक्स नं0 41 नं0 0648 बंगलौर–2
11– जनरल मैनेजर, सिन्डीकेंट, बैंक प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नंबर 1 मनी क0(कर्नाटक स्टेट।
12– जनरल मैनेजर, देना बैंक प्रधान कार्यालय देवकरन..... पोस्ट बाक्स नं0 41 फोर्ट बंबई 40000।
13– जनरल मैनेजर, इंडियन बैंक प्रधान कार्यालय इंडियन बैंक बिल्डिंग पोस्ट बाक्स नं0– 1348, 17 नार्थ बी रोड मद्रास–1।
14– जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय, 1177 बुधवार पीठ बाक्स नं0–514 पूना–2।
15– मैनेजर स्टेट बैंक आफ पटियाला–28 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली 110001।
16– मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग जयपुर 302005 (500 प्रतियां)
17– चीफ मैनेजर (वित्त एवं लेखा) स्टेट बैंक आफ टावनकोर मुख्य कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0 34 त्रिवेंद्रम 69500।

आज्ञा से
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

संख्या–बी–1–1134 / दस–16 / 94 / 1998

प्रेषक,

आलोक रंजन
सचिव, वित्त (बजट संसाधन एवं वेतन आयोग)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 1998

विषय– राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन बिलों को कंप्यूटर से तैयार किया जाना तथा वेतन भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाना।

महोदय,

आपका ध्यान राज्य सरकार के कर्मचारियों की कंप्यूटराईज्ड डेटा बेस सूचना तैयार किए जाने के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–बी–1 – 645 / दस–16 / 94 / 1998 दिनांक 10 मार्च, 1998 की ओर आकर्षित करते हुए आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विभागाध्यक्षों / प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कर्मचारी / अधिकारियों के वेतन बिल कंप्यूटर के माध्यम से ही तैयार किये जायें और उनके वेतन का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाए। इस संबंध में एन0आई0सी0 (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) द्वारा एक पैकेज विकसित किया गया है। वेतन बिलों को कंप्यूटर से तैयार करने में उक्त पैकेज का ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

1– जिला स्तर के कार्यालयाध्यक्ष जिनके पास कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो उनके लिए भी वेतन बिल कंप्यूटर से ही तैयार किए जाने की अनिवार्यता होगी। जिन कार्यालयाध्यक्षों क`पास स्वयं के कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है उनके लिए यह विकल्प होगा कि वे अपने बिल जिले के अन्य कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयों से, जहां कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध हो, तैयार करायें या जनपद स्थित जिला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कार्यालयों से सहायता लें। यदि कंप्यूटर पर बिल तैयार किये जाने में कोई कठिनाई हो तो जिलाधिकारी के माध्यम से समस्या का निराकरण किया जाय।

3– राष्ट्रीयकृत बैंकों से भुगतान का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी अपनी सुविधानुसार अधीनस्थ कार्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के खाते किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक मे खुलवा लेंगे तथा कोषागारों से बिल पारण के बाद प्राप्त होने वाले चैकों को कंप्यूटर सूची के साथ बैंक में जमा करायेंगे। इस निमित्त वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड–5 भाग–1 में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

4– विभागाध्यक्षों / प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के कंप्यूराइज्ड वेतन बिल के देयकों का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जाना संभव न हो तो विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए नगद भुगतान करायें परन्तु भुगतान की जिम्मेदारी प्रत्येक दशा में उनकी ही होगी।

5– प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों के लिए यह भी अनिवार्यता होगी कि राज्य कर्मियों के जी0पी0एफ, भवन निर्माण, भवन मरम्मत, अग्रिम अथवा पेंशन राशिकरण आदि का भुगतान जिनकी धनराशि सामान्यतः बहुत अधिक होती है का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

आलोक रंजन
सचिव, वित्त (बजट संसाधन एवं वेतन आयोग)

संख्या–बी–1–1134(1)/दस–16/94/1998 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि इसकी मानिटरिंग नियम रूप से करते रहें।

2– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ

3– समस्त कोषाधिकारी,

4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन

5– इरला चैक अनुभाग,

6– सचिवालय के समस्त अनुभाग

7– तकनीकि निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, योजना भवन लखनऊ।

आज्ञा से
विजय बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या बीमा–325/दस–98

प्रेषक,

श्री कैलाश चंद्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (बीमा) अनुभाग लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 1998

विषय– उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना में संशोधन

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त सरकारी सेवकों के उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना संबंधी कार्यों हेतु मंडल स्तर पर संयुक्त निदेशक, कोषागार को पदेन संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना सहर्ष नामित करते हैं।

2– उक्त व्यवस्था के अधीन दिनांक 1 अप्रैल, 1998 से समस्त मंडलों के संयुक्त निदेशक, कोषागार (पदेन संयुक्त निदेशक, सामूहिक बीमा) अपने मंडल में स्थापित समस्त सरकारी कार्यालयों में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सेवकों के उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमाम एवं बचत योजना से संबंधित समस्त अभिलेखों की अपने स्तर पर अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

3– सामूहिक बीमा योजना से संबंधित वादों का प्रतिवाद एवं पैरवी अब संबंधित मंडल के संयुक्त निदेशक, कोषागार द्वारा की जायेगी। संयुक्त निदेशक, कोषागार अपने मंडल के अंतर्गत स्थापित सरकारी कार्यालयों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी अभिलेख आदि के निरीक्षण करेंगे और अपनी आख्या एक–एक प्रति अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनऊ तथा शासन को प्रेषित करेंगे।

4– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यों का संपादन करने के लिए संयुक्त निदेशक, कोषागार को कोई अतिरिक्त सुविधा अथवा स्टाफ नहीं अनुमन्य कराया जायेगा।

5– अग्रेत्तर मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उन समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों, जिनके वे आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं, के उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना संबंधी समग्र विवरण का एक सेट अपने मंडल के संयुक्त निदेशक, कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इन विवरणों को मूलतः अपने कार्यालय में भी अनुरक्षित करते रहे और प्रत्येक माह नियमित रूप से विवरणों को अद्यतन कराते रहे।

भवदीय

कैलाश चंद्र श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या–बीमा–325(1)/दस–98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ
3– समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग
5– श्री राज्यपाल का सचिवालय
6– विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

7– अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनऊ।

आज्ञा से
रामगोपाल मौर्य
अनुसचिव

संख्या–2512 / 1–4–97–87–बी–4 / 82

प्रेषक,

श्रीमती शारदा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 1998

विषय– प्रतिशत के आधार पर उच्चीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2800 / 12–191 ए / 96 दिनांक 17 मार्च, 1997 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे विभाग जहां स्टाफिंग पैटर्न लागू है वहां दिनांक 1.1.96 से पूर्व लागू पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत किसी लिपिकीय कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य नही हो, परन्तु यदि ऐसे पद धारकों को जिन्हें स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत उच्चीकृत वेतनमान का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें दिनांक 1.1.86 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में भी समयमान वेतनमान का लाभ न दिया जायेगा तो यह उनके लिए कठिन स्थिति पैदा करेगा। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1.1.86 से लागू पुनरीक्षित व्यवस्था के अंतर्गत शासनादेश दिनांक 3.6.89 के आधार पर समयमान वेतनमान की सुविधा का लाभ संबंधित पद पर निर्धारित सेवा अवधि एवं अन्य शर्तों की पूर्ति पर पुनरीक्षित वेतनमानों में विकल्प की तिथि या उसके वाद जैसी स्थिति हो अनुमन्य किये जाने में आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, परन्तु जो पद धारक स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत उच्चीकृत वेतनमान का लाभ पा चुके हैं, उनके संबंध में निर्धारित सेवा अवधि की गणना उच्चीकृत वेतनमान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी। प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया

शारदा सिंह
उप सचिव

संख्या–सा–4–161/दस–98–604/82 तद्दिनांक

प्रेषक,

श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी 1998

विषय– सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा को स्वीकृत करने के शासनादेश संख्या–सा–4–62 /दस–96–604/82 दिनांक 10 मार्च 1996 द्वारा विस्तृत अनुदेश निर्गत किये गये थे। उक्त सुविधा के संबंध में शासन को कतिपय प्रश्न संदर्भित हुए हैं, जिनके संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण किये जा रहे हैं।

उठाये गए प्रश्न	स्पष्टीकरण
1–अवकाश यात्रा निजी कार/बस से अनुमन्य है अथवा नहीं ?	अवकाश यात्रा सुविधा निजी कार (जों कि रूपयं की हो) या उधार अथवा किराये पर ली गई है अथवा चार्टेड बस, बैन अथवा अन्य ऐसे वाहन से अनुमन्य नहीं है तो कि निजी स्वामित्व के हो अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हों, किन्तु ऐसी परिवहन सेवायें, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम या अन्य राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायद्वारा संचालित की जाती है तो ऐसे वाहनों से यात्रा की जा सकती है। अवकाश यात्रा निजी बस से उसी स्थिति में अनुमन्य होगी जबकि ऐसे वाहन नियमित सेवा के रूप में निश्चित अंतराल पर निर्धारित किराये पर एक स्थान से दूसरे स्थ्ज्ञान हेतु राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुमोदन से संचालित हो।
2– कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित का अभिप्राय क्या है	उक्त संदर्भ में परिवार की वही परिभाष मान्य है तो कि वित्तीय नियम संग्रह खंड–3 के नियम–6 में स्थानांतरण के संबंध में दी गई है। किन्तु परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किसी ऐसे सदस्य को जो भले ही कर्मचारी के साथ रह रहा हो जिसकी सभी श्रोतों से मिलाकर कुल आय रू0 1500/ प्रतिमाह से अधिक है, कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जायेगा तथा इस स्थिति में परिवार के उक्त सदस्य को अवकाश यात्रा अनुमन्य नहीं होगी।
3– राज्य कर्मचारी(यथा स्थिति) पति/पत्नी रेलवे कर्मचारी हो तो क्या राज्य कर्मचारी को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी	यूंकि रेलवे कर्मचारियों को भारत के किसी भी भू भाग पर रेल द्वारा जाने–आने हेतु निःशुल्क रेलवे पास उपलब्ध कराये जाते हैं। अतः अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) रेलवे में कार्यरत है अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
4– कर्मचारी द्वारा अवकाश यात्रा संबंधी कपटपूर्ण दावा	यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के विरूद्ध कपटपूर्ण दावा प्रस्तुत करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है तो इस स्थिति में निम्न प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित होगी :– क–संबंधित कार्मिक अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने तक अवकाश यात्रा सुतिवधा का उपभोग नहीं कर सकेगा। ख–यदि अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने पर संबंधित

कर्मचारी किसी दंड का भागीय होता है तो उस स्थिति में पारति दंड के अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा भविष्य के लिए भी समाप्त मानी जायेगी तथा इस स्थिति में नियंत्रक अधिकारी को संपूर्ण तथ्यों का लिखित रूप में उल्लेख करना भी आवश्यक होगा।

ग– यदि कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर पूर्णतः दोषमुक्तपाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सामान्य रूप से अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के अतिरिक्त पूर्व में रोकी गई अवकाश यात्रा सुविधा भी अनुमन्य होगी। संबंधित कर्मचारी को इस स्थिति में इस सुविधा का उपभोग अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने से पूर्व करना होगा।

5– अवकाश यात्रा सुविधा संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या–सा–4–62/दस–96–604/82 दि0 18 मार्च 1996 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में स्वीकृत अग्रिम धनराशि की एकमुश्त वसूली के अतिरिक्त क्या दंड स्वरूप ब्याज की वसूली भी की जाएगी यदि हो तो किस दर से

यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अवकाश यात्रा एवं अग्रिम स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में अग्रिम धनराशि की एकमुश्त वसूली के साथ ही स्वीकृत अग्रिम पर सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर के अनुसार ब्याज के साथ ही दंड स्वरूप 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की वसूली किया जाना भी आवश्यक होगा।

6– संपादित यात्रा के संबंध में अनिवार्य साक्ष्य के रूप में टिकट नंबर/रसीद आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य है अथवा नहीं

अवकाश यात्रा सुविधा संबंधी शासनादेश दि0 18 मार्च 1996 के अनुलग्नक के प्रस्तर–22 में सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की गई है कि वह यात्रा वास्तव में संपादित किये जाने के संबंध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नंबर आदि प्रस्तुत करें।

चूंकि नियंत्रक अधिकारी के समक्ष दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य एवं यात्रा वास्तवकि रूप से संपादित किए जाने के संबंध में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं कि उसके आधार पर संतुष्ट हो लें अतः टिकट नंबर/रसीद को अनिवार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है।

2– नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे संबंधित कर्मचारी द्वारा संपादित की गई यात्रा तथा इससे संबंधित दावों के संबंध में प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों से पूर्णतः संतुष्ट हो लें। गलत दावा प्रस्तुत करने अथवा गलत दावों के भुगतान किये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के साथ ही नियंत्रक अधिकारी/आहतरण वितरण अधिकारी भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय
सुशील चंद्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव

संख्या–सा–4–161(1)/दस–98–604/82 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–महालेखाकार आडिट प्रथम तथा द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
2– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3– सचिव विधान सभा/परिषद उ0प्र0 लखनऊ
4– प्रधानाचार्य वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ
5–सचिवालय के समस्त अनुभाग
6– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0लखनऊ

7–वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

आज्ञा से
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–4
संख्या–सा–4–642 / दस–97–502 / 85
लखनऊः दिनांकः 29 जुलाई, 1997

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 में संशोधन करने की दृष्टिसे निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश)(प्रथम संशोधन) नियमावली 1997

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1)– यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश)(प्रथम संशोधन) नियमावली 1997 कही जाएगी।

(2)– यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

पात्रता की शर्तें

2– सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है नीचे स्तंभ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात–

स्तंभ–10 वर्तमान नियम	स्तंभ–2 एतद्द्वार प्रतिस्थापित नियम
4– संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक एक वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात निधि में अभिदान करेंगे। टिप्पणी–1 शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जाएगा। 2कोई अस्थाई सरकारी सेवक जो एक वर्ष की निरंतर सेवा किसी मास के मध्य में पूरी करता है, वह अगले अनुवर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा। 3– ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक (जिसके अंतर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जि।न्हें नियमित रिक्तयों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी एक वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा करते रहने की संभावना है एक वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व किसी भी समय निधि में अभिदान कर सकते हैं। 4– जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाए वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचनाा लेखा अधिकारी को दे दें।	4– संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकार सेवक जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिककक तक जारी रहने की संभावना हो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे। टिप्पणी–1 शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जाएगा। 2–ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक (जिसके अंतर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की संभावना हो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे। 3– जैसी ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाए वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।

3– उक्त नियमावली में स्तंभ–1 में दिए गए नियम 17 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात–

17(1)(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खंड (क) (ख) (ग) (घ) या (ड़) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं	17(1)(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खंड (क) (ख) (ग) (घ) या (ड़) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों

होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुए इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमाखाते में अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है	में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुए इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमाखाते में अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है
परन्तु किसी भी मामले में नियम–16 के उपनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (घ) और (ड़) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रूपये से अधिक न होगी।	परन्तु किसी भी मामले में नियम–16 के उपनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (घ) और (ड़) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की धनराशि 40,,000 रूपये से अधिक न होगी।
टिप्पणी–1– गृह निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रू0 से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जाएगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की संपूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किए जाने के लिए आवेदन किया है और स्वीकृत प्राधिकारी का उसके लिए दिये गये औचित्य के संबंध में समाधान हो जाए तो तदनुसार संपूर्ण धनराशि को निम्रुक्त किया जा सकता है। स्वीकृत प्रत्याहरण की संपूर्ण धनराशि के लिए जारी की जाएगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी।	टिप्पणी–1– गृह निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रू0 से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जाएगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की संपूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किए जाने के लिए आवेदन किया है और स्वीकृत प्राधिकारी का उसके लिए दिये गये औचित्य के संबंध में समाधान हो जाए तो तदनुसार संपूर्ण धनराशि को निम्रुक्त किया जा सकता है। स्वीकृत प्रत्याहरण की संपूर्ण धनराशि के लिए जारी की जाएगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी।
टिप्पणी–2 (क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिए या इस प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण के प्रतिदान के लिए एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किए गए स्थल या गृह या फ्लैट के लिए या किसी योजना के अधीन जिसके अंतर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व–वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब–जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिए कहा जाए उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए पृथक प्रयोजन के लिए भुगतान समझा जाएगा।	टिप्पणी–2 (क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिए या इस प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण के प्रतिदान के लिए एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किए गए स्थल या गृह या फ्लैट के लिए या किसी योजना के अधीन जिसके अंतर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व–वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब–जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिए कहा जाए उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए पृथक प्रयोजन के लिए भुगतान समझा जाएगा।

(ख) नियम 16 के उप नियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रू0 या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या यथास्थिति मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अंतर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य इनमें जो भी सबसे कम हो तक होगी

(ग)नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रूपया या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवर होलिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी सबसे कम हो तक होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गई हो स्वीकृत

प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गबया है जिसके लिए उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याह्त संपूर्ण धनराशि उसके ऐसे भ्झाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह प्रत्याह्त किया गया था नहीं किया गया है प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जाएगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एक मुश्त धनराशि में या मासिक किस्ततों की ऐसी संख्या जैसी अवधारित की जाए वसूल किए जाने का आदेश दिया जाएगा।

टिप्पणी–1– विवाह के लिए किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा।

2– गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याह्रण के छः मास के भीतर प्रारंभ किया जाएगबा और उसे निर्माण प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये, किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिए इसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याह्रण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

टिप्पणी–3 गृह स्थल का क्रय यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृत प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिए प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता गृह निर्माण समिति आदि द्वारा दी गई रसीदें प्रस्तुतम करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण– विक्रय या अंतरण विलेगख के संबंध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।

टिप्पणी–4 किसी बीमा पालिसी के लिए प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमिय काभुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिए कोई अग्रतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के उप नियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (क) (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याह्त करने की अनुज्ञा दी गई हो राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याह्त धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह का क्रय किये गये स्थल के कब्जे से चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या एक अन्य प्रकार से अलग नहीं होगाः–

परन्तु ऐसी अनुज्ञाः–

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिए या

(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए ऋण देता हो पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिए आवश्यक नहीं होगी।

(ख) नियम 16 के उप नियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रू0 या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या यथास्थिति मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अंतर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य इनमें जो भी सबसे कम हो तक होगी

(ग)नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रूपया या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवर होलिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी सबसे कम हो तक होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गई हो स्वीकृत प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गबया है जिसके लिए उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याह्त संपूर्ण धनराशि उसके ऐसे भ्झाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह प्रत्याह्त किया गया था नहीं किया गया है प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जाएगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एक मुश्त धनराशि में या मासिक किस्ततों की ऐसी संख्या जैसी अवधारित की जाए वसूल किए जाने का आदेश दिया जाएगा।

टिप्पणी–1– विवाह के लिए किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा।
2– गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याह्रण के छः मास के भीतर प्रारंभ किया जाएगबा और उसे निर्माण प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये, किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिए इसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याह्रण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

टिप्पणी–3 गृह स्थल का क्रय यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृत प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिए प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता गृह निर्माण समिति आदि द्वारा दी गई रसीदें प्रस्तुतम करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण– विक्रय या अंतरण विलेगख के संबंध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।
टिप्पणी–4 किसी बीमा पालिसी के लिए प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमिय काभुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिए कोई अग्रतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के उप नियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (क) (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याह्त करने की अनुज्ञा दी गई हो राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याह्त धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह का क्रय किये गये स्थल के कब्जे से चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या एक अन्य प्रकार से अलग नहीं होगाः–
परन्तु ऐसी अनुज्ञाः–
(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिए या (दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए ऋण देता हो पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिए आवश्यक नहीं होगी।

4– उक्त नियमावली में स्तंभ–1 में दिये गये नियम–23 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थातः–

स्तंभ–1	स्तंभ–2
23– सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह घ के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा–2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगाः–	23– सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह घ के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा–2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगाः–
(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के अदौरान ऐसे अभ्झिदाता के जमा	(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के अदौरान ऐसे अभ्झिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसीर

खाते में विद्यमान अतिशेष किसीर भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न हुआ हो–	भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न हुआ हो–
(एक) (समूहक के के अभिदाता अर्थात ऐसा) राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पद धारण किया हो (जिसके वेतनमान का अधिकतम 1720 रूपये से अधिक हो) के मामले में 4,000) रूपया	(एक) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रूपये या अधिक हो के मामले में 12,000 रूपया
(दो) समूह ख के अभिदाता (अर्थात् ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1720 रूपये से अधिक न हो) के मामले में 2500 रूपया	(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2900 रूपये या अधिक , किन्तु 4000 से कम हो के मामले में 7500 रूपया
(तीन)समूह ग के अभिदाता (अर्थात् ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूतम 354 रूपया या इससे अधिक हो) के मामले में 1000 रूपया	(तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यमून 1151 रूपया या इससे अधिक किन्तु 2900 रूपया से कम हो के मामले में 4500 रूपया
(चार) समूह घ के अभिदाता अर्थात समस्त अन्य राजपत्रित कर्मचारी के मामले में 500 रूपया	(चार) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिक1151 रूपये से कम हो के मामले में 3000 रूपया
(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 10,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।	(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।
(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।	(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।
टिप्पणी–1– औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हो पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अंत में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के प्रयोजन के लिए भी–	टिप्पणी–1– औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हो पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अंत में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा। इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के प्रयोजन के लिए भी–
(क) मार्च के अंत में अतिशेष के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार जमा की गई वार्षिक ब्याज भी होगी और	(क) मार्च के अंत में अतिशेष के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार जमा की गई वार्षिक ब्याज भी होगी और
(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अंत में अतिशेष के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यू हो प्रारंभ से उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।	(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अंत में अतिशेष के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यू हो प्रारंभ से उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है।
2– इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रूपया में किया जायेगा। धनराशि को	2– इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रूपया में किया जायेगा। धनराशि को निकटतम पूर्ण रूपये में पूर्णांकित

निकटतम पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। रूपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रूपये के रूप में गिना जायेगा।

किया जायेगा। रूपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रूपये के रूप में गिना जायेगा।

3– इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि का प्रकृति का है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

3– इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि का प्रकृति का है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता।

4– जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु यथास्थिति तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाए तो पूर्ववर्ती सेवायोजन के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान यदि कोई हो तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी–1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

4– जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु यथास्थिति तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाए तो पूर्ववर्ती सेवायोजन के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान यदि कोई हो तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए की जायेगी। पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी–1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा।

5– समूह घ के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में इस नियम के अधीन भुगतान की गई धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच करेगा और यदि यह पाया जाए कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है उक्त धनराशि नियम 24 उपनियम (5) के खंड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि के काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाए कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकारी किया जायेगा।

5– समूह घ के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में इस नियम के अधीन भुगतान की गई धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच करेगा और यदि यह पाया जाए कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है उक्त धनराशि नियम 24 उपनियम (5) के खंड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि के काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाए कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकारी किया जायेगा।

27–(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान प्रारंभिक अतिशेष वर्ष

27–(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को विद्यमान प्रारंभिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की गई या नाल डाली गई धनराशि वर्ष के 31 मार्च को

के दौरान जमा की गई या नाल डाली गई धनराशि वर्ष के 31 मार्च को जमा की गई ब्याज की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अंतिम अतिशेष को दर्शाया जाएगा।

जमा की गई ब्याज की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अंतिम अतिशेष को दर्शाया जाएगा।

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा यदि कोई हो का पूरा विवरण भी देगा।

(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा यदि कोई हो का पूरा विवरण भी देगा।

(3)अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेख चाहिये और गलतियों को संबद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गई सामान्य भविष्य निधि पास बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर लेखा प्राधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

(3)अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेख चाहिये और गलतियों को संबद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गई सामान्य भविष्य निधि पास बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर लेखा प्राधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी का यह भी एक व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे संबद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखागार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास बुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र व्यवहार द्वारा या अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।

28– (1) समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास बुक ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए और अभिदाता ऐसी फीस का जैसी निहित की जाए भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अंतराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाए उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।

28– (1) समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास बुक ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए और अभिदाता ऐसी फीस का जैसी निहित की जाए भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अंतराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाए उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।

2– जब किसी अभिदाता का स्थानांतरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाए तब तक उसके स्थानांतरण के दिनांक तक के लिए हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानांतरण के दिनांक को विद्यमान अंत अतिशेष का उल्लेख अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐस सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा ऐसी रीति में रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है।

2– जब किसी अभिदाता का स्थानांतरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाए तब तक उसके स्थानांतरण के दिनांक तक के लिए हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानांतरण के दिनांक को विद्यमान अंत अतिशेष का उल्लेख अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐस सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा ऐसी रीति में रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है।

(2–क)– आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष महालेखागार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूचनायें दी जायेंगीः–

(क) ऐसे अभिदाताओं के नाम और लेख संख्या जिनका पूर्व एक वर्ष में नामांकन हुआ हो

(ख) ऐसे अभिदाताओं की सूची जिन्होंने अन्य कार्यालयों/विभागों से स्थानांतरण द्वारा वर्ष के मध्य में

कार्यभार ग्रहण किया हो।
(ग) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो वर्ष के मध्य में अन्य कार्यालय/विभागों को स्थानांतरित हुए हों
(घ) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो आगामी 18 मास के दौरोन सेवानिवृत्त होने जा रहे हों

आज्ञा से
पी0उमाशंकर
सचिव

संख्या–सा–4–642(1)/दस–97–502/85 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1–महालेखाकार, आडिट/लेखा प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग
4– सचिव विधान सभा/परिषद विधान भवन लखनऊ
5– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

संख्या–2932 / 1–.....

प्रेषक,

श्री सुनील कुमार अग्रवाल
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

राजस्व अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 15 फरवरी 1990

विषय– कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान(सलेक्शन ग्रेड) अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) के पत्र संख्या 2183 / पे0से0 / रा–25094 / 96–;7 दिनांक 22.7.98 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजस्व अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 2842 / 1–4 / 94–97 बी–4 / 82 दिनांक 5.6.84 द्वारा जिन कलेक्ट्रेट तथा तहसील स्तर के विभिन्न मदों पर स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत किया गया था दिनांक 5.6.84 के पश्चात संवर्ग के किसी लिपिकीय कर्मचारी को शासनादेश दि0 4.2.83 के अनुसार सलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य नहीं है। परन्तु यदि कोई कर्मचारी दिनांक 1.7.82 को अथवा उसके बाद परन्तु स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति के आदेश जारी होने की तिथि दिनांक 5.6.84 से पूर्व सलेक्शन ग्रेड पाने हेतु अर्ह हो चुके थे और उन्हें सेलेक्शन ग्रेड का लाभ दि0 1.7.82 से अथवा उनके बाद परन्तु 5.6.84 के पूर्व की तिथि से अनुमन्य किया गया है तो इसमें आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

3– इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि प्रदेश के जिलाधिकारियों / मंडलायुक्तों को इस प्रकार के प्रकरणों में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय
सुनील कुमार अग्रवाल
सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी / मंडलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
उन0एस0रिजवी
अनुसचिव

संख्या– सा–3–346/दस–101 (4)–2000

प्रेषक,

बी0के0शर्मा,
सचिव, वित्त एवं सामान्य,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक : 07 अप्रैल, 2000

विषय– सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों की शीघ्रता से निस्तारण करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या–3–2085/दस–907 दिनांक 13 दिसंबर1977 तथा शासनादेश संख्या– 3–1713/दस–87–933–89 दिनांक 28 जुलाई 1989 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन का सदैव यह प्रयास रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं सेवारत/मृत कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों एवं देयों का भुगतान निर्धारित तिथि पर कर दिया जाए। इस संदर्भ में समय–समय पर आवश्यकतानुसार पेंशन संबंधी जटिल नियमों को समाप्त करने एवं संशोधित करने की भी कार्यवाही की गई है। पेंशन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलंब का परिवर्जन) नियमावली 1995 प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली के नैवृत्तिक लाभों के निस्तारण हेतु एक विस्तृत समय सारिणी निर्धारित की गई है। विलंब से कार्यवाही करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की भी व्यवस्था हे, परन्तु शासन स्तर पर निरंतर यह शिकायतें प्रापत हो रही हैं कि इस दिशा में विभाग अपेक्षानुसार संवेदनशील नहीं है और पेंशन प्रकरण समय से निस्तारित नहीं किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों का यह दायित्व है कि उपरोक्त प्रख्यापित नियमावली में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करें, परन्तु कदाचित ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिससे उक्त नियमावली प्रख्यापित कराने का उद्देश्य ही पराजित हो जा रहा हे।

2– ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से पेंशन प्रकरण इसलिए अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किये जाते हैं उनमें अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है या अमुक कर्मचारी ने शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाई है और उनके विरूद्ध जांच कार्यवाही लंबित है। उक्त आधार पर नैवृत्तिक लाभों को रोके रखना न्यायोचित नहीं है, अपितु उस पर कुशलतापूर्वक विचार करके यथोचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–933–89 दिनांक 28 जुलाई 2989 में विस्तृत व्यवस्था है। अधिसूचना संख्या सा–3–1644/दस–904–94 दिनांक 20 नवंबर, 1995 उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलंब का परिवर्जन) नियमावली 1995 की अनुसूची के क्रमांक–3 पर यह व्यवस्था है कि अदेयता प्रमाण पत्र सेवानिवृत्ति के दो माह पूर्व निर्गत कर दिया जाना चाहिए। अतएव यह अपेक्षा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में यथा आवश्यकतानुसार अदेयता प्रमाण पत्र सेवानिवृत्त की तिथि से दो माह पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाए और पेंशन निर्धारित तिथि को निस्तारित किया जाए।

3– जिन प्रकरणों में कर्मचारी के विरूद्ध किसी प्रकार की जांच लंबित है उन जांचों को निस्तारित कराने के संबंध में भी उक्त अधिसूचना दिनांक 02 नवंबर 1995 में विस्तृत व्यवस्था है और कर्मचारी की अवधि भी निर्धारित है।

प्रत्येक मामले में संबंधित अधिकारी यह दायित्व है कि लंबित जांचों का समय से निस्तारण करायें जिससे कि पेंशन प्रकरणों का समयांतर्गत निस्तारित किया जाए।

4— मुझे यह भी कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों को निस्तारित कराने के संबंध में शासनादेश में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी कहना है कि यदि प्रकरणों के निस्तारण में विलंब किया जाता है और किसी प्रकार के ब्याज के भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए दिए गए ब्याज की वसूली कराने की कार्यवाही करें

भवदीय

बी0के0शर्मा
सचिव वित्त

संख्या सा—3—346 (1)/दस—10 (84)—2000 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— निदेशक, पेंशन उततर प्रदेश लखनऊ
2— निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश।
3— समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश
4— सचिवालय के समस्त अनुभाग
5— समस्त वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश
6— मंडलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन उत्तर प्रदेश
7— सर्तकता अनुभाग 3/4
8— लोकायुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ 197 को उनके वार्षिक प्रतिवेदन 1995 के संदर्भ में

आज्ञा से

शिव प्रकार
संयुक्त सचिव।

foHkkx 23&f t yk i pk ; r

foHkkx&24 ykd fuek.k foHkkx

उत्तर प्रदेश सरकार,
सार्वजनिक निर्माण विभाग(घ) विभाग
संख्या–5315एसवी / 23–पी0ड1ब्लू0डी0 37एलसी / 1971,लखनऊ
दिनांक 5–10–1971 ।

विज्ञप्ति

यू0पी0 रोड साइड लैड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1975 (यू0पी0ऐक्ट संख्या 10,1945) की धारा–2 के खण्ड (3) के अधीन अधिकारों का प्रयोग और सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस सी / 23–पी0डब्लू0 का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चमोली जिले के अधिकारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन, जिला चमोली में अपने अपने परगना में कलेक्टर के समस्त कृत्य निस्पादित करने के लिये नियुक्त करते है ।

आज्ञा से
ह0
माधुरी श्रीवास्तत ,
उप सचिव

संख्या 5315(2) / तेईस–पी0डब्लू0डी तदिनांक

प्रतिलिपि कलेक्टर, चमोली को उनके पत्र संख्या–2926 / 24–1(70–71) दिनांक 9–8–71 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से
ह0
माधुरी श्रीवास्तव
उप सचिव

श्री रमेशचन्द्र, सयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग–2 लखनउ के पत्र संख्या–1292 / 23–सा0नि0वि0–6(3) 81 दिनांक 31 मार्च, 1982 जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एवं प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 लखनउ /अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा0नि0वि0. उत्तर प्रदेश को पृष्ठाकित की प्रतिलिपिः–

बिषयः– यू0पी0रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1945 की धारा–6 (2) के अर्न्तगत कलेक्टर्स द्वारा पारित होने वाले आदेश ।

शासन के समक्ष प्रायः ऐसे मामले देखने में आ रहे है जिनमें यू0पी0रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1945 की धारा–6 की उप धारा– (2) के अर्न्तगत कलेक्टर्स के समक्ष निर्माण हेतु अनुमति मागने से सम्बन्धित प्रस्तुत किये जाने वाले कतिपय प्रार्थना पत्रों पर कलेर्क्टर द्वारा उक्त अधिनियम की घारा–6 की उप धारा'(2) के अर्न्तगत पारित किए जाने वाले आदेश अकारण नही होते और यदि सकारण होते भी है तो प्रार्थी को उस आदेश की सूचना देते समय केवल यह इगित कर दिया जाता है कि प्रार्थी का तत्सम्बन्धी प्रार्थना पत्र कलेक्टर द्वारा उक्त दिनांक को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है।ऐसी सूचना देते समय प्रार्थी को उन कारणों से अवगत नही कराया जाता जिसके फलस्वरूप प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार या अस्वीकार कर दी गई है ।इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निष्कर्षक मात्रा का अभिलेखन कारणों के अभिलेखन का स्थान नही ले सकता है और उसे पर्याप्त नही माना जायेगा ।उक्त अधिनियम की घारा–6 की उप घारा–(2) के अर्न्तगत दिये गये आदेशों के विरूद्व क्षुब्ध व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार उक्त अधिनियम की घारा–7 की उप धारा–(1) के अर्न्तगत प्राप्त है, अतः यह इष्टकर एवं समीचीन होगा कि कलेक्टर द्वारा जो आदेश घारा–6 की उपघारा–2 के अर्न्तगत पारित किए जाये वे सकारण होने चाहिए जिससे प्रार्थी को उन कारणों का ज्ञान हो सकें जिनके आधार पर कलेक्टर द्वारा उसकी प्रार्थना पर निर्यवक आदेश पारित किया गया है और अपीलीय प्राधिकारी को भी ऐसे आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील में उन कारणों का ज्ञान हो सके। यदि कलेक्टर द्वारा ऐसे आदेश में कारणों का अभिलेखन नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपील प्रस्तुति करने एवं अपीलीय प्राधिकारी के लिए अपील के निस्तारण में यह ज्ञात करना कठिन होगा कि वे कौन से कारण थे जिनके आधार पर कलेक्टर द्वारा घारा–6 की उप घारा (2) के अर्न्तगत आदेश पारित किया गया ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की घारा–6 की उप धारा (2) के अर्न्तगत जो भी आदेश पारित किए जाय वे सकारण हो और चॅकि ऐसे आदेश के विरूद्व अपील उपबन्धित है, अतः इस प्रकार से पारित किये गये सकारण आदेश की प्रति भी सम्बन्धित व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

ह0

सयुक्त सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग–2 लखनऊ

foHkkx& 25 fuokpu

foHkkx& 26

संख्या –7077 /14–02–99–944/88

प्रेषक ,

बी0डी0 काण्डपाल ,
विशेष सचिव,
वन विभाग ,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन ,
देहरादून।

वन अनुभाग–2 लखनऊःदिनांक :25 , सितम्बर ,99

विषय :– पर्वतीय क्षेत्रों के वनों में रीवर राफटिेग की अनुमति दिया ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबघ में शासनादेश संख्या :6713 / 14 –2–93 –944 /1988,दिनांक 28 अक्टूबर ,1993 एंव शासनादेश संख्या :7429/ 14–2–93 – 944/1988,दिनांक 4 अप्रैल ,1994को अवक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र के रक्षित /आरक्षित वनों में बहने वाले नदियों में राफटिेग की अनुमति एंव राफटिंग कम्पनियों को नदी के किनारे खाली स्थानों (बीच)का आंवटन द्ववारा सम्यक विचारोपरांत निम्मलिखत शर्तों एंव प्रतिबंधों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1)रीवर राफटिंग की अनुमति निेदेशक , पर्यटन (पर्ववतीय)द्ववारा दी जायेगी

(2)राफटिंग की अनुमति यथा सम्भव उन्ही कम्पनियों को दिये जाने पर विचार किया जाये जिन्हे गत बर्षा में अनुमति दीगई हो । साथ ही इस संवध में नदी की राफटिग हेतु कैरीग कैपेसिटी पर भी विचार कर अनुमति दी जाये ।

(3)निदेशक ,पर्यटन से राफिटंग हेतु अनुमति प्राप्त कम्पनियों द्वारा संबंधित वन संरक्षक को आवेदन करने पर ही उन्हें अस्थायी कैम्प लगाने हेतु बीचों का आवंटन कम्पनी के कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन के उपरान्त वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कम्पनियां राफट चलायेगी।

(4) रीवर राफिटंग के लिये अस्थायी कैम्प लगाने हेतु अनुंमति एक बार में अधिकतर पॉच वर्ष के लिये दी जायेगी और इसका नवीनीकरण, यदि कम्पनी द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन न किया गया हो, वन संरक्षक द्वारा कम्पनी के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन कर प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(5) कैम्पिंग एवं रॉफट शुल्क (प्रति सीजन) संबंधित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित शुल्क कम्पनियों को राफिटग करने से पूर्व जमा करना होगा।

(6) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर कैम्प लगाये जायेगें।

(7) कैम्प में रह रहे व्यक्तियों को आग्नेय अस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री रखने की अनुमति नहीं होगी।

(8) कैम्प साईट के आस पास के जंगल में अग्नि सुरक्षा का दायित्व आवंटी कम्पनी का होगा।

(9) किसी भी राफिंग कम्पनी को अधिकतम कितने राफ्ट चलाने का अधिकार होगा तथा बीच में कितने टैण्ट लगाये जायेगें व कितने पर्यटक एक बार में आवास करेगें, इसका निर्धारण महानिदेशक, पर्यटन(पर्वतीय) की अध्यक्षता में संबंधित वन संरक्षक एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के एक प्रतिनिधि की एक संयुक्त बैठक में विचार विमर्श कर किया जायेगा।

(10) कम्पनी द्वारा प्रत्येक राफ्ट पर पेन्ट द्वारा वन विभाग के निर्देशानुसार नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
(11) प्रत्येक राफ्ट पर गाईड एवं प्रत्येक पर्यटक हेतु लाईफ जैकेट व हेल्मेट अनिवार्य रूप से होगा। गाईड को पर्यटन विभाग द्वारा प्रदत्त फोटोयुक्त पहचान पत्र राफ्टिंग के समय अपने पास रखना होगा।
(12) सायंकाल 6.00 बजे के उपरान्त कोई राफ्ट नदी में नहीं चलाई जायेगी।
(13) प्रत्येक पर्यटक को सुरक्षित राफ्टिंग कराने का दायित्व संबंधित राफ्टिंग कम्पनी का होगा।
(14) किसी भी राफ्ट या नाव को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आउट बोर्ड मोटर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
(15) प्रत्येक राफ्टिंग कम्पनी के लिये यह आवश्यक होगा कि वे प्रत्येक राफिटंग ट्रिप में पर्यटकों व गाईड का नाम व पता रजिस्टर में अंकित करेगें जिसे सीजन समाप्ति के बाद वन सरंक्षक के निर्देशानुसार जमा करेगे।
(16) कैम्प में प्रकाश व्यवस्था हेतु जैनरेटर एवं जलापूर्ति डीजल/पैट्रोल!/मिट्टी तेल से चालित पम्पों का प्रयोग निषिद्ध होगा।
(17) रात्रि में प्रकाश व्यवस्था केवल टेन्टों के भीतर सीमित रखी जायेगी। तेज रोशनी का उपयोग नहीं किया जायेगा। केवल लालटेन व सौर्य ऊर्जा चालित रोशनी का प्रयोग किया जायेगा।
(18) रात्रि 9.00 बजे बाद कैम्प में रोशनी करना अनुमन्य नहीं होगा।
(19) रेडियो, वीडियो, टेप रिकार्डर, सामुहिक गाना बजाना, पटाखे व आतिशबाजी तथा वादय यंत्रों का प्रयोग कैम्प स्थल में निषिद्व रहेगा।
(20) कैम्प स्थल पर गार्वेज का संग्रहण निर्धारित स्थान पर इस प्रकार किया जायेगा कि कोई भी कूड़ा कैम्पिंग स्थल पर फैलने न पाये। एकत्रित कूडे को कम्पनी स्वयं उठाकर निकटतम नगरपालिका/टाउन एरिया के निर्धारित कूड़ादानों में डलवायेगें। किसी भी दशा में कूड़ा न तो नदी में फेंका जायेगा और न ही उसे कैम्पिंग स्थल पर जलाया जायेगा।
(21) मल मूत्र त्याग हेतु केवल ड्राई पिट सुविधा राधि अधिकारी द्वारा बताई गई संख्या के अनुसार निर्धारित स्थान पर पर्यटकों को कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। ड्राई शौचालय सैण्ड बैंक के उपरी किनारे से यथासम्भव 60 मीटर की दूरी पर खोदे जायेंगे।
(22) किसी भी बीच का वह भाग जो वन अधिकारी द्ववारा वन्य जन्तुओं के आवागमन हेंतु चिन्हित किया जाय,उस भाग को कैम्पिंग हेतु प्रयोग में नही लाया जायेगा ।
(23) कैम्प के भोजन पकाने हेतु जलौनी प्राकोष्ठ का प्रयोग नहीं किया जायेंगा ।
(24) किसी भी कम्पनी को कैम्प स्थल पर रापपत्रित अवकाश, शनिवार व रविवार के अतिरिक्त कैम्प फायर करने की अनुमति नहीं होगी । कैम्प फायर जमीन पर न करके बडें अकार के तसलों पर करना होंगा । कैम्प फायर से उत्पादित राख ,कोयला व अधजली लकडी को नदी में नहीं बहाया जायेंगा बल्कि उन्हे गार्वेज की भांति नगरपालिका के कूडांदानों में डालना होगा । कैम्प फायर हेतु जलौनी वन निगम के डिपो से क्रय की जायेगी और किसी भी दशा में स्थानीय ग्रामवासियों से जलौनी क्रय नही की जायेगी। कैम्प फायर रात्रि 11.00 बजे के उपरान्त अनुमन्य नही होगा ।
(25) रसोंई के वर्तनों व उपकरणों आदि की सफाई हेतु डिटर्जेण्ट का प्रायोग नही किया जायेगा । कैम्प साईट पर कपड्रे धोना विर्जित होगा ।
(26) वन अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय कैम्प स्थल टेन्टो तथा राफटिंग में प्रयुक्त उपकरणों आदि का निरिक्षण कर सकते है ।
(27) कम्पनी द्ववारा उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लधन किये जाने पर राफटिंग एंव कैम्पिंग हेतु प्रदत्त अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा कम्पनी के विरूद्व भारतीय वन अधिनियम ,1927 एंव अन्य सुसंगत नियमों के अधीन कार्यावाही की जायेगी ।

अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय।

भवदीय ,
(बी0 डी0 काण्डपाल)
विशेष सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेंषित :–
1– सचिव पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2– प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड नैनीताल ।
3– प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड नैनीताल ।
4– आयुक्त गढ्वाल मण्डल पौड्डी गडवाल ।
5– आयुक्त कुमाऊ मण्डल नैनीताल ।
6– मुख्य वन संरक्षक उत्तराखण्ड नैनीताल ।
7– मुख्य वन संरक्षक कुमाऊ नैनीताल ।
8– मुख्य वन संरक्षक गढ्वाल देहरादून ।
9– नोडल अधिकारी एंव वन सरंक्षक वन उपयोग वृत्त उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10– उत्तरांखण्ड क्षेत्र के समस्त जिलाधिकारी ।
11– उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त वन संरक्षक एंव प्रभागीय वनाधिकारी ।

आज्ञा से ,
(दया शंकर)
उप सचिव ।

उत्तरॉचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या 104 / 26 / प्र.सं–आ.व.ग्रा.वि.
दिनॉक : देहरादून 01 जनवरी 2001

dk;kZy; Kki

fo"k;d % ou Hkwfe gLrkUrj.k ls lacaf/kr izfdz;k dk ljyhdj.kA

विभिन्न विकास योजनाओं एवं अन्य प्रकरणेां वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रसंग प्रस्तुंत होते रहते हैं और अनुभव से यह पाया गया है कि इनमें कई प्रकरणों में परिहार्य विलग्ब होता है। इस विलम्ब से जन उपयोगी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, लागत बढती है और इससे जन असन्तोष बढता है। जनहित में यह आवश्यक है कि वन वर्द्धन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी जिन मामलों में वन भूमि हस्तान्तरण आवश्कय है, उसमें लगने वाले विलम्ब को न्यूनतम कर दिया जाय।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की वर्तमान प्रक्रिया को निम्वत सरलीकृत किये जाने का निर्णय लिया गाय है :

1. वन भूमि हस्तान्तरण के निजी एवं खनन से सम्बन्धित प्रकरण प्रमुख सचिव, वन के अनुमोदन उपरान्त नोडल अधिकारी / अपर सचिव, वन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। शेष समस्त प्रकरण नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ को सीधे प्रेषित किये जायेगें।

2. खनन सम्बन्धी वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणेां में भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अपर सचिव, वन के द्वारा माननीय वन मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त सीधे औद्योगिक विकास विभाग को विज्ञप्ति जारी करने हेतु पत्रावली प्रेषित की जायेगी।

3. गैर सेवा विभागों जैसे राजकीय निगम, उपक्रम परिषद व निजी संस्थाओं / व्यक्यिों आदि के संबंध में प्रत्येक प्रकरण को औपचारिक रूप से वित्त विभाग को भेजे बगैर वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति देते समय हस्तान्तरण आदेश में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का प्रीमियम और लीज रेन्ट की वसूल किये जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित शर्त अनिवार्य रूप से शामिल कर ली जाय, ताकि उपरोक्त लक्ष्य पूरा हो सके। इस व्यवस्था से वित्त विभाग की प्रत्येक मामले में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वर्तमान में लगने वाले विलम्ब से बचा जा सकेगा। अतः सेवा विभागों की भॉति एक स्थाई शासनादेश भी इस आशय का जारी किया जायेगा जिससे प्रत्येक मामले में वित्त विभाग की पृथक से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस शासनादेश का संदर्भ जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

4. वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित समस्त प्रकरणेां में केवल माननीय वन मंत्री जी का अनुमोदन लिया जाना ही पर्याप्त होगा।

5. वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों को निस्तारित करने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरॉचल शासन के अन्तर्गत पदेन अपर सचिव, वन नियुक्त किया जाता है। अपर सचिव, वन, वन भूमि हस्तान्तरण के ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के सेवा विभागों गैर सेवा विभागेां विभिन्न उपक्रमों / निगमों / परिषद आदि से संबंधित होगें, उन्हें माननीय वन मंत्री जी के अनुमोदन हेतु अपने स्तर से सीधे प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त वे निजी

संस्थाओं/व्यक्तियों के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव सीधे प्रमुख सचिव, वन को भेजेगें जो अपने स्तर से माननीय वन मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करेंगें।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रत्येक स्तर पर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एंव आयुक्त।

संख्या 104/26/प्र.सं–आ.व.ग्रा.वि. तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1.सचिव, मा0मुख्या मंत्रीजी को मा0मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2.निजी सचिव, मा0वन मंत्रीजी को मा0वन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3.सचिव, वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, लोदी रेाड नई दिल्ली।
4.मुख्य वन संरक्षक केद्रीय भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बी–1/72 सेक्टर –के, अलीगंज लखनऊ।
5.समस्त सचिव, उत्तरॉचल शासन देहरादून।
6.प्रमुख वन संरक्षक उत्तरॉचल प्रदेश नैनीताल।
7.समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल शासन।
8. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
9.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरॉचल प्रदेश।

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एंव आयुक्त

पंजीकृत
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीमेन्ट)
सरकारी गजट,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1 खण्ड (क)
(उत्तरॉचल अधिनियम)
देहरादून वृहस्पतिवार 01 अगस्त 2002
श्रावण 10, 1924 शक सम्वत्

उत्तरॉचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 204 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून 01 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तरॉचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरॉचल भारतीय वन (उत्तरॉचल संशोधन) विधेयक 2001 को दिनॉक 17–7–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरॉचल अधिनियम संख्या 10 सन् 2002 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Hkkjrh; ou ¼mŸkjkpy l'kks/ku½ vf/kfu;e 2001
¼vf/kfu;e l0 10 o"k 2002

भारतीय वन अधिनियम 1927 का उत्तरॉचल में उसकी प्रवृति के सम्बध में संशोधन करने के लिये

vf/kfu;e

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम भारतीय वन(उत्तरॉचल) अधिनियम 2001 कहा जाएगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरॉचल में होगा।
(3) यह ऐसे दिनॉक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें।

2. भारतीय वन अधिनियम 1927 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा–2 में निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा।

2–क ''प्राधिकृत अधिकारी'' का तात्पर्य धारा 52 क के अधीन प्राधिकृत किये गये अधिकारी से है।

धारा 26 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में–
(एक) खण्ड (ख) में शब्द आरक्षित वन मुं के पश्चात शब्द या ऐसी किसी भूमि में स्थित किसी वन में जिसके समबन्ध में धारा –4 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो बढा दिये जायेंगे।
(दो) खण्ड(ड) में शब्द ''घसीटने'' के स्थान पर शब्द हटाने रख दिया जायेगा,

(तीन) खण्ड(च) में शब्द ''पत्तियों तोड़ डालेगा, या उसे '' के पश्चात शब्द या किसी वन उपज को बढा दिये जायेंगें,

(चार) शब्द ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा के स्थान पर शब्द खण्ड ख या खण्ड च या खण्ड छ या खण्ड ज में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्मान से जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा, और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुंर्माने से जो बीस हजार रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पॉच हजार रूपये से कम का न होगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा और अन्य खण्डों में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाकेगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा या

दोनों से दण्डित किया जायेगा रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप धारा (एक) में–

(1) खण्ड(ग) में शब्द :– ''या साफ करेगा'' के पश्चात शब्द :– या तोडने या साफ करने का प्रयास करता है बढा दिया जायेगा।

(2)खण्ड(च) में, शब्द ''खीचेगा'' के स्थान पर शब्द ''हटायेगा 'रख दिये जायेंगों,

(3) शब्द '' जो छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पॉच सौ रूप्ये तक का हो सकेगा, या दोनो से '' के स्थान पर , जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डिनीय होगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और

जुर्माने से जो 10000 तक का हो सकेगा रख दिये जायेगें।

धारा 42 का संशोधन

5-पॉच मूल अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (1) में –

शब्द ''जो छःमास तक का हो सकेगा, या जुमाना, जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर शब्द , जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा रख दिये जायेंगों।

धारा 52 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 52 में –

(1) उपधारा (1) शब्द '' छकडों या पशुओं '' के स्थान पर शब्द वाहनों पशुओं रससियों जंजीरों या अन्य वस्तुओं रख दिये जायेगों।

(2) उपधारा(2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराऐं रख दी जायेगी–

कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी नाव या छकडों या वाहनों का प्रयोग ऐसी किसी वन उपज के परिवहन के लिए किया गया है या किया जा रहा है, जिसके संबंध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति से उसे रूकने की अपेक्षा कर सकता है ओर वह ऐसी किसी नाव या वाहन की ऐसे युक्ति युक्त समय के लिए जैसा कि ऐसी नाव या वाहन में रखी वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए और ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति के प्रशनगत उपज के स्वामित्व ओर विधिक उत्पत्ति से संबधित दावों, यदि कोई हो को अभिनिश्चित करने के लिए परिवहित माल से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हो निरूद्ध कर सकता है।

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सॅम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है ओर यथा शक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का

जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्टैट को भेजेगा ओर यदि अभिग्रहण वन उपज के संबंध में हो, जोकि राज्य सरकार की सॅम्पति है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को भी रिर्पोट्र करेगा।

धार 52क 52 स, 52ग,और 52 घ का बढ़ायाजाना

7. मूल अधिनियम की धारा –52 के पश्चात, निम्नलिखित धाराऐं बढा दी जायेगी अर्थातः–

धारा 52 (क) अभिहरण की प्रकिया

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से किसी बात के होते हुए भी जहॉ किसी वन उपज, जो राज्य सरकार की सम्पति है, के संबंध में किसी वन अपराध के लिए जाने का विशवास हो वहा धारा –52 की उपधारा (1) के अधीन सॅम्पति का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, बिना अभियुक्ति युक्ति विलम्ब के उसे अपराध करने में प्रयुक्त ऐसे समस्त ओजारों, नावों वाहनों, पशुओं रसयियेां जंजीरों ओर वस्तुओं सहित राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी आधिकरी के समक्ष जो प्रभागीय वनाधिकारी की पंक्ति से निम्न न हो प्रस्तुत करेगा जो ऐसे संपमति की अभिरक्षा कब्जा परिदान निस्तारण या वितरण के संबंध में कारणों सहित जो अभिलिखित किये जायेगें एक लिखित आदेश देगा और औजारें नावों वाहनों पशुओं रससियों जंजीरों और अन्य वस्तुओं की स्थिति में उनका अधिहरण ही कर सकता है।

52 ख अपील

(2) प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी अनुचित विलम्ब के उपधारा 1 के अधीन दिये गये आदेशों की एक प्रति अपने पदीय वरिष्ठ को अग्रसारित करेगा।

(3) जहॉ उपधारा के अधीन आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों की राय हो कि संम्पति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है वहॉ ऐसी सम्पति को या उसके किसी भागा को लोक नीलामी द्वारा बेचे जाने का आदेश दे सकता है ओर आग गो को इस प्रकार बरत सकता है जैसे कि वहा उस सॅम्पति को बरता यदि वह बेची न गयी हो तो और प्रत्येक ऐसी विक्रयी की रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को करेगा।

52 ग अभिहरण का आदेश किसी अन्य दंड को नहीं रोकेगा

(4) उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश उस व्यक्ति को जिससे सॅम्पति का अभिग्रहण किया जाय और किसी अन्य व्यक्ति को जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सम्पति में कुछ हित रखने वाला प्रतीत हो, बिना लिखित सूचना दिए नहीं दिया जायेगा। परन्तु किसी वाहन के अधिहरण करने के किसी आदेश में जहां अपराधी का कोई पता न चल सके उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को लिखित सूचना देना और उसकी आपत्तियों पर यदि कोई हो विचार करना पर्याप्त होगा।

52 घ

(5) किसी औजार ,नाव वाहन पशु रस्सी जंजीर या अन्य वस्तु का अधिहरण करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी को संतोषजनक यह साबित कर दे कि ऐसे किसी औजार नाव वाहन पशु रस्सी जंजीर या अन्य वस्तु का प्रयोग बिना उसकी जानकारी के या मौनानुकुलता से या यथास्थिति बिना उसके रोचक या अभिकर्ता की जानकारी के मौनानुकुलता से किया गया था और वन अपराध के किए जाने के लिए उपर्युक्त वस्तुओं के प्रयोग के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त पूर्वोपाय किए गये थे।

धारा 53 का संशोधन

अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उनकी ऐसे आदेश की सूचना के दिनॉक के तीस दिन के भीतर सम्बन्धित वृत के वन संरक्षक को अपील कर सकता है और वन संरक्षक अपीलार्थी ओर प्राधिकृत अधिकारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात उस आदेश को जिसके जिरूद्ध अपील की गई हो, पुष्टि उपान्तरित या अभिशून्य करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और वन संरक्षक का आदेश अंतिम होगा।

धारा 55 का संशोधन

धारा 57 का संशोधन

धारा 52–क या 52'ख के अधीन अधिहरण का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड को दिए जाने से नहीं रोकेगा जिसका उससे प्रभावित, व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी हो

धारा 58 का संशोधन

इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवृत कतिपय मामलों में अधिकारिता पर रोक या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जब कभी राज्य सरकार की कोई वन उपज और उसके साथ कोई औजार नाव,वाहन पशु, रस्सी जंजीर या अन्य वस्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहित की जाय, तब प्रत्येक अन्य अधिकारी न्यायालय न्यायाधिकरण या प्राधिकारी को उपवर्जित करते हुए धारा–52 क के अधीन वन संरक्षक प्राधिकृत अधिकारी को या धारा–52ख के अधीन को सम्पति का अभिरक्षा कब्जे में रखने परिदान निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में आदेश देने के लिए अधिकारित होगी।

8. मूल अधिनियम की धारा 53 में–

(एक) शब्द ''छकड़ों या पशुओं'' के स्थान पर वाहनों पशुओं रस्सियों जंजीरों या अन्य वस्तुयें '' रख दिये जायेगे।

(दो) शब्द ''बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने पर'' के पश्चात शब्द धारा–52–क के अधीन आने वाले मामलों के जिनके लिये उस धारा में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा बढा दिये जायेंगे।

9. मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में शब्द ''ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब छकडें पशु'' के स्थान पर शब्द वाहन, पशु रस्सियां जंजीरें और वस्तुयें रख दिये जायेंगों।

10. मूल अधिनियम की धारा 57 में शब्द ''कोई अपराध किया गया है तो'' के पश्चात शब्द धारा 52 घ के अधीन रहते हुये बढा दिये जायेगें।

11. मूल अधिनियम की धारा 58 में शब्द ''मजिस्ट्रेट धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत ओर शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पति के विक्रय के लिये इसमें इसके पूर्व अन्तर्निष्ट किसी बात के होते हुये भी'' के स्थान पर शब्द धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत की गई और शीघ्र और और प्रकृत्या क्षयशील सम्पति के विक्रय के लिये इसमें पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 52 क की उपधारा 3 के अधीन रहते हुये मजिस्ट्रैट रख दिये जायेंगे।

धारा 60 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 60 को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढा दी जायेगी–(2) जब धारा 52–क के अधीन अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जा चुका है और अपील या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा अवधि बीत गयी है और कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है या जब अपील या पुनरीक्षण में सम्पूर्ण सम्पति या उसके किसी भाग के लिए अधिहरण के आदेश की पुष्टि की जा चुकी है तो यथास्थिति ऐसी सम्पूर्ण सम्पति या उसका कोई भाग सभी विल्लगंगो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगा।

नई धारा 61– क और धारा 61–ख का बढ़ाया जाना

13. मूल अधिनियम की धारा 61–कें पश्चात , निम्नलिखित धारायें बढ्धा दी जायेंगी –नयी धारा61 क और धारा 61 –ख का बढाया जाना

61–क अप्राधिकृत अध्यासियों की 61 (क) संक्षिप्त बेदखली

(1) यदि प्रभागीय वनाधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी वन अधिकारी की यह राय हों कि कोई व्यक्ति जो आरक्षित वन के रूप में गठित क्षेत्र में किसी भूमि के अप्राधिकृत अध्यासन में है और उसे बेदखल किया जाना चाहिये तो वन अधिकारी लिखित में सूचना देगा जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी दिनांक को या उसके पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट है कारण बताने को कहा जायेगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय ।

(2) यदि इस धारा के अधीन सूचना के अनूसरण में दिखाये गये कारण पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात वन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उक्त भूमि अप्राधिकृत अध्यासन में है तो वह ऐसे कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेगे बेदखली का आदेश दे सकता है जिसमें यह निर्द्रेश होगा कि उक्त भूमि को ऐसे दिनांक तक जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय जो आदेश के दिनांक से दस दिन से कम नही होगा सम्बन्धित व्यक्ति रिक्त कर दिया जायेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक बेदखली के आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करताा है तो वन अधिकारी जिसमें उपधारा (2) के अधीन आदेश दिया था या उसके द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य

वन अधिकारी उस व्यक्ति को उक्त भूमि से बेदखल कर सकता है ओर उसका कब्जा ले सकता है ओर इस प्रयोजन के लिये बल का प्रयोग कर सकता है जैसा आवश्यक हौ

61–ख–अप्राधिकृत अध्यासी द्वारा भूमि पर छोड़ी गई संपत्ति निस्तारण

(4) उपधारा (2) के अधीन वन अधिकारीं के आदेश से व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये ऐसे आदेश के विरूद्व वृत के वन संरक्षक को याऐसा अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किय जाय अपील कर सकता है ओर संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का आदेश ऐंसी अपील कें विनिश्चय कें अधीन रहते हुयें अन्तिम होगा ।

(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 61–क के अधीन किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया हां वहां वन अधिकारी उस व्यक्ति कों जिससे भूमि कों जिससे भूमि का कब्जा लिया गया है कम से कम दिन की नोटिस देन के पश्चात ऐसी भूमि पर अवशेष किसी सम्पत्ति को जिसके अन्तर्गत गिराये गये भवन की कोइै सामग्री या खड्डी फसल भी है हटा सकता है या हटाया जा सकता है या लोक नीलामी द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है 61 ख– अप्राधिकृत अध्यासी द्वारा भूमि पर छोड्डी गया सम्पति निस्तारण

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पति बेची जाय वहां उसके विक्रय आगम का भुगतान विक्रय के व्ययों की और भूमि उसके मूल रूप में लाने के लिये आवश्यक व्ययों की कटौती करने के पश्चात सम्बधित व्यक्ति को किया जायेगा ।

14. मूल अधिनियम की धारा –65 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी अर्थात

नई धारा–65 क को बढ़ाया जाना 65 क कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे।

नई धारा को बढाया जाना 65–क कतिपय अपराध अजमानतीय होगें । 1. इस अधिनियम में या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973में किसी बात के होतें हुये भी धारा 26या धारा 42या धारा 63 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अजमानतीय होगा ।

2. उपर्युक्तानुसार किसी अपराध के दोषी व्यक्ति कों यदि अभिरक्षा में है जमानत पर या उसके निजी बन्ध पत्र पर निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि –

क. – अभियोंजन पक्ष को ऐसी निर्मुक्ति के लिय आवेंदन पत्र का विरोध करने के लिये अवसर न दिया गया हो और

ख. जहां अभियोजन पक्ष उपर्युक्तानुसार आवेदन पत्र का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नही है ।

15 मूल अधिनियम की धारा 68 में उपधारा (3) में –

धारा 66 का

(1) शब्द और कम से कम सो रूपये मासिक वेतन पाता है निकाल दिये जायेगें ।

(2) शब्द पचास रूपये के स्थान पर शब्द प्रथम अपराध के लिये पांच हजार रूपये और उसी प्रकृति के द्वितीय और अनुवर्ती अपराध के लिये पांच हजार रूपय से कम या दस हजार रूपये से अधिक नही होंगी रख दिये जायेगे ।

धारा 74 का प्रतिस्थापन सदभाव से किए गए कार्यों का परित्राण

16 मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर निम्नखित घारा रख दी जायेगी अर्थात –

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या दिये गयो आदेशों के अनुसरण में राज्य सरकार या किसी लोक सेवक द्वारा सदभावना पूर्वक किये गये या फिर जाने के लिये ताात्पर्तित किसी कार्य के लिये उसके विरूद्व कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जायेगी ।

धारा 77 का संशोधन

17 मूल अधिनियम की धारा 77 में शब्द एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा के स्थान पर शब्द एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्मानें से जो दो सो रूपये तक हो सकेगा के स्थान पर शब्द एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा रख दिये जायेगें ।

धारा 79 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) में शब्द '' एक मास तक का हो सकेगा या जुर्मानें से जो 200 रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर शब्द '' एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्मानें से 2000 रूपये तक का हो सकेगा'' रख दिये जाएंगे।

धारा 82 का प्रतिस्थापन

19 मूल अधिनियम की धारा 82 के स्थान पर निम्नखित धारा रख दी जायेंगी अर्थात

सरकार की शौध्य धन की वसूली

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन या किसी वन उपर की या किसी आरक्षित या संरक्षित वन में राज्य सरकार के स्वामित्याधीय भूमि पर उत्पन्न की गई किसी कृषि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृर्षि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृर्षि फसल से सम्बन्धित किसी संविदा के अधीन राज्य सरकार को जुर्माने से भिन्न देय सब धन जिसके अन्तर्गत उस संविदा के उल्लधन के लिये या उसके रद्द किये जाने के परिणास्वरूप उसके आधार पर वसूलीय कोई धनराशी भी है या ऐंसी कृर्षि फसल या अन्य वन उपज की नीलामी द्वारा या किसी वन अधिकरी द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन जारी किये गये टेन्डरों को आमत्रित करके बिक्री से सम्बन्धित गये समस्त प्रतिकर यदि शोध्य होने पर न दिये गये हो तत्समय प्रवृत विधि के अधीन ऐसे वसूल किये जा सकेगें वे भू –राजस्व की बकाया हो ।

आज्ञा से

(आर0 पी0 पाण्डेय)
सचिव ।

संख्या 184 / 7–1–2002–800(389) / 2002

प्रेषक

डा0आर0एस0टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग दिनॉक देहरादून 23, अक्टूबर 2002।

विषय :– उत्तरॉचल में नवोदय विद्यालयों की स्थापना हेतु वन भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण।

महोदय,

जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्तरीय केन्द्रीय शिक्षण संस्था है, जिसके द्वारा देश के ग्रामीण अंचलों के निर्धन किन्तु प्रतिभावान छात्र–छात्राओं तथा सुदूर पिछडे क्षेत्रोां में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राऐं को निशुल्क शिक्षा के साथ –साथ आवासीय सुविधा, भोजन, कपडे आदि उपलब्ध कराये जाते है उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक जनपद मे कम से कम एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करना है। नवोदय विद्यायल समिति द्वारा उत्तरॉचल राज्य के सुदूर एवं पिछडे जनपदों में अनेक नवोदय विद्यालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

2.देश के अन्य राज्यों में भी नवोदय विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है, अतः उत्तरॉचल राज्य में भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वन भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है।

3.चूॅकि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया जा रहा है अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा राज्य में स्थापित किये जाने वाले जवाहर नवोदय विद्यालयें की स्थापना हेतु वन भूमि का निशुल्क हस्तान्तरण भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।

4.मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यह आदेश राज्य में प्रस्तावित राजीव गॉधी नवोदय विद्यालयें की स्थापना हेतु हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि पर भी लागू होगे।

भवदीय,

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एंव आयुक्त।

संख्या –184 / 7–1–2002–800(389) / 2002।

प्रतिलिपि निॅम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.प्रमुख सचिव, मा0मुख्य मंत्री जी।
2.प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरॉचल शासन।
3.सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरॉचल शासन।
4.निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्रीजी।
5.निजी सचिव, मा0वन पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्रीजी उत्तरॉचल।
6.प्रमुख वन संरक्षक उत्तरॉचल नैनीताल।
7.समस्त जिलाधिकारी उत्तरॉचल।
8.समस्त वन संरक्षक, उत्तरॉचल।

9.समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरॉचल।
10.उप निदेशक नवोदय विद्यालय समिति बी–10सेक्टर सी, अपीगंज लखनऊ।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या 323 / 7(व.भू.ह.)–2003–85(43)2003

प्रेषक,

बी0पी0पाण्डेय,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरॉचल शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरॉचल।
3.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादूनः दिनॉक 08 अक्टूबर, 2003

fo"k; %& वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो के लिए प्रत्यावर्तन के तहत एन0पी0वी0 एकत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा&fनर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार एफ.सी. डिवीजन के पत्र संख्या–51 / 98–एफ.सी.(भाग–II) दिनॉक 17 / 18–9–2003 (प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2.उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा संलग्न पत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के गैर कार्यो हेतु प्रदत्त की गई स्वीकृति या प्रदत्त की जाने वाली स्वीकृति के संबंध में वन भूमि एन0पी0वी0 के जमा कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। भारत सरकार के संलग्न आदेश से स्पष्ट है कि जो भी वन भूमि दिनॉक 30.10.2002 के बाद गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित की गइ है, उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्देश लागू होगें।

3.उपरोक्तानुसार जमा होने वाली धनराशि के उपयोग एवं रख रखाव के सम्बन्ध में भारत सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यावाही की जायेगगी। अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के संलग्न आदेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के तहत आवश्यक व्यवस्था विभागीय बजट में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

बी0पी0पाण्डेय
सचिव।

संख्या / 7(व.भू.ह.)–2003–85(43) / 2003

प्रतिलिपि संलग्न सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.सचिव, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कॉम्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली।

2.प्रमुख वन संरक्षक उत्तरॉचल नैनीताल।
3.नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव।

संख्या–156 / 7–12005–500(826) / 2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव,
उत्तरॉचल शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरॉचल।
3.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल।

वन एंव पर्यावरण विभाग देहरादूनः दिनॉकःसितम्बर 09, 2005।

विषय :– वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजो की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) / वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व वन द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन भूमि पर स्थाई / दीर्घकालीन एवं अस्थाई / अल्पकालीन लीजें स्वीकृत की गई थी। दीर्घकालीन लींजे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती थी व अल्पकालीन लीजें स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती थी। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के उपरान्त कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

2. वर्ष 1979 से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लीजों के लिए प्रत्येक वृत्त में अलग –अलग दरों से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जाता था व इन दरों में एकरूपता नही थी ।लील रेंन्ट की दरों में एकरूपता लाने के उदंदेश्य से शासनादेश संख्या –6450 / 14.03.930 / 77 दिनाक 2 जुलाई 1979 जारी किया गया जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसाार वन भूमि पर स्वीकृत की जाने वाली लीजों के समस्त मामालोां में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)एंव प्रीमियम के बरावर धराशी का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिये जाने का प्रावधान है । उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरम्भ में लीजधारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेन्ट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

3. पूर्व में चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने तथा छोटे लीजधारकों को राहत पहुॅचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :–

3-1 yhtk dk uohuhdj.k %

3-1-1 पेयजल, सिचाई गूल, घराट, पंचायत घर, रास्ता एवं स्कूल जैसे सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5.00 वार्षिक लीज रेन्ट की दर से किया जायेगां।

3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निंम्नानुसार किया जायेगा :

1.एक हेक्टेअर तक लैण्ड होल्डिंग के लिए रूपये 15.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगां

2.लीजधारक जिनके पास एक हेक्टेअर से अधिक वन भूमि लीज पर है उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा अर्थात

वन भूमि का मूल्य(प्रीमियम) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य ग लीज अवधि 99।

3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी गोशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

1 लीजधारक जिनके पास एक नाली (दो सौ वर्ग मीटर) तक वन भूमि लीज पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 20.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

2 लीजधारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.4 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी गई लीजों के नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का पॉच प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीजों का नवीनीकरण वन एंव पर्यावरण विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया जायेगा ।

1. किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल या ऐंतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित स्थल जिन्हे पूजा स्थल या उस पन्थ के श्रद्वा /विर्षेष स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सके ,को संरक्षित एंव विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेंगा ।

2. जिन लीजधारकों द्वारा लीज का व्यवसायिक (पूर्ण एंव आशिक)किया जा रहा हैं, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि /99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम)के रूप में एंव प्रीमियम धनराशी का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा ।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामालों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू020 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा ।

3.1.6 भारत सरकार एंव राज्य सरकार के पर्यारवरण, वन, कृषि , शिक्षा , उद्याान, मृदा , एंव जल संरंक्षण , औषिधीय , चिकित्सा एंव अनुसंधान सें जुडें गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण रूपया एक प्रति एकडं वार्षिक लीज रेन्ट की दर से किया जायेगा ।

3.2. नई लीजें :–

3.2.1. भविष्य में सामादायिक एंव जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज पर नही दी जायेगा ।

3.2.2. उत्तरांचल पेंयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की भांति पंचायती राज संस्थानों को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एंव स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज पर दी जायेगा ।

3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमों /संस्थानों द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सडंकों एंव पैदल मार्गो के निर्माण हेतु रू0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा ।

3.2.4.ग्राम पंचायतों एंव स्वय सहायता समूहों द्वारा सामुदायिकत उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनओं के निमार्ण हेतु रू05.00 प्रति4 प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा ।

3.2.5. उपरोक्त प्रकरण :– 3.2.2, 3.2.3., व 3.2.4. को छोडंकर विभिन्न विकास कर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्न लीजो के लिये जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान वाजार दर का लीज अवधि /99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एव प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा ।

1. जल विद्युत परियोजनाओं एव विद्युत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु ।

2.जलाधारित उद्योगो यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतू ।

3. वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधा के विकास हेतु विभिन्न विकासर्ताओं को वन भूमि ली पर दी जायेगी । जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित उपक्रमों / संस्थानों को वरीयता दी जायेगी ।

4. राज्य में वैकल्पिक ईधन एंव उर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं /संयत्रों की स्थापना हेतु एक एकड्र तक भूमि ।

3.2.6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन ,जिने लिये उत्तरांचल शासन द्वारा वन भूमि को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा , उनमें शासनादेश संख्या – 6450 /14–03–930 /77दिनांक 2 जुलाई 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमीयम) एंव प्रीमियम का 10 प्रशित वार्षिक लीजी रेन्ट लिया जायेगा ।

3.3 उल्लधन / अतिक्रमण के मामले :–

3.3.1. लीजधारक जिनके द्वारा भू –उपयोग में परिवर्तन का वन भूमि का उपयोग लीज के मूल प्रयोजन से इतर कार्यो हेतु किया जा रहा है । अथवा लीज की शर्तो का उल्लधन किया गया है । ऐसे ली लीजधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर कर लीज अबधि / 99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम)एंव प्रीमियम धनराशी का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिये जाने के अतिरिक्त प्रीमियम का पांच गुना धनराशी दण्ड स्वरूप ली जायेगी ।

3.3.2. जिन लीजधारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ऐसे समस्त प्रकरणों में वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृत प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा ।

3.3.3. लीज पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीजधारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयो न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है । अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सवलेट/ हस्तान्तरित किया गया है , ऐसी लीजों को नवीनीकृत नही किया जायेगा । तथा वन विभाग /राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा ।

3.4 विविध :–

3.4.1.लीज नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण जिनमें शासनादेश संख्या –6450 /14–03 –930/77 दिनांक 02 जूलाई 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीजधारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एंव लीज रेन्ट की धनराशी जमा कराई जा चुकी है । ऐसे मामलों को पुनः निर्णीत / खोंला जायेंगा

4. शासनादेश संख्या –6450 /14–3–930 /77 दिनांक 02 जुलाई 1979 एंव शासनादेंश संख्या – 666 /14–2–600 (51) 1999 दिनांक 1999 उक्त सीमा तक संशोधीत समझे जायेगे ।

भवदीय ,

डा0 रणबीर सिंह
सचिव ,

संख्या :– 156 /7–1–2005 –500(826) /2002 दिनांकित ।

1. सचिव , भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय , पर्यावरण भवन , सी0जी0ओ0 कांम्पलैक्स लोदी रोड नई दिल्ली ।

2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार ,पर्यावरण एंव वन मत्रांलय ,क्षे.त्रीय कार्यालय लखलउ ।

3. .समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव मुख्य वन संरक्षक उत्तरांचल ।

4 समस्त वन संरक्षक एंव प्रभागीय वनाधिकारी उत्तराचल ।

5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से ,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव ।

संख्या–78 / 7(व.भू.ह.)–2005–54(51) / 2005

प्रेषक,

डा0आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

2.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरॉचल।

3.आयुक्त कुमाऊ एवं गढवाल,
उत्तरॉचल।

4.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादूनःदिनॉक जनवरी 25, 2004।

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सबंध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–11–9 / 98 एफसी दिनॉक 3.01.2005 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों से संबंधित कतिपय विकास कार्यो हेतु एक हे0 से कम वन भूमि प्रत्यावर्तित किये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुये वर्णित शर्तो के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. प्रयोक्ता एतेन्सीज के द्वारा वन भूमि पर भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के औपचारिक प्रस्ताव गठित कर पूर्ववत नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से भेजे जायेगे। प्रयोक्ता एतेन्सीज द्वारा उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों का नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण करके शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा व वन भूमि हस्तान्तरण के औपचारिक आदेश पूर्व की भॉति उत्तरॉचल शासन द्वारा निर्गत किये जायेगें। समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों द्वारा भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित योजनाओं का सतत् अनुश्रवण अपने स्तर से कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक हे0 से कम के प्रस्तावें को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावक विभागों द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0आर0एस0टोलिया),
मुख्य सचिव।

सख्या–78 / 7(व.भू.ह.)–2005–54(51) / 2005 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,लोदी रोड, नई दिल्ली।

2. समस्त मुख्या वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरॉचल।

3. समस्त वन संरक्षक, उत्तरॉचल।

4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरॉचल।

आज्ञा से,
(डा0 रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या–1313 / 14 – प0भू0वि0 / 98–7 / 93

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव वन,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग दिनांकः लखनऊः 04 जुलाई, 1998

विषयः– उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आम प्रजाति के वृक्षों के पातन पर पूर्ण प्रतिबन्ध ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासकीय अधिसूचना संख्या–1056 / 14–प0भू0वि0 / 98–7 / 93, दिनांक 05 जून, 1998 द्वारा आम प्रजाति के वृक्षों के पातन पर प्रतिबंध ल गा दिया गया है। साथ ही शासकीय अधिसूचना संख्या–1057 / 14 – प0भू0वि0 / 98–7 / 93, दिनांक 05 जून, 1998 द्वारा आम प्रजाति के वृक्षों को उन प्रजातियों में सम्मिलित कर दिया गया है, जिन्हें सन् 2000 तक गिराये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। साथ ही साथ शासकीय अधिसूचना संख्या–एम–290 / 14–2–98–377 / 76 टी सी, दिनांक 16 जून, 1998 द्वारा आम प्रजाति के प्रकाष्ठ के परिवहन पर उ0प्र0 इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 के प्राविधान पुनः लागू कर दिये गये है।

2– अतः आपसे अनुरोध है, कि आम प्रजाति के वृक्षों के पातन एवं अभिवहन पर उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को कडें निर्देश निर्गत करने का कष्ट करे तथा यह भी सुनिश्चित करें, कि शासकीय आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही अवश्य की जाय।

3– कृपया उपर्युक्त आदेशों का दृढ अनुपालन सुनिश्चित करे।

भवदीय,
(टी0 जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव, वन ।

संख्या–1313 (1) / 14 – प0भू0वि0 / 98 – 7 / 93 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3– समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से
(बी0के0 पटनायक)
विशेष सचिव, वन

उत्तरॉचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग
संख्याः 7796 / 1.व.ग्रा.वि./2001–10 (6)/2001
देहरादून – दिनांक 27 दिसम्बर, 2001
अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियिम 2000 की धारा–87 के अधीन, उत्तरॉचल शासन, अनुकूलन राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो।

चूँकि '' आरक्षित वन में शिकार खेलने, गोली चलाने, मच्छली पकडने, जल विषैला करने, पाश या जाल बिछाने की विनियमन (सामान्य) नियमावली –1928'' उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–86 के अधीन उत्तरॉचल राज्य में लागू है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम – 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तरॉचल, सहर्ष निर्देश देते है कि, '' आरक्षित वन में शिकार खेलने, गोली चलाने, मछली पकडने, जल विषैला करने, पाश या जाल बिछाने की विनियमन (सामान्य) नियमावली – 1928'' को उत्तरॉचल राज्य में एतद्द्वारा निरसित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये जाने की सहष्र स्वीकृति प्रदान करते है :–

आरक्षित वन में शिकार खेलने, गोली चलाने, मच्छली पकडने, जल विषैला करने, पाश या जाल विछाने की विनियमन (सामान्य) नियमावली (उत्तरांचल निरसन) आदेश 2001

1- laf{kIr 'kh"kd ,o ikjEHk

(1) यह आदेश '' आरक्षित वन में शिकार खेलने, गोली चलाने, मच्छली पकडने, जल विषैला करने, पाश या जाल विछाने की विनियमन (सामान्य) नियमावली (उत्तरांचल उपान्तरण एवं निरसन) आदेश, 2001 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा ।

2- fujlu

'' आरक्षित वन में शिकार खेलने, गोली चलाने, मच्छली पकडने, जल विषैला करने, पाश या जाल विछाने की विनियमन (सामान्य) नियमावली – 1928'' को एतद्द्वारा उत्तरांचल राज्य के सन्दर्भ में निरसित किया गया समझा जायेगा।

आज्ञा से
(डॉ. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव,

la[;k7796 ¼1½ @ 1-o-xk-fo- @ 2001] rnfnukfdr

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

(1) सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(3) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
(4) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल ।
(5) समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, उत्तरांचल ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
(7) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को गजट में प्रकाशनार्थ।

(8) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल ।
(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(किशन नाथ)
संयुक्त सचिव

उत्तरॉचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग
संख्या :7791/ 1.व.ग्रा.वि./2001–10 (6)/2001
देहरादून – दिनांक 27 दिसम्बर, 2001

vf/k l puk

चूॅकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा –87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निसन के रूप में या संशोधन के रूप में, अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो।

चूॅकि '' उत्तर प्रदेश वन विभाग (अधिकारों की अभिपुष्टि) नियमावली – 1977 '', उत्तर प्रदेश वन विभाग पुनर्गठन अधिनियम – 2000 की धारा – 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम – 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा – 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तरांचल सहर्ष निर्देश देते है कि, '' उत्तर प्रदेश वन विभाग (अधिकारों की अभिपुष्टि) नियमावली – 1977'' को उत्तरांचल राज्य में एतद्द्वारा निरसित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

'' उत्तर प्रदेश वन विभाग (अधिकारों की अभिपुष्टि) नियमावली (उत्तरांचल निरसन) आदेश 2001''

1- lf{kIr 'kh"kd ,o ikjEHk%

(1) यह आदेश '' उत्तर प्रदेश वन विभाग (अधिकारों की अभिपुष्टि) नियमावली'', (उत्तरांचल उपान्तरण एवं निरसन) आदेश, 2001 कहलायेगा।

2- fujlu%

'' उत्तर प्रदेश वन विभाग (अधिकारों की अभिपुष्टि) नियमावली – 1977'' को एतद्द्वारा उत्तरांचल राज्य के सन्दर्भ मं निरसित किया गया समझा जायेगा ।

(डॉ आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव,

संख्या:7791/ 1.व.ग्रा.वि. / 2001, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

(1) सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(3) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
(4) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल ।
(5) समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, उत्तरांचल ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

(7) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को गजट में प्रकाशनार्थ।
(8) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल ।
(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(किशन नाथ)
संयुक्त सचिव

उत्तरॉचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्याः 1497 / 1(2) व.ग्रा.वि./2002–10 (18)/2001
देहरादून – दिनांक 08 नवम्बर,, 2002.

vf/klpuk

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरॉचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हो,

चूँकि ''उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976'' उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा, 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम , 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तरांचल सहर्ष निर्देश देते है कि '' उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976'' उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानो के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेंत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

1- lf{kIr 'kh"kd ,oa izkjEHk %

(1) यह आदेश उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा ।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा

2- ^^ mRrj izn'k ^^ dk LFkku ij ^^ mRrjkpy ^^ i<k tkuk %

'' उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 '' में जहॉ–जहॉ शब्द '' उत्तर प्रदेश '' आया है, वहॉ शब्द '' उत्तरॉचल '' के रूप में पढा जायेगा.

(केशव देसिराजु)
सचिव,

संख्याः 1497 (1) / 1 (2) व.ग्रा.वि. / 2002 तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नांलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन,

(2) लोकायुक्त, उत्तरांचल देहरादून.

(3) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल.

(4) मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायू मण्डल.

(5) समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, उत्तरांचल.

(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल

(7) निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल.

(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल देहरादून.

(9) उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को, अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद रहित, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को शासकीय गजट प्रकाशित कराते हुए, गजट की 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे.

(10)समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल,

(11)सचिवालय के समस्त अनुभाग.

आज्ञा से
(किशन नाथ)
संयुक्त सचिव

उत्तरॉचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्याः 1495 / 1(2) व.ग्रा.वि./2002–10 (15)/2001
देहरादून – दिनांक 08 नवम्बर,, 2002.

vf/k l puk

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हो,

चूंकि '' उत्तर प्रदेश आरामशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978'' उत्तर प्रद्रेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा, 86 के अधीन उत्तरॉचल राज्य में यथावत् लागू है,

अतः अब उत्तर प्रद्रेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा 87 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तरांचल सहर्ष निर्देश देते है कि '' उत्तर प्रदेश आरामशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली,1978'' उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आरामशीन स्थापना एव विनियमन नियमावली,1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आरामशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा,

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा,

2.. '' उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर '' उत्तरांचल'' पढा जानाः

'' उत्तर प्रदेश'' आरामशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978'' में जहॉ– जहॉ शब्द '' उत्तर प्रदेश '' आया है, वहॉ शब्द '' उत्तरांचल '' के रूप में पढा जायेगा,

(केशव देसिराजु)
सचिव

संख्याः 1497 (1) / 1 (2) व.ग्रा.वि. / 2002 तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नांलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन,
(2) लोकायुक्त, उत्तरांचल देहरादून.
(3) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल.
(4) मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायू मण्डल.
(5) समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, उत्तरांचल.
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल
(7) निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल.
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल देहरादून.

(9) उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को, अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद रहित, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को शासकीय गजट प्रकाशित कराते हुए, गजट की 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे.
(10)समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल,
(11)सचिवालय के समस्त अनुभाग.

आज्ञा से

(किशन नाथ)
संयुक्त सचिव

संख्याः756 /1 (2) व.ग्रा.वि. / 2003 –9 (2) / 2001

प्रेषक,

डॉ0 आर.एस.टोलिया
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल
नैनीताल,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2003

fo"k;%& mRrjkpy dk ouksa ls mRikfnr yhls dk fuLrkj.k gsrq uhfr fu/kkj.kA

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2909 शिविर/ 16–7 दिनांक 10 मार्च, 2003 के सन्दर्भ में मुझें यह कहने का निर्देश हुआ है, कि उत्तरांचल राज्य के वनों से उत्पादित लीसे के निस्तारण की व्यवस्था / प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित समस्त पूर्व निर्णयों/ आदेशों को अतिक्रमित करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय लीसा निस्तारण नीति का निर्धारण निम्नवत करते हैः–

¼v½ yhlk fuLrkj.k izfdz;k dk lEcU/k esa ½

उत्तरांचल राज्य के वनों से उत्पादित लीसा का निस्तारण निम्नवत किया जायेगाः–

1. लीसा की कुल वार्षिक फसल के 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण अखिल भारतीय नीलामी से किया जायेगा,
2. 50 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल में पंजीकृत ईकाइयों के बीच, ईकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक, खुली नीलामी से किया जायेगा,
3. अवशिष्ट 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल की खादी, सहकारिता, कुमायू मण्डल विकास निगम और गढवाल मण्डल विकास निगम की लीसा ईकाइयों के बीच, ईकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक, खुली नीलामी से किया जायेगा.
4. यदि उपर बिन्दु–अ (2) एवं बिन्दु –अ (3) के अन्तर्गत निस्तारण/ नीलामी की कार्यवाही के पश्चात लीसे की कुछ मात्रा अवशेष रह जाती है तो उसका निस्तारण भी अखिल भारतीय नीलामी के द्वारा किया जायेगा,

¼c½ yhlk vk/kkfjr m|ksxksa dk lEcU/k esa uhfr @ dk;Zokgh :

1. नई व उन्नत तकनीक प्रयोग में लायी जाने वाली ईकाईयों की स्थापना हेतु वन विभाग के अन्तर्गत पंजीकरण की बाध्यता समाप्त कर दी जाय, उद्योग विभाग में पंजीकरण की व्यवस्था लाइसेंस के रूप में नही बल्कि सूचना एवं अभिलेख के लिए रखी जाये जिसमें ईकाईयों की प्रसंस्करण क्षमता व अपनायी जाने वाली तकनीक इत्यादि का पूर्ण विवरण उपलब्ध रहे, तकनीकी निरीक्षण व पुष्टिकरण उद्योग विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाय, वन विभाग द्वारा उद्योग विभाग से परामर्श करके विस्तृत दिशा– निर्देश जारी किये जा सकते है, जिनका अनुपालन सम्बन्धित इकाईयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा,
2. जारी किये जाने वाले दिशा– निर्देशों के क्रम में, पूर्व से पंजीकृत ईकाईयों को पुर्नपंजीकरण प्रसंस्करण क्षमता इत्यादि का स्पष्ट विवरण दें, नयी ईकाईयों को पंजीकरण मात्र सेकेन्डरी व टरशरी उत्पादों के उत्पादन हेतु ही प्रदान किया जाय, प्राथमिक– स्तर– प्रसंस्करण हेतु नई ईकाइयों के पंजीकरण समाप्त कर दिया जाय,

3. पुर्नपंजीकृत ईकाइयों को प्रथम चरण में प्रसंस्करण तकनीकी के उन्नयन हेतु एक वर्ष की समय–अवधि प्रदान की जाय, यदि इस अवधि के भीतर ये ईकाइयां तकनीकी उन्नयन में असमर्थ रहती है तो उनका पंजीकरण निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है,

4. खादी एवं ग्रामोद्योग की ईकाइयों तथा सहकारिता क्षेत्र की ईकाइयो की दशा एवं दिशा की वर्तमान स्थिति का परीक्षण / सत्यापन क्रमशः औद्योगिक विकास विभाग एवं सहकारिता विभाग के द्वारा करा लिया जाय.

(l½ icU/kdh; lq/kkj gsrq dk;Zokgh ½

1. प्रभागवार लीसा निस्तारण/ नीलामी हेतु प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि निर्धारित करके एक कलैन्डर तैयार किया जायेगा तथा यह कलैन्डर एवं प्रभागवार लीसा स्टाक सबंधी व अन्य संगत सूचना सभी संबंधितों को उपलब्ध करायी जायेगी.

2. लीसा श्रमिकों का भुगतान प्रतिमाह आमद के अनुरूप किया जाय, इस हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाय व विभागाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से भुगतान की मासिक समीक्षा की जाय.

3. लीसा नीलामी / निस्तारण की कार्यवाही प्रमुख लीसा डिपुओं / केन्द्रो पर की जायेगी, लीसा क्रय करने वाली इकाईयों को अनिस्तारित लीसा स्टॉक की समाप्ति के उपरान्त यथासंभव आपूर्ति निकटस्थ रोड हैड / रैल हैड डिपों से की जायेगी.

4. टरशरी स्टेज प्रोसेसिंग के बारे में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अद्यमियों में जागरूकता/ ज्ञान प्रदान किया जाय. इस हेतु वन विभाग द्वारा भी तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाय जिससे अधिक से अधिक बेल्यू एडीशन राज्य में हो सके।

5. लीसा निकासी की पद्वति में सरलीकरण किया जाय, इसके अन्तर्गत लीसा निकासी के परमिट रेंज स्तर पर जारी किये जायें जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं निकासी गेटों पर उपलब्ध करा दी जायेगी, इसके प्रक्रियात्मक स्तरों में कमी होने से औद्योगिक ईकाइयों की कठिनाइयां कम होगी साथ ही अवैधानिक गतिविधियां रूक सकेगी, बाहरी बाजारों के लिए लीसा उत्पादों के परमिट की व्यवस्था को समाप्त किया जाय जिसके बिना कठिनाई के निर्यात किया जा सकेगा .

6. लीसे के अतिरिक्त लीसा से बनने वाले अन्य उत्पादों का विनियमीकरण किया जाये. इसके अन्तर्गत लीसा प्रसंस्करण से उत्पादित समस्त प्रकार के उत्पादों पर वन विभाग के स्तर से पंजीकरण या निकासी की अनुमति / शुल्क की व्यवस्था कोसमाप्त कियाा जाय जिससे औद्योगिक ईकाईयां लीसा उत्पादों का विपणन सरलता पूर्वक कर सकें.

7. लीसे की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु लीसा डिपुओं में शैड्स बनाये जायें जिससे पानी अथवा धूप/ गर्मी से गुणवत्ता में गिरावट नआने पाये.

8. एम0ओ0टी0 / केरोसीन की उपलब्धता औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाय.

9. इकाईयों को तकनीकी उच्चीकरण हेतु बैकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाय.

2. उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही / अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें.

भवदीय,

(आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या– 756 (1) / (2) व.ग्रा.वि. / 2003, तद्दिनांकित,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन.
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक उत्तरांचल.
3. समस्त जिलाधिकारी, चमोली.

4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्रनगर.
5. प्रबन्ध निदेशक, कुमांयू मण्डल विकास निगम/ गढवाल मण्डल विकास निगम.
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल.
7. निदेशक, समस्त राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव बिहार उत्तरांचल.
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरांचल.
9. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल
10. गार्ड फाइल.

(आर. एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव

संख्या 392 (1) / अ0स0 वन / 2003 /
(2) व.ग्रा.वि. / 2003 /8(15) 2001 टी0सी0

प्रेषक,

गम्भीर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक,उत्तरांचल, देहरादून,
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराचल,
3. नोडल वन संरक्षक, वन पंचायत,उत्तरांचल,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 दिनांक : 24 मई, 2003

fo"k;%& ubl ou ipk;rk dk xBu o iol xfBr ou ipk;rk dk ldh; fd;k tku d lecU/k eA

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की नीति के अनुरूप अधिक से अधिक वन क्षेत्रों का प्रबन्ध वन पंचायतों के माध्यम से किये जाने हेतु कार्यवाही द्रुत गति से की जाय, इस सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर नई वन पंचायतों का गठन किया जाय और की गई प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराने का कष्ट करें, प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा जिन ग्रामों से वन पंचायतों के गठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर जिला प्रशासन को उपलबध कराये जाते है, उनमें पंचायतों के गठन की अतिशीघ्र कार्यवाही करने का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का बनता है, अतः इस सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारियों को प्रस्ताव की प्रतियां भेजते हुए वन पंचायतों के गठन की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया जाय और उनके द्वारा की जा रही प्रगति का अनुश्रवण भी किया जाय, प्रभागीय वनाधिकारी वन पंचायतों के गठन हेतु स्मरण पत्र सीधें उप जिलाधिकारियों को प्रेषित करेंगें जिसकी प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी सूचनार्थ प्रेषित की जाय.

वन पंचायतों के गठन के उपरान्त वन पंचायत नियमावली–2001 के अनुसार समय– समय पर आवश्यक बैठकें व कार्यवाही भी सम्पादित करवायी जाय. प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी अपने– अपने क्षेत्र में वन पंचायतों के सम्बन्ध में होने वाली गतिविधियो की जानकारी संकलित कर नोडल वन संरक्षक, वन पंचायत को उपलब्ध करायेगें जिसकी जानकारी वन संरक्षकों के मासिक सम्मेलन में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी.

भवदीय,

(गम्भीर सिंह)
अपर सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल,
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
3. गार्ड फाईल.

(गम्भीर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 392 (1) / प.स..वन / 1 (2)–व.ग्रा.वि.–1860
8 (15) / 2001 टी0सी0 दिनांक 24.05.2003

प्रेषक,

डॉ. आर.एस. टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
2. आयुक्त कुमॉयू एवं गढवाल मण्डल,
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल,
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल,
5. वन संरक्षक, वन पंचायत (नोडल वन संरक्षक)
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल,

विषयः– वन पंचायतों का सुदृढीकरण – बानिकी सम्बन्धी विभिन्न कार्यो में वन पंचायतों का सहयोग एवं भागीदारी।

महोदय,

कृपया वन पंचायतों के गठन, क्षेत्र विस्तार आदि के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 1300 / प्र.स./ अ0व.ग्रा. वि. / दिनांक 29.03.2003 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, इसी क्रम में वन पंचायतों का सुदृढीकरण करने और विभिन्न बानिकी सम्बन्धी कार्यो में उनके सदस्यों की भागीदारी बढाने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित बानिकी गतिविधियों में उनका सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया है–

जडपट / झडपत वृक्षों का संग्रहण / निस्तारणः

2. आरक्षित वनों के जिन क्षेत्रों में वन निगम द्वारा विदोहन की कार्यवाही नही की जा पा रही हो उनमें विदोहन जडपट / झडपट वृक्षों का विदोहन वन पंचायत के सदस्यों के माध्यम से करवाया जाय,

आरक्षित वन क्षेत्रों में जडी बूटी के संरक्षण / संबर्धनः

3. जडी बूटी के संरक्षण, संबर्धन एवं विदोहन के कार्यो में वन पंचायतों का सहयोग लिया जाय और उनकें परामशे से कार्य किये जाय,

निजी खेतों में पातन अनुज्ञाः

4. निजी खेतों में स्थित वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन पंचायतों को पातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेगें, वन पंचायतें इस उद्देश्य से सार्वजनिक बैठक आहूत करेंगी, सार्वजनिक बैठक में ही यह तय किया जायेगा कि किन मामलों में पातन अनुज्ञा दी जानी है व किन में नही दी जानी है, आवश्यकतानुसार वन पंचायत के सदस्य क्षेत्र निरीक्षण करेगें और आवेदन करने वाले व्यक्ति की पुष्टि तथा पातन किये जाने वाले पेडों की संख्या, स्थिति इत्यादि पर प्रार्थना पत्र की पृष्ठ भूमि में अपनी संस्तुति को प्रस्ताव के रूप में पारित कर प्रस्ताव के कार्यवृत्त के साथ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1978 के अन्तर्गत पातन अनुज्ञा वन पंचायत वाले गांवों के सम्बन्ध में वन पंचायतों के माध्यम से ही दी जायेगी, प्रभागीय वनाधिकारी की स्वीकृति को वन पंचायत द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा, स्वीकृत वृक्षों के पातन के उपरान्त पुनः वन पंचायत द्वारा पातन किये गये वृक्षों का सत्यापन किया जायेगा, ऐसे सत्यापित काटे गये पेडों का प्रमाण पत्र वन पंचायत

द्वारा प्राथ्री को उपलब्ध कराकर उसे कार्यवृत्त के रूप में अंकित किया जायेगा, वन पंचायतों के द्वारा दी गयी निकासी को वन चौकियों द्वारा मान्यता दी जायेगी, मुख्य वन संरक्षक इस व्यवस्था के लिए इस शासनादेश का सन्दर्भ देते हुए सभी चौकी प्रभारियों को आदेश निर्गत करेंगे,

अवनत वनों में वृक्षारोपणः

6. वन पंचायतों द्वारा अवनत आरक्षित वनों में वन विभाग के सहयोग से बांस रिंगाल का रोपण किया जायेगा,तथा ऐसे अवनत वनों में उगे बांस रिंगाल के विदोहन के सम्बन्ध में वन पंचायतां की सहभागिता पर अलग से शासनादेश जारी किये जायेगे.

वनों की अग्नि से सुरक्षा :

7. अग्नि सुरक्षा हेतु रखे जाने वाले अग्नि सुरक्षा श्रमिकों का चयन वन पंचायतों के द्वारा प्रस्तावित नामों में से ही किया जायेगा, वन पंचायते बैठक कर ऐसे इच्छुक व्यक्तियों की सूची प्रभागीय वनाधिकारी को उनक अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे, अग्नि सुरक्षा कार्यो में वन पंचायतें स्वय भी योगदान करेगी,

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही वन पंचायतों व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की पारस्परिक सहमति से सम्पन्न करायी जायेगी और वे तदनुसार कार्यवाही हेतु क्षेत्र चयनित करेगे, वन पंचायतों की सहभागिता बढाने के लिए सभी वन अधिकारी अग्रेत्तर सुझाव सीधे प्रमुख वन संरक्षक व प्रमुख सचिव एवं विकास आयुक्त को विचार हेतु भेजेगे।

भवदीय,

(डॉ. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन,

संख्या 1056 / 1(2)व.ग्रा.वि. / 2003–9 (26) / 2003

प्रेषक,

डा0 आर.एस. टोलिया
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल
कैम्प कार्यालय,देहरादून,

वन एव पर्यावरण अनुभाग– 2 देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई, 2003

विषयः– गुजरों एवं अन्य व्यवसायिक व्यक्तियों के भेसौं के लिए शाख– तराशी एवं चुगान शुल्क तथा भेड– बकरियों के लिए चरान– चुगान शुल्क के पुनरीक्षण / निर्धारण के सम्बन्ध मे,

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1695 शिविर / 13–13, दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा एतद्सम्बन्धी समस्त पूर्व निर्णयों / आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तरांचल राज्य में निवास करने वाले वन गुजरों एवं अन्य व्यवसायिक व्यक्तियो के भैसों के लिए शाख–तराशी एवं चुगान शुल्क तथा भेड– बकरियों के लिए चरान–चुगान शुल्क का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

(1) भैसों के चरान– चुगान एवं शाख– तराशी हेतु शुल्क की दरें:

भैसों की संख्या	चराई शुल्क प्रति भैंस / प्रति	शाख– तराशी शुल्क प्रति भैस / प्रति सीजन
10 भैंस तक	रू0 12..00	रू0 30.00
11 से 20 भैंस तक	रू0 15.00	रू0 37.00
21 से 30 भैंस तक	रू0 18.00	रू0 45.00
30 से अधिक भैंस	रू0 24.00	रू0 60.00

सम्बन्धित भैंस पालकों / चरवाहों द्वारा भैसों की परिवार– वार संख्या स्पष्टतः दर्ज करते हुए चरान– चुगान / शाख–तराशी हेतु नियमानुसार परमिट प्राप्त किए जायेगें तथा परमिट में दर्ज भैंसों से अधिक संख्या में भैंसे पाये जाने की स्थिति में उपर लिखित शुल्क दरों से दुगुनी दरों पर शुल्क की वसूली की जायेगी,

¼2½ HkM @ cdfj;k d pjku& pxku gr 'kYd dh nj]

भेडों के चरान–चुगान हेतु शुल्क की दर रू02.00 प्रति भेड / प्रति सीजन तथा बकरियों के चरान–चुगान हेतु शुल्क की दर रू0 4.00 प्रति बकरी / प्रति सीजन होगी, चरान– चुगान हेतु प्राप्त किए गये परमिट में दर्ज भेडों / बकरियों की अधिक संख्या से अधिक संख्या में भेड / बकरियां पाये जाने की स्थिति में दुगुनी दरों पर शुल्क की वसूली की जायेगी.

2. उपरोक्त दरों पर शुल्क की वसूली के पश्चात चरान– चुगान एवं शाख–तराशी की अनुमति मात्र उत्तरांचल राज्य में निवास करने वाले वन गुजरों एवं अन्य व्यवसायिक व्यक्तियों / परिवारों के लिए अनुमन्य होगी, उत्तरांचल राज्य से बाहर के व्यक्तियों / पशुपालकों / चरवाहों के लिए उत्तरांचल राज्य क्षेत्र में चरान– चुगान / शाख'–तराशी की अनुमति नही दी जायेगी.

3. उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 से प्रभावी होगी.

भवदीय,
आर.एस. टोलिया
प्रमुख सचिव

संख्याः 1453 (1) / 1 (2) व.ग्रा.वि. / 2003, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लौदी रोड नई दिल्ली.
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक / निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीस रिजर्व उत्तरांचल.
4. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल देहरादून.
5. आयुक्त गढवाल/कुमायुँ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल दृ
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
7. निदेशक, सूचना विभाग उत्तरांचल,
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
9. गार्ड फाइल (ए).

(किशन नाथ)
संयुक्त सचिव,

ou ,oa xkE; fodkl vk;qDr 'kk[kk

संख्या 914 / व0ग्रा0वि0 / 2003 देहरादूनः 23.08.2006

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल एवं कुमायूँ
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल
5. वन संरक्षक, कार्ययोजना एवं परियोजना प्रबन्ध इकाई, वन विभाग, नैनीताल
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल
8. डा. जे.एस.रावत, निदेशक, जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर
9. श्री एस.के. चन्दोला, वन संरक्षक, एवंनोडल अधिकारी, औषधीय एवं सगन्ध पादप
10. श्री जे.एस. सुहाग, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन पंचायत
11. निबन्धक, सहकारिता
12. मुख्य भेषज विशेषज्ञ, सहकारिता
13. समस्त सचिव, जिला भेषज संघ, उत्तरांचल

विषयः– औषधीय एवं सगन्ध पादपों का संरक्षण, विकास व विदोहन (CDH conservaton Development and harvesting) उत्तरांचल के प्रत्येक वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (joint harvesting team) हेतु योजना .

प्रिय महोदय,

प्राकृतिक क्षेत्रों से औषधीय एवं सगन्ध पादपों का वैज्ञानिक विधि से सरक्षण, विकास व विदोहन सरकार के लिए प्रारम्भ से ही प्राथमिकता का विषय रहा है परन्तु इस व्यवसाय को न तो मुख्य रूप से राज्य की आर्थिकी को सुदृढ करने व ना ही ग्रामीण लोगों की आर्थिकी को बढाने से जोडा गया, अतःयह क्षेत्र लगभग नगण्य सा रहा, औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण व समग्र विकास को त्वरित गति से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष दर्जा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्वति व होम्योपैथी

विभाग (ism & H) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर '' राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड'' का गठन किया गया है, साथ ही उत्तरांचल राज्य में उद्यान विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है, जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर इस बोर्ड की शीर्ष कियान्वयन संस्था के रूप में कार्यरत है जिसकी एक शाखा सेलाकुई, देहरादून में सगन्ध पादपों के विकास के लिए समर्पित है, इस प्रकार औषधीय एंव सगन्ध पादपों के समग्र विकास के लिए सामान्य रूप से सम्पूर्ण राज्य में व विशेष रूप से विशेष रूचि पैदा हुई है.

2. उपरोक्त संस्थाओं के गठन के साथ– साथ अन्य विभागों के द्वारा भी कई गतिविधियों को पारम्भ किया गया है, उदाहरण के तौर पर उद्यान विभाग ने एपीडा के सहयोग से राज्य के सात जिलों को जडी बूटी निर्यात क्षेत्र (Herbal Export zone) के रूप में घोषित किया है, इसके तहत चयनित प्रजातियों को प्रसंस्कृत कर अन्तिम उत्पाद को निर्यात किया जायेगा, राज्य उद्योग विभाग ने भी नई औद्योगिक नीति घोषित की है जिसके तहत राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को राज्य में जडी बूटी के क्षेत्र मं निवेश करनेका सुनहरा मौका मिल रहा है, एच.आर.डी.आई गोपेश्वर द्वारा सीमैप, लखनऊ व भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग की संस्था टाईफैक के साथ मिल कर राज्य में जीरैनियम का व्यापक स्तर पर कृषिकरण की योजना तैयार की है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों तीस प्रसंस्करण संयन्त्र स्थापित किये जायेगें, इस योजना में उत्तरांचल वन विकास निगम (UFDC) तथा वन पंचायतों, जिनको प्रत्येक राजस्व गांव स्तर पर स्थापित किया जायेगा (वर्तमान में 7500 वन

पंचायतों, कार्यरत है), अहम भूमिका रहेगी, वन विकास निगम स्वयं चार प्रसंस्कारण इकाईयों की स्थापना करेगा, जीरैनियम विस्तारीकरण के साथ– साथ प्रसंस्करण ईकाईयों की संख्या भी बढाई जायेगी, वन विकास निगम को वनस्पति वन योजना की स्वीकृति पूर्व में ही मिल चुकी है जिसके तहत मुनि की रेती, ऋषिकेश में एक हर्बल गार्डन व ऋषिकेश में एक केन्द्रीय पौधशाला की स्थापना की जा रही है, इसके साथ– साथ वनस्पति वन योजना के अन्तर्गत चकरौता के देववन रेंज को औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (MPCA) के रूप में विकसित किया जा रहा है, सभी 40 प्रभागों द्वारा राज्य में औषधीय एवं सगन्ध पादपों की पौधशालायें विकसित करकनी प्रारम्भ कर दी है जिसकी संख्या बढती जा रही है, इससे बहुत जल्दी औषधीय व सगन्ध पादपों के लिए बाजार

की आवश्यकता होगी, वन विकास निगम स्वंय व संयुक्त रूप से प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करेगा जिससे उत्पादित जडी बूटियों को बाजार उपलब्ध होगा, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था IDRC कनाडा राज्य में कार्बनिक / वानस्पतिक रंग रोगन के निर्माण के लिए परियोजना स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है, इस परियोजना के तहत वन आधारित उद्योग, जो सम्पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होगा, स्थापित किया जायेगा, पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत व FRLHT , बग्लौर द्वारा समन्वित जैफ (Global Environment Facility) के तहत औषधीय पादपां के विकास के लिए राज्य से 47 करोड रूपये की परियोज ना वित्तीय स्वीकृति के लिए जमा की गई है, हे.न.ब. गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढवाल की संस्था HAPPRC के द्वारा अभी तक अनुसंधान व विकास कर 10 उच्च शिखरीय औषधीय प्रजातियों की कृषि तकनीक विकसित की है जो बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली ह, इनकी अग्रिम प्रति पहले ही वितरित की जा चुकी है,

3. केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने वन विकास निगम को 2 वृहद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हतु स्वीकृति प्रस्तावित की है, जिसमें से एक कुमायूँ तथा दूसरी गढवाल में स्थापित की जायेगी, यह दोनों इकाईयां निगम द्वारा जिरैनियम के व्यापक कृषिकरण योजना के तहत स्थापित की जाने वाली चार इकाईयों के अतिरिक्त है, यह दोनों इकाईयां ल लगभग 30 लाख रूपया प्रति इकाई लागत की होगी, एक समय में एक टन क्षमता की प्रसंस्करण इकाई की कीमत लगभग 70–80 हजार रूपये तक होती है,

4. औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण, विकास व विदोहन से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित विकास कार्यो का सम्पादन सुनियोजित रणनीति के तहत ही सम्भव हो पाया है, जब औषधीय एवं सगन्ध पादपों की जानकारी बहुत कम थी, के समय में प्रभागीय विदोहन समिति गठित की गई थी जिसको पुनर्गठित किया जा रहा है, यह समिति प्रमुख भेषज,जडी बूटी व सगन्ध पादपों के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगी, इसकी प्रथम बैठक इसी माह में सम्पन्न कराई जायेगी, निम्न अनुच्छेदों में भविष्य में सम्पादित किये जाने वाले कार्य बिन्दुओं वर्णन किया गया है जिनका प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है,

lajk{k.k] fodkl o fonkgu ;kstuk %

5. जैवीय विविधता से परिपूर्ण उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए जडी बूटी क्षेत्र के यह तीनों पहलुओं अत्यन्त महत्वपूर्ण है, औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण, विकास व विदोहन की योजना तैयार करते समय प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी निम्न बातों पर अमल करेंगे.

5.1 प्रत्यक वन प्रभाग के रेंज स्तर पर सर्वेक्षण कर रेंज में पाई जाने वाली (Endemic) औषधीय एवंसगन्ध पादपों की प्रजातियों की सूची तैयार कर ली जाये, सर्वेक्षण पूर्णतया बैज्ञानिको / विशेषज्ञों की उपस्थिति में हो, इस हेतु एच.आर.डी.आई. , गोपेश्वर, हापार्क, श्रीनगर गढवाल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून, भारतीय वन्य जीस संस्थान देहरादून , गो.ब.पन्त हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कटारमल कोसी, स्वंय सेवी संस्थाओं, गढवाल व कुमांयूँ विश्वविद्यालय

आदि से सहयोग लिया जा सकता है, इस कार्य के लिए धनराशि फोरेस्ट गार्ड / स्टाफ के प्रशिक्षण मद, वन विकास ऐजेन्सी परियोजना, अथवा वाह्य रूप से समर्थित परियोजनाओं जैसे शिवालिक हिल्स – 11 आदि से प्राप्त किया जा सकता है,

5.2 इस त्वरित नक्शाकरण कार्य (RME Rapid Mapping EXercise) में रेंज के किस हिस्सें में कौन सी प्रजाति प्राकृतिक रूप से पनप रही है, का भी विस्तार से वर्णन होना चाहिए, प्रत्येक हिस्से को रेंज व प्रक्षेत्र सहत जिससे जगह को आसानी से पहचाना जा सकें, सूचीबद्व कर क्षेत्र को औषधीय व सगन्ध पादप प्रक्षेत्र (पूर्ण व आंशिक) घोषित किया जायेगा, तत्पश्चात यह प्रक्षेत्र नाम व विवरण के आधार पर औष्धीय एवं सगन्ध पादप संरक्षण प्रक्षेत्र के नाम से जाना जायेगा, यह परिर्वतन अधिकारिक कार्ययोजना (Working plan) में भी आ जाना चाहिए, प्रत्येक वन प्रभाग प्रत्येक रेंज में एक प्रक्षेत्र को औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित करेगा, इस प्रकार प्रत्येक वन प्रभाग के पास कही भी 5–7 औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (MPCA) विधिवत् रूप से घोषित होने चाहिए अतः इन औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों को जीन पूल बैंक के रूप में विकसित किये जाने में विशेष सावधानी रखनी होगी, प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी भी इन क्षेत्रों के भ्रमण की योजना रखेंगे जिसमें प्रजातियों की पहचान रखने वाले विशेषज्ञ शामिल होगे, इन विशेषज्ञों का रनाम प्रो. ए. एन. पुरोहित , एम. एल. भारतीय चेयर, एच.आर.डी.आई, गोपेश्वर द्वारा अग्रसारित किया जायेगा, इन विशेषज्ञों की राय प्रत्येक वर्ष कार्ययोजना में शामिल की जायेगी , जिस प्रभाग में कार्ययोजना तैयार की जा रही है, कार्ययोजना अधिकारी यही विधि अपनायेगे तथा प्रभाग की नई कार्ययोजना में औषधीय व सगन्ध पादप विकास पर पृथक से एक पाठ शामिल करेगे इस कार्य की सुनिश्चितता कार्ययोजना सर्किल के वन संरक्षक खुद करेंगे.

5.3 त्वरित नक्शाकरण कार्य के दौरान, जैसा कि अनुच्छेद 5.1 एवं 5.2 में वर्णन किया गया है, अन्य वन प्रक्षेत्र को, जो औषधीय एवं सगन्ध पादप संरक्षण क्षेत्र के अतिरिकत होगा, रेंज स्तर पर औषणेय व सगन्ध पादन पौधशाला विकसित करने के लिए चयनित किया जायेगा यह प्रक्षेत्र

विकास प्रक्षेत्र (Development Compartment) कहलायेगा जिसकी स्थापना रेंज क नजदीक, ग्रामीणों के निकट अथवा सडक के पास की जायेगी जिसके कृषिकरण के लिए बीज पौध आवासी से गन्तब्य तक पहुचाया जा सके, इस प्रकार प्रत्येक प्रक्षेत्र के छोटे से भाग को पौधशाला के रूप में विकसित किया जायेगा, पौधशाला में वही औषधीय व सगन्ध पादपों को रखा जायेगा जो या तो क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त हो या आस पास के क्षेत्रों में उगाई जा सकती हों, यहां तक कि रेंज से लगे दूसरे प्रक्षेत्र में भी उगाई जा सकती हो, यह विकास प्रक्षेत्र कृषिकरण के लिए बीज पौध की आपूर्ति के मुख्य केन्द्र होंगे, यह पौधशालायें सम्बन्धित प्रजातियों के बीज पौध को प्राकृतिक क्षेत्रों से / रिजर्ब फॉरेस्ट से गुणन कर विभिन्न प्रकार की जडें, कटिंग बीज, पौध, स्लिप आदि स्थानीय लोगों में कृषिकरण के लिए उपलबध करायेंगी, यह कार्य पूर्णतया विशेषज्ञों / विभागीय देखरेख में होगा.

5.4 प्रत्येक रेंज के अन्य हिस्सों से औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र तथा विकास कम्पार्टमेन्ट के अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 24 (RE – 98) / 1997 – 2002 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा प्रतिबन्धित / नकारात्मक सूची के तहत सूचीबद्व 29 प्रजातियों को छोडकर अन्य सभी प्रजातियों का उत्तरांचल वन विकास निगम तथा उनके संरक्षण में गठित समूल के द्वारा एकत्रीकरण किया जायेगा, भेदसूचक (Distinctive) एकत्रीकरण में सावधानी रखी जायेगी, इस प्रकार के प्रक्षेत्र को संरक्षण, विकास व उत्पादन योजना के तहत सम्बन्धित प्रजातियों के लिए उत्पादन प्रक्षेत्र (हार्वेस्ट कम्पार्टमेन्ट) कहा जायेगा, त्वरित नक्शाकरण के कार्य के समय प्रत्येक प्रजाति के सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना यथा क्षेत्र में सम्भावित लाभकारी औषधीय व सगन्ध पादप, लगभग उपलब्ध मात्रा व वास्तविक जगह, नाम, मात्रा व क्षेत्र सम्बन्धित सूचनायें त्वरित नक्शाकरण कार्य का मुख्य हिस्सा होगा.

5.5 प्रत्येक रेंज में औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण, विकास व उत्पादन सम्बन्धी योजना नक्शें में औषधीय पादप सरंक्षण क्षेत्र व विकास प्रक्षेत्र (वास्तविक जगह व

क्षेत्रों) को विभिन्न रंगों से जैसे एम.पी.सी.ए. को लाल रंग से, नर्सरी को हरे रंग, व उत्पादन प्रक्षेत्र कोसफेद रंग से दर्शाते हुए योजना के साथ संलग्न करना होगा, इसके पश्चात यह योजना मोहर सहित सम्बन्धित रेंज अधिकारी व रेंज के वन दरोगा द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, सम्बन्धित उप रेंज अधिकारी व वन दरोगा भी इसे हस्ताक्षर कर सकेगें, यह अति आवश्यक होगा ताकि सभी रेंज अधिकारी योजना से पूर्णतया विज्ञ हों जैसे त्वरित नक्शाकरण कार्य (आर.एम.ई.) टोली में विभिन्न संस्थाओं के जितने भी विशेषज्ञ होंगे वे सभी अपने पदनाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेगें प्रत्येक सी.डी.एच. योजना के साथमें संयुक्त आर.एम.ई. की रिपोर्ट आर.एम.ई. टीम के सदस्य के नाम सहित, आर.एम.ई. सर्वेक्षण का समय तथा कार्यो यथा एम.पी.सी.ए. विकास प्रक्षेत्र व हर्बल उत्पादन / एकत्रीकरण प्रक्षेत्र के विवरण सहित संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसमें आर.एम.ई. टीम द्वारा सम्पादित कार्यो की रिपोर्ट कों रेंज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित काय्रे की रिपोर्ट को रेज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को अग्रसरित किया जायेगा, प्रत्येक प्रभागीय वनाध्किारी अपनेस्तर से रिपोर्ट को पूर्ण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक को पहुॅचाना सुनिश्चित करेगें, प्रत्येक रेंज के लिए सी.डी.एच. योजना के साथ– साथ प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी सभी रेंजों के लिए तैयार सी.डी.एच. योजना की एक प्रति वन विभाग के नोडल अधिकारी श्री एस.सी. चन्दोला, वन संरक्षक, मुनि की रेती, ऋषिकेश को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे, जैसाकि पूर्व मे कहा गया है, प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक के माध्यम से वकिंग प्लान सर्किल व वकिंग प्लान कोड में औपचारिकतायें पूर्ण करेंगे, वर्किग प्लान कोड में आवश्यकता पडने पर वार्षिक अन्तर दर्ज करना होगा, नये वर्किग प्लान में अब औषधीय व सगन्ध पादनों सम्बन्धी पाठ वर्किग प्लान के द्वितीय भाग में अलग से सम्मिलित करना होगा, इसके तैयार करने में वर्किग प्लान अधिकारी, प्रो.ए.एन. पुरोहित, एम.एल. भारतीय चेयर, एच,आर.डी. आई. गोपेश्वर की सहायता प्राप्त कर सकते है या उसके द्वारा नामित विशेषज्ञ को भी इसमें शामिल किया जायेगा, यह कार्य वर्किग प्लान वृत्त के संरक्षक के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, प्रत्येक वन संरक्षक ग्राम वन / संयुक्त वन प्रबन्धन के लिए भारत सरकार की निर्देशिका के आधार पर औषधीय व सगन्ध पादपों के लिए वृत्त में नई कार्ययोजना तैयार करवायेगें, (कृपया भारत सरकार की निर्देशिका फरवरी, 2000 को भी देखे)

l;Dr fonkgu Vkyh %

6. औषधीय व सगन्ध पादपों का समुदायिक वन क्षेत्रों व प्राकृतिक वन क्षेत्रों से वैज्ञानिक विदोहन कर दीर्घकालीन व धारणीय (ustainable) आर्थिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि सभी प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्येक रेंज व प्रभाग के लिए सी.डी.एच. योजना के तैयार करने में व्यक्तिगत रूचि दिखायेंगें. इस सी.डी.एच. योजना को तैयार करना प्रभागीय वनाधिकारी व मुख्यालय पर तैनात अन्य अधिकारियों जैसे ए.सी.एफ. / एस.डी.ओ. के मुख्य कियाकलापों में सम्मिलित होगा, सभी कार्मिकों का इस योजना को तैयार करने मं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी अतः प्रत्येक प्रभगीय वनाधिकारी को अपने अधीन कार्यालय / फील्ड में तैनात अधिकारियें / कर्मचारियों के लिए कार्यो का वितरण सावधानीपूर्वक तय करना होगा.

7. उपरोक्त सी.डी.एच. योजना में वर्णित औषधीय व सगन्ध पादपों के वैज्ञानिक व लगातार एकत्रीकरण के लिए उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा जिसके साथ विशेषज्ञता सहकारिता की जडी बूटी योजना के प्रशिक्षित व्यक्ति, शीर्ष कियान्वयन संस्था एच.आर.डी. आई. के वैज्ञानिकों द्वारा दी जायेगी, उत्तरांचल वन विकास निगम अपने कार्यो कोक्रमबद्व तरीके से सम्पादित करेगा, साथ ही यह अनुसंधान व विकास सम्बन्धी योजनाओं जैसे वनस्पति वन, हर्बल गार्डन, केन्द्रीय पौधशाला आदि की स्थापना भी करेगा, निगम तुरन्त अनुसंधान व विकास सम्बन्धी शाखा की स्थापना करें जो औषधीय व सगन्ध पादपों के विकास सम्बन्धी व कार्बनिक / वनस्पति रंग रोगन के निर्माण का कार्य करेगी,

8. प्रबन्ध निदेशक, यू.एफ.डी.सी. औषधीय व सगन्ध पादप के अनुसंधान हेतु शाखा खोलने वावत आदेश जारी करेंगे जिसमें वर्तमान में उपलब्ध अधिकारियों / कर्मचारियों को पादपों की पहचान, विकास, बाजार कार्बनिक रंग रोगन तैयार करने आदि में प्रशिक्षण प्रदारन करना भी आवश्यक होगा, प्रो. ए.एन. पुरोहित व एच.आर.डी. आई. के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता भी वन विकास निगम को उपलब्ध करा दी जायेगी, संस्थान के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता व्यावसायिकता के तौर पर उपलब्ध करने की शर्ते निदेशक, एच.आर.डी.आई. व प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम तुरन्त तय करेंगे, इस प्रकार इस शाखा के प्रमुख वन क्षेत्रों व सामूहिक वन क्षेत्रों से प्रजातियों के एकत्रीकरण को भी अन्तिम रूप प्रदान करेंगे.

9. प्रत्येक वन प्रभाग के लिए संयुक्त एकत्रीकरण दल का गठन किया जायेगा जो वर्ष भर प्रभाग के अन्तर्गत कार्य करेंगे, प्रत्येक प्रभगीय वनाधिकारी, रेंज अधिकारी अथवा उप रेंज अधिकारी को नामित करेगा जबकि वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक रेंज टीम के संयुक्त मुखिया जो डिविजनल लौगिग अधिकारी या उसके उप से कम रेंक का न हो, को नामित करेंगे, इस संयुक्त दल में तकनीकी सदस्य के रूप में भेषज संघ अथवा एच.आर.डी.आई. द्वारा नामित सदस्य होगा, सम्पूर्ण एकत्रीकरण संयुक्त दल के निर्देशन में सम्पादित होगा, दल के सदस्य यह तय करेंगे कि एकत्रीकरण केवल सी.डी.ए. योजना के तहत चयनित क्षेत्रों से ही किया जायय. एकत्रीकरण केवल वन विकास निगम के नियमित कार्मिकों के माध्यम से होगा, यदि आवश्यकता पडने पर किसी अन्य व्यक्ति को एकत्रीकरण में शामिल किया जाता है तो यह एकत्रीकरण संयुक्त दल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जायेगा, प्रत्येक एकत्रीकरण कर रहे व्यक्ति के पास उसका सत्यापित पहचान पत्र होगा.

10. औषधीय व संगन्ध पादपों का उपरोक्त माध्यमों से एकत्रीकरण करने के पश्चात वन विकास द्वारा गठित उत्तरांचल राज्य विदोहन समिति द्वारा नामित संस्था के माध्यम से निविदा जारी की जायेगी, नामित संस्था के माध्यम से राज्य विदोहन समिति एकत्रीकरण,ग्रेडिग, भण्डारण,

ट्रान्सपोर्ट आदि की शर्ते व दशा तय करेगा, राज्य विदोहन समिति द्वारा रॉयल्टी की दरें भी तय की जायेगी जिसको प्रजाति की बाजार में वर्तमान दरों के आधार पर तय किया जायेगा,

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, उद्यान
2. सचिव, सहकारिता
3. सचिव, बायो– टैक्नोलोजी एवं नियोजन
4. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण
5. प्रमुख सचिव, वित्त एवं संस्थागत वित्त
6. प्रमुख सचिव, उद्योग
7. कार्यकारी निदेशक, सिडकुल
8. सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क
9. प्रो. ए.एन.पुरोहित, एम.एल. भारतीय चेयर, एच.आर.डी.आई.
10. डा. एल.एम.एस. पालनी, बरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार एवं परियोजना निदेशक, बायोटैक्लाजी

(डा. आर.एस. टोलिया)
मुख सचिव, एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित

1. मुख्य सचिव
2. निजी सचिव मा. वन मंत्री

3. निजी सचिव, मा. सहकारिता मंत्री
4. निजी सचिव, मा. उद्योग मंत्री
5. निजी सचिव, मा. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
6. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

ou ,oa xkE; fodkl vk;qDr 'kk[kk

संख्या 913 / व0ग्रा0वि0 / 2003 देहरादूनः 23.08.2006

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल एवं कुमायूँ
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल
5. वन संरक्षक, कार्ययोजना एवं परियोजना प्रबन्ध इकाई, वन विभाग, नैनीताल
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल
8. डा. जे.एस.रावत, निदेशक, जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर
9. श्री एस.के. चन्दोला, वन संरक्षक, एवंनोडल अधिकारी, औषधीय एवं सगन्ध पादप
10. श्री जे.एस. सुहाग, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन पंचायत
11. निबन्धक, सहकारिता
12. मुख्य भेषज विशेषज्ञ, सहकारिता
13. समस्त सचिव, जिला भेषज संघ, उत्तरांचल

विषयः– औषधीय एवं सगन्ध पादपों का संरक्षण, विकास व विदोहन (CDH conservaton Development and harvesting) उत्तरांचल के प्रत्येक वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (joint harvesting team) हेतु योजना।

प्रिय महोदय,

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के 28 के तहत् वन पंचायतों व सम्बन्धित सामुदायिक वन संस्थानों को सम्बन्धित क्षेत्रों से अकाष्ठ वन उत्पाद को एकत्र कर बेचने / व्यापार करने का अधिकार प्रदत्त है, अतः औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास व उत्पादन के लिए सूक्ष्म व वृहत्त योजना बनाते समय इन नियमों का अनुकरण करते हुए सूक्ष्म व वृहत्त परियोजना तैयार करने में अधिक समय लगेगा इसलिए प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय वन विभाग के स्टाफ की उपस्थिति में एम. पी.सी.ए. की पहचान कर ली जाय तथा औषधीय प्रजातियों का एकत्रीकरण केवल उन्हीं क्षेत्रों से किया जाय जो एम.पी.सी.ए से स्पष्ट रूप से पृथक हों, वन पंचायत के अधीन एम.पी.सी.ए. की पहचान पूर्ण रूप से होनी चाहिए तथा सभी वन पंचायत के अधिकारी / कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन पंचायत के अधीन गठित एम.पी. सी.ए. क्षेत्रों से कोई एकत्रीकरण न हो, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी वन पंचायतों के लिए सूक्ष्म व वृहद योजना निर्माण में वन विभाग के सहायक विकास अधिकारियों व वन पंचायत इन्सपेक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करेंगें. इस कार्य में सम्बन्धित रेंज अधिकारी भी सहायता करेंगे, सभी रेंज अधिकारी / उप रेंज अधिकारी, फॉरेस्टर व वन दरोगा को पी.आर.ए. तकनीक से सूक्ष्म व वृहद योजना तैयार करने में प्रशिक्षित किया गया है और वन विभाग के सहायक विकास अधिकारियों व वन पंचायत के इन्सपैक्अर भी उपरोक्त अधिकारियों की इस प्रकार की योजना तैयार करने में मदद कर सकते है.

2. वन पंचायत पूर्व सूचित तिथि को एक सामान्य बैठक बुलाये जाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगा जिसमें सभी पंचायत सदस्य भाग लेंगे इस बैठक में वर्ष भर के लिए औषधीय व सगन्ध पादप की उपज का कैलेण्डर तैयार किया जायेगा जिसकी प्रति सभी रेंज अधिकारियों को प्राप्ति के पश्चात् उपलब्ध करा दी जायेगी, वन पंचायतों से उपज का एकत्रीकरण केवल सम्बन्धित वन पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा किया जायेगा ऐसे एकत्रीकरण करने वालों की नामावली भी बैठक में तय की जायेगी व इनकी सूची कार्य विवरण पंजिका में दर्ज की जायेगी, एकत्रीकरण करने वाले ग्रामीणों के नाम के साथ इस प्रस्ताव की एक प्रति कार्यवृत्त पंजिका में भी उल्लिखित की जानी चाहिए जि सें रेंज अधिकारी के सुपुर्द कर दिया जायेगा.

3. एकत्रित औषधीय एवं सगन्ध पादपों को राज्य विदोहन समिति के द्वारा नामित ऐजेन्सी को ही विक्रय किया जायेगा, यदि विदोहन समिति के द्वारा नामित संस्था क्रय करने को सहमत नही होती ह तो प्रस्ताव में अन्य क्रय करने वाली संस्था को नामित किया जा सकता है, वन पंचायत के कार्यवृत्त पंजिका में नामित संस्था ही उपरोक्त एकत्रित पादपों को क्रय कर सकेगी, रेंज अधिकारी द्वारा नामित वन अधिकारियों की उपस्थिति में सम्बन्धित जडी बूटी को वन पंचायत की बैठक में नामित संस्था के सुपुर्द कर दिया जायेगा, सभी प्रभागीय वनाधिकारी सम्बन्धित रेंज अधिकारियों को इस प्रकार के वनाधिकारियों को नामित करने के लिए निर्देशित करेंगे जिनकी उपस्थिति में सम्बन्धित जडी बूटी को नामित संस्था के सुपुर्द किया जायेगा, वन पचायत के पास यह अधिकार होगा कि वह नामित संस्था को प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगी जिसमें सम्बन्धित जडी बूटी की मात्रा व कीमत दर्ज होगी इस प्रमाण पत्र को वन विभाग द्वारा जारी खन्ना का दर्जा प्राप्त होगा, इस प्रमाण पत्र को वन विभाग की निकासी चौकियों पर ही मान्यता प्राप्त होगी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी सभी चौकियों को इस खन्ना को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश देंगे जिसके साथ वन पंचायत की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भी संलग्न होगी, खन्ना पर केवल निकासी चौकी से मोहर लगायी जायेगी परन्तु चौकी पर इसे जमा नही करना होगा, चौकी पर उपस्थित कर्मचारी इस खन्ना की प्रविष्टी अपनी पं िजका में करेंगे जिसमें खन्ना जारी करने वाली वन पंचायत का नाम तथा प्रस्ताव की तिथि अंकित होगी, सम्बन्धित वन पंचायतों द्वारा उपरोक्त पर रॉयल्टी ली जायेगी, जिसे वन पंचायत उचित मद में जमा कर सकते है या जैसा कि राज्य विदोहन समिति द्वारा निर्णय लिया गया हो जैसा कि वन पंचायत सभी रॉयल्टी के लिए भण्डार का कार्य करेंगे, औषधीय पादप संग्रहण से प्राप्त रॉयल्टी को पृथक से दर्शाना होगा, यह प्रत्येक वन पंचायत का दायित्व ोगा कि वो क्रेता से रॉयल्टी अग्रिम में प्राप्त करें जिसके लिए प्रजातिवार रॉयल्टी दरों की जानकारी की सूचना प्रत्येक वन पंचायत के पास होनी आवश्यक है, राज्य विदोहन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रजातिवार रॉयल्टी दरों का निर्धारण कर जनहित में सूचना जारी करेगी.

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रतिलिपि निम्नालिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, उद्यान
2. सचिव, सहकारिता
3. सचिव, बायो– टैक्नोलोजी एवं नियोजन
4. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण
5. प्रमुख सचिव, वित्त एवं संस्थागत वित्त
6. प्रमुख सचिव, उद्योग
7. कार्यकारी निदेशक, सिडकुल
8. सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क
9. प्रो. ए.एन.पुरोहित, एम.एल. भारतीय चेयर, एच.आर.डी.आई.
10. डा. एल.एम.एस. पालनी, बरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार एवं परियोजना निदेशक, बायोटैक्लाजी

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित

1. मुख्य सचिव
2. निजी सचिव मा. वन मंत्री
3. निजी सचिव, मा. सहकारिता मंत्री
4. निजी सचिव, मा. उद्योग मंत्री
5. निजी सचिव, मा. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
6. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्याः 2218 / व0ग्रा0वि0 / 2003–9 (4)/2001

प्रेषक,

गम्भीर सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल,
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल एवं कुमॉयू.
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल.
5. वन संरक्षक, कार्ययोजना एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई, वन विभाग, नैनीताल.
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
8. डा. जे.एस. रावत, निदेशक, जडी बूटी शोघ एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर.
9. श्री एस. के. चन्दोला, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, औषधीय एवं सगन्ध पादप.
10. श्री जे.एस. सुहाग, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन पंचायत.
11. निबन्धक, सहकारिता.
12. मुख्य भेषज विशेषज्ञ, सहकारिता.
13. समस्त सचिव, जिला भेषज संघ, उत्तरांचल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 06.10.2006

विषय– औषधीय एवं सुगन्ध पादपों का संरक्षण, विकास व विदोहन (CDH conservaton Development and harvesting) उत्तरांचल के प्रत्येक वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (joint harvesting team) हेतु योजना.

महोदय,

कृपया वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के पत्र संख्या 914 / व.ग्रा.वि. / 2003 दिनांक 23.08.2003 का संन्दर्भ ग्रहण करें, पत्र के प्रस्तर सात में आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जडी बूटी के कार्य में लगे विभिन्न हित समूहों में समन्वय स्थापित कर विदोहन कार्य किया जाय. इसके लिए प्रत्येक प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयोजक (Convener) का कार्य करते हुए एक कमेटी गठित की जाय जिसके सदस्य उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, जिला भेषज संघ के सचिव, वन पंचायतों के प्रतिनिधि व कुॅमाऊ मण्डल विकास निगम के महाप्रबन्धक भी होगे. यह समिति निर्धारित करेगी कि जडी बूटी के एकत्रीकरण करने का कार्य किन–किन क्षेत्रों में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा व किन क्षेत्रों में भेंषज संघ, वन पंचायतों व कुमॉऊ मण्डल विकास निगम को यह कार्य सौपा जायेगा.

2. जडी बूटी के विदोहन का कार्य स्थानीय जन समुदाय के ही श्रमिकों से कराया जायेगा और किसी भी दशा में ठेके पर अथवा बाहरी व्यक्तियों से विदोहन का कार्य नही कराया जायेगा, जडी–बूटी कार्य में लगने वाले श्रमिकों को पंजीकृत किया जायेगा और उनहें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी किए जायेगें, केवल अधिकृत पहचान पत्र वाले श्रमिक ही कार्य करेंगे, जो इस प्रक्रिया का उल्लघन करेगा उनका परमिट निरस्त कर दिया जायेगा और उन्हें काली सूची में

दर्ज कर दिया जायेगा ताकि उन्हें भविष्य में कार्य आवटन न किया जाय, प्रभागीय वनाधिकारी इस सम्बन्ध में सतत् जांच सुनिश्चित करेंगे.

3. कृपया तदनुसार निदेश अपने स्तर से सभी सम्बधित अधिकारियों को निर्गत करना सुनिश्चित करें.

भवदीय,

(गम्भीर सिंह)
अपर सचिव,

संख्या / 1 (1) एवं पर्या. / 2003–9 (4) / 2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
2. निजी सचिव, मा. वन मंत्री, उत्तरांचल.
3. निजी सचिव, मा. सहकारिता मंत्री, उत्तरांचल.
4. निजी सचिव, मा. उद्योग मंत्री, उत्तरांचल.
5. निजी सचिव, मा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तरांचल.

(गम्भीर सिंह)
अपर सचिव,

संख्याः115 / 1 (2) व0ग्रा0वि0 / 2003–21(5) / 2003

प्रेषक,

डॉ. आर. एस. टोलिया.
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उत्तरांचल,
प्रेमनगर, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 जनवरी, 2003

विषयः– उत्तरांचल में ओक टसर विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वन क्षेत्रों मे स्थित बांज वृक्षों के उपयोग के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5509–12 / रेशम / तक0 अनु0 / 2 (2) 2002–03 दिनांक 27 जनवरी, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन द्वारा भारत सरकार के वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 1992 को निर्गत रूल्स एण्ड गाइर्डलाईन्स के प्रस्तर–1.5 के वर्णित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में, सम्यक विचारोपरान्त, विषयगत परियोजना के क्रियान्वयन से स्थानीय जनता, विशेषकर जनजाति बहुमूल्य क्षेत्रों के निवासियों के लाभ हेतु टसर कीट पालन कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर लागू करने की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त परियोजना की आरम्भिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु उत्तरांचल के वन क्षेत्रों में स्थित बांज (ओक) वृक्षों के उपयोग / वृक्षारोपण के सम्बन्ध में, वर्तमान संसाधनों के संरक्षण / सबर्द्धन को ध्यान में रखते हुए, निम्न शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

(1) परियोजना / कार्यक्रम की गतिविधियों के क्रियान्वयन में सम्बन्धित वन क्षेत्र / प्रभाग की कार्ययोजना / प्रबन्ध योजना के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, यदि कार्ययोजनाओं में समुचित प्राविधान न हो तो इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तथा अन्य विभागीय आदेशों के प्राविधानों के सापेक्ष आवश्यक विचलन प्राप्त करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय.

(2) वृक्षारोपण के अन्तर्गत कम से कम तीन प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जायेगा जिसमें से किसी एक प्रजाति के पौधों का अनुपात कुल वृक्षारोपण क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगा.

(3) वर्तमान वृक्षों का न तो कटान किया जायेगा और न ही उन्हें क्षतिग्रस्त किया जायेगा.

(4) वृक्षों की लॉपिंग सम्बन्धी नियमों का कडाई से अनुपालन किया जाय.क्षेत्र में वृहद स्तर पर लॉपिग न की जाय, कार्ययोजनाओं में प्राविधानित शाखा– कर्तन पद्वति से ही पत्तियां निकाली जाय और एक क्षेत्र में लॉपिग हो जाने के पश्चात उस क्षेत्र को चार वर्ष के लिए छोड दिया जाय, 45 से.मी. से कम व्यास – वर्ग के किसी भी वृक्ष की लॉपिग न की जाय तथा जो 2.5 सेमी व्यास वर्ग से अधिक मोटी शाखाओं का कटान न किया जाय,

(5) ये लाभ स्थानीय जनता में से हक–हकूक धारकों को ही प्रारम्भ में उपलब्ध कराये जाय।

(6) किसी वन क्षेत्र / उप वन क्षेत्र में टसर उत्पादन सम्बन्धी कोई भी गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, सम्बन्धित वन प्रभाग के कार्ययोजना प्राविधानां इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुमति निर्गत करेंगे। तथा उपरोक्त शर्तो / प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सतत निगरानी रखेगें.

(7) प्रभागीय वनाधिकारी, यह सुनिश्चित करेगें कि टसर कल्टीवेशन की गतिविधियों से वन क्षेत्रों में किसी प्रकार का कीट / जैविक संक्रमण न होने पाये यदि इस

प्रकार की कोई घटना प्रकाश में आती है तो तत्काल शासन के संज्ञान में लाते हुए संक्रमण के नियंन्त्रण / निदान हेतु अपेक्षित कार्यवाही समयबद्व आधार पर करायी जाय.

(8) ये आदेश भारत सरकार के स्तर से समय– समय पर निर्गत किये जाने वाले दिशा निर्देशों के अधीन रहेगे,

भवदीय,
(डा0 आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव,

संख्या– 115 (1) / 1 (2) व.ग्रा.वि. / 2003 तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के यदि कोई अन्यथा दिशा निर्देश हो तो ाराज्य शासन को कृपया अबिलम्ब अवगत कराने का कष्ट करे, उक्त के अतिरिक्त मलबरी (शहतूत) कल्टीवेशन को ट्री–मोड में करने के सम्बन्ध में भी कृपया दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का कष्ट करें,

(डा0 आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव,

संख्या– 115 (2) / 1 (2) व0ग्रा0वि0 / 2003 तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन,
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन,
3. सचिव, उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराचल शासन.
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल देहरादून.
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल.
8. गार्ड फाईल.

आज्ञा से
(डा0 आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव,

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन देहरादून

अ0शा0पत्र.सं1571 /1(2)
व.ग्रा.वि /02/8 (15)2001
टी.सी.–1 दिनांक 31अगस्त,02

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल (नाम से)
समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल (नाम से)
समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.

विषयः वन पंचायतों के गठन तथा वन पंचायतों के विद्यमान क्षेत्र का विस्तार –अभियान.

महामहिम श्री राज्यपाल के राज्य विधान सभा के प्रथम सत्र में अपने अभिभाषण में इस बात की घोषणा की गयी थी, कि '' आरक्षित वन भूमि सहित वन भूमि के क्षेत्रफल का कम से कम 20 प्रतिशत क्षेंत्रफल सामुदायिक नियंत्रण एवं प्रबन्ध में लगाए जाने की कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जाएगी,
उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं.

2.1 गत एक दशक में वन पंचायतों के गठन में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है किन्तु पर्वतीय गांवों का अवलम्बन अत्यन्त सघन रूप से वनों से है अतः राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक गांव में वन पंचायत अर्थात उसके अपने वन गठित करने की प्रक्रिया को एक अभियान के रूप में चलाया जाना आवश्यक है, अतः राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार जनपद में जहां गैर जमींदारी उन्मूलन क्षेत्र में भूमि उपलब्ध है और गांवों का अपना वन ग्राम विद्यमान नही है ऐसे समस्त गांवों में वन पंचायतों का गठन युद्व स्तर पर कराया जाये.

2.2 इससे पूर्व पत्रांक सं. 377 /व.ग्रा.वि. / 2002 दिनांक 20 जुलाई, 2002 के द्वारा प्रत्येक जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी तथा जिला ग्राम्य विकास अभीकरण के परियोजना निदेशकों को उत्तरांचल की वन पंचायत एटलस की एक – एक प्रति सुलभ कराई जा चुकी हैं, उपलब्ध एटलस में वन पंचायत संबन्धी सूचना का किस प्रकार से उपयोग वन केन्दित विकास कार्यो में किया जा सकता है, इसके सम्बन्ध मे भी उपरोक्त परिपत्र के प्रस्तर चार से छः के बीच में विस्तृत सुझाव दिए गए है.
2.3 इस पत्र के प्राप्त होते ही सभी जिलाधिकारी एक बैठक आहूत करेंगे जिसमें जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (वन) के साथ विचार विमर्श करके जनपद के ऐसे समस्त गांवों की सूची तेयार कर ली जायेगी जिसमें गैर जमीदारी विनाश अधिनियम की भूमि उपलब्ध है और सम्बन्धित गांव की वन पंचायत गठित की जा सकती है.

2.4 ऐसे समस्त गांवों की सूची बनाकर एक सुस्पष्ट कार्यक्रम इस प्रकार से बना लिया जाए जिससे जनपद के प्रत्येक गांव की वन पंचायत अगले 12 महीनों में गठित हो जाए. उपरोक्त कार्य के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं विकास विभाग के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को भी लक्ष्य आवंटित कर दिय जाय, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जनपद के वन पचांयत निदेशकों एवं वन पंचायत अधिकारियों के द्वारा जिला स्तर पर तथा तहसील स्तर पर वन पंचायतों के गठन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण भी समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सुलभ कराया जाय.

2.5 वन पंचायतों का गठन लम्बे समय से जनपदों में राजस्व अधिकारियों के ही सहयोग से कराया जाता रहा है, किन्तु इसे अभियान के रूप में चलाने के लिए आवश्यक होगा कि जिलाधिकारी के द्वारा इस कार्य में प्रशिक्षण के उपरान्त ऐसे सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को लगाया जाए जो इस कार्य को कर सकते है,

2.6 जहां तक जनपद स्तर पर इस कार्य को करनेके लिए कागज और स्टेशनरी की आवश्यकता है उसके लिए जिलाधिकारी वन पंचायतों के पास जप्त धनराशि में से अनुपातिक तौर पर इस धनराशि को इस प्रकार से उपयोग करें कि यह राशि केवल लेखन सामग्री एवं ट्रेसिंग पेपर आदि के लिए आवश्यक पाई जाने वाली राशि से धिक न हो वन पंचायतों के गठन के कार्य को जिलाधिकारी द्वारा आंवटित अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने विभागीय कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के रूप में किया जाए.

2.7 कई ऐसे गांवों में जहा पहले से ही वन पंचायत गठित है समय – समय पर वन पंचायतों के भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त होते रहते है, अतः इस अभियान की अवधि में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यमान वन पंचायतों के क्षेत्रफल में जहा विस्तार करने की सभावना है और इसके लिए स्थानीय अनुरोध किया जा रहा है वहां वन पंचायतों के क्षेत्र में विस्तार करने की कार्यवाही भी अभियान के दौरान की जाए .

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए अगले 12 महिनों में असेवित गांवों में वन पंचायतों का गठन और विद्यमान वन पंचायत क्षेत्रों में क्षेत्रफल विस्तार की जो कार्ययोजना आपके द्वारा क्रियान्वयन के लिए बनाई जाय उसकी एक प्रति शासन को अबिलम्ब प्रेषित करें, वन पंचायतों के गठन और क्षेत्रफल के विस्तार के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की शंका हो तो उसे दूरभाष पर अधोहस्ताक्षरी से वार्ता करके निस्तारित करने का कष्ट करे.

इस अभियान की त्रैमासिक समीक्षा शासन स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा अधोहस्ताक्षरी तथा अपर सचिव द्वारा अपने जनपदीय भ्रमणों में इसकी समीक्षा की जायेगी.

(आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकितः।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल कोइस आशय से कि अपनी ओर से भी समस्त मुख्य वन संरक्षकों, वन संरक्षको तथा समस्त प्रभागीय वन अधिकारियों को जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान में जिलाधिकारियों को हर प्रकार का सहयोग देने के लिए आवश्यक निर्देश निर्गत करें, उत्तरांचल विश्व बैंक बानिकी परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत मोटिवेटरों को भी इस कार्य में लगाया जाये तथा कार्ययोजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किये जायें
2. आयुक्त गढवाल मण्डल / कुमायू मण्डल,
3. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल.
4. अपर सचिव, वन को त्रैमासिक व मासिक समीक्षा द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के आधार पर निर्गत करने हेतु ।

(आर0एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

मुख्य सचिव
उत्तरांचल

अ.शा.पत्र सं. 622 / वन पंचा / वन / 2003
दिनांकः सितम्बर, 18, 2003

विषयः राज्य के समस्त राजस्व गांवों में वन पंचायतों का गठन और पुरानी वन पंचायतों का क्षेत्र विस्तार 100 प्रतिशत पूर्ति के लिये विशेष अभियान.

प्रिय महोदय,

राज्य सरकार के इस निर्णय का कि इस वर्ष के अन्त तक प्रत्येक राजस्व गांव में एक वन पंचायत का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है, नई वन पंचायतों के गठन के कार्य के लिए धनराशि विद्यमान वन पंचायतों के पास उपलब्ध धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि का आहरण करके रिवाल्विंग फण्ड बनाया जाना है, आदि के सम्बन्ध में और अनय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 1300 / प्र.स. / आ.व.ग्रा.वि. दिनांक 29.3.2003 का कृपया संदर्भ करें।

2. अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में जितने नए राजस्व गांवों में नई वन पंचायतों का गठन हुआ है और वर्तमान वन पंचायतों के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है उसकी समीक्षा करें और समीक्षा करके 31 मार्च, 2004 तक यह कार्य शत प्रतिशत रूप से पूर्ण हो जाय,सुनिश्चित करने का कष्ट करें, समीक्षा की उपरोक्त लक्ष्यानुसार पूर्ण होने पर backward माहवार planning करें और जनपद में उपलब्ध समस्त राजस्व स्टाफ, सहायक विकास अधिकारी और वन पंचायत इंसपेक्टरों को इस कार्य में युद्व स्तर पर लगायें।

3. अपने स्तर पर प्रभागीय वनाधिकारियों, वन पंचायत इंसपेक्टरों के साथ इसकी सप्ताह में 2 बार अनिवार्य रूप से समीक्षा करें जिससे उपरान्त लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त हो जाय. उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने वाले प्रथम 3 जनपदों को राज्य सरकार द्वारा पुरूस्कृत भी किया जाना प्रस्तावित है, इस वर्ष के सबसे महत्वपणूर्ण लक्ष्यों में यह लक्ष्य एक है.

4. कृपया उपरोक्त कार्य को व्यक्तिगत रूप से हाथ में लें और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो सीधे मुझ से वार्ता भी कर लें. इस पत्र की प्रति नोडल वन संरक्षक श्री जे.एस. सुहाग तथा निदेशक, उत्तरांचल वन प्रशासन अकादमी, हल्द्वानी को भी इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि वह भी अपने स्तर पर उपरोक्त लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय भ्रमण करके अन्य हर संभव उपाय करें.

5. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें और वन पंचायतों के गठन के साथ– साथ इनके माइक्रोप्लान बनाकर इन्हें एफ.डी.ए. से प्राप्त धनराशि का भी इस कार्य में सदुप्रयोग करें.

भवनिष्ठ
(आर.एस.टोलिया)

1. मण्डलायुक्त कुमाऊ / गढवाल
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल

प्रतिलिपि

1. श्री जे.एस. सुहाग, नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, कुमायूँ नैनीताल,
2. श्री ए.आर. सिन्हा, निदेशक,उत्तरांचल वन प्रशासन अकादमी, हल्द्वानी

(आर.एस.टोलिया)
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रेषक,

डा0आर0एस0टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल।
वन संरक्षक, वन पंचायत (नोडल वन संरक्षक)
आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल।

विषय– वन पंचायतों के गठन, क्षेत्र विस्तार, अमल दरामद समय से चुनाव माइक्रो प्लानिंग तथा वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबन्ध हेतु कार्ययोजना (2003–2004)

उत्तरांचल के प्रत्येक राजस्व ग्राम में, जहां गैर जमींदारी उन्मूलन (नॉन जेड ए) भूमि उपलब्ध है (उत्तरांचल में पिछले भूमि बन्दोबस्त के बाद कोई बेनाप भूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन गांवों में नॉन जेड ए भूमि नहीं है तथा न्यून मात्रा में हो वहां यदि समीपवर्ती आरक्षित वन भूमि उपलब्ध हो (आरक्षित वन क्षेत्रों को भी संयुक्त वन प्रबन्ध के अंतर्गत लाया जा सकता है, जिसका स्वयं वन पंचायतें भी एक उदाहरण है) वन पंचायतों का गठन आगामी 1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष की अवधि में समस्त जिलाधिकारियों तथा प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा पूर्ण कराया जाना है। इस कार्ययोजना 2003–04 जिसका विवरण अग्रेत्तर प्रस्तरों में दिया गया है, के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को पंचायतीराज चुनाव के पूर्ण होने के तत्काल बाद प्रारंभ किया जाना है, उत्तरांचल शासन द्वारा इस कार्ययोजना के उद्देश्यों की पूर्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति प्रत्येक जनपद में की जाए तथा संबंधित जिलाधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारी व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर उनकी पूर्ति सुनिश्चित करेंगे तथा हर प्रकार की बाधाओं का स्थानीय रूप से निराकरण करायेंगे। श्री जे0एस0सुहाग, वन संरक्षक, वन पंचायत सभी जिलों में विस्तृत भ्रमण करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठकें करेंगे तथा प्रत्येक ऐसी बैठकों के बाद इस कार्ययोजना की प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करायेंगे।

ou ipk;r dk xBu ,o {k= foLrkj %

	जनपद	गठित वन पंचायतों की संख्या (31.12.2002 तक)	वन पंचायतों की संख्या	अवशेष प्रस्ताव (31.01.2003)
	2	3	4	5
	पौड़ी गढ़वाल	1640	1650	19
	रूद्रप्रयाग	250	250	14
	चमोली	570	577	26
	अल्मोडा	1473	1482	7
	बागेश्वर	478	517	2
	चंपावत	616	616	32
	पिथौरागढ़	1051	1051	11
	टिहरी गढ़वाल	70	70	148
	उत्तरकाशी	36	140	41
	देहरादून	159	159	51

	नैनीताल	996	496	—
	ऊधमसिंहनगर	अनउपलब्ध	अनउपलब्ध	अनउपलब्ध
	हरिद्वार	अनउपलब्ध	अनपलब्ध	अनउपलब्ध

2 सर्वप्रथम यह पुष्टि की जानी है कि कितने राजस्व ग्रामों में वन पंचायतों का गठन हो चुका है कितने राजस्व ग्रामों के पास नॉन जेड ए भूमि उपलब्ध है जहां वन पंचायतों का विस्तार किया जा सकता है तथा ऐसे कितने राजस्व ग्राम आरक्षित वन क्षेत्रों के समीप है, जिनके पास नॉन जेड ए भूमि नहीं अथवा न्यून मात्रा में उपलब्ध है तथा जिन्हें वन पंचायतों के गठन अथवा विस्तार हेतु वन भूमि की आवश्यकता है 12 मार्च 2003 को आयोजित तृतीय वन संरक्षकों के सम्मेलन में वर्तमान स्थिति नियमानुसार बताई गई हैः—

3— वन संरक्षक वन पंचायत ने अवगत कराया है कि चार जिलों में ऐसे समस्त राजस्व ग्राम जहां नॉन जेड ए भूमि उपलब्ध थी वहां कम से कम एक—एक वन पंचायत का गठन कर दिया जाए। इस परिभाषा के अनुसार नैनीताल (496), चंपावत (616), पिथौरागढ़ (1051), बागेश्वर (517) जनपदों ने अपने राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। इन चार जनपदों द्वारा अब निम्न कार्यवाही की जानी है।

3.1 इसकी पुष्टि कर ली जाए कि समस्त राजस्व ग्रामों में वन पंचायतों का गठन हो चुका है तथा आयुक्त (पुरानी वन पंचायत नियमावली) अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट नई वन पंचायत नियमावली के अनुसार आदेशों के अनुसार खतौनियों में अमल दरामद किया जा चुका है। ऐसे अमल दरामद के आदेश की एक प्रति वन पंचायत को उपलब्ध करा दी जाए तथा उसके स्थाई अभिलेखों के साथ रखी जाए। जिलाधिकारी द्वारा एक संपित रजिस्ट्रर रखे जाने हेत कार्यवाही की जाए, जिसमे नक्शे (सजरा) तथा अमल दरामद आदेश की प्रति रखी जाए तथा इसका सत्यापन उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने निरीक्षण के दौरान कर लिया जाए। यदि संपति रजिस्ट्रर का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया हो तो वन विभाग द्वारा उक्त हेतु शासनादेश निर्गत किया जाए अथवा बाईलॉज में यथोचित संशोधन कर लिया जाए।

के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से विचार विर्मश कर लें जो वर्तमान मानव एवं पशुधन आवादी के आधार पर ऐसे क्षेत्र के शिकार / क्षेत्रफल का आंगणन करेगे, सभी जिलाधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाना है कि ग्राम वासियों को आवश्यक मात्रा में ईधन एवं चारा उपलब्ध कराना कृषि, दुग्ध विकास तथा रोजगार की दृष्टि से भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व है, सभी प्रभागीय वनाधिकारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि नर्सरियों में कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र चारा प्रजाति की

3.2 इसका परीक्षण कर लिया जाय कि क्या ग्रामवासी वन पंचायतों का क्षेत्रफल बढाना चाहते है यदि अतिरिक्त नांन जेड ए भूमि उपलब्ध होतो पूरी ग्राम सभा की बैठक कर उक्त हेतु कार्यवाही की जाय.

3.3 यदि ग्राम में कोई नांन जेड ए भूमि उपलब्ध नही है तथा ग्राम की आवादी में 1991 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे व्यवस्क हो जिनके पास मवेशी हो ऐसे में गांव के निकटवर्ती आरक्षित वन के कम्पाटमेन्ट को वन पंचायत के रूप में गठित किया जाय. ऐसे आरक्षित वन के कम्पाटमेन्ट को नक्शें व अन्य समस्त सम्बन्धित अभिलेख सम्बन्धित वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे, चूँकि आरक्षित वन क्षेत्र को भी वन पंचायत के ड्ढ में गठित कर तदनुसार अमलदरामद किया जाना है इसका अनुपालन सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, जो इस हेतु सक्षम है, द्वारा किया जायेगा,यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वन पंचायत के गठन से भी आरक्षित वन का विधिक स्वरूप पूर्व की भॉति बना रहेगा (भारतीय वन

अधिनियम की धारा 28) तथा यह भी एक वानिकी गतिविधि है जिसके लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक नही है, इसी प्रकार की प्रक्रिया पूर्व में उधमसिंह नगर एवं पीलीभीत जैसे जनपदों में अपनाई गई है.

3.4 ऐसे प्रकरण हो सकते है जहॉ किसी ग्राम के पास अल्प मात्रा में नांन जेड ए भूमि उपलब्ध हो परन्तु उसकी आवादी की चारा अथवा ईधन की आवश्यकताये नवगठित अथवा प्रस्तावित वन पंचायत से नही हो सकती, ऐसी स्थिति में समीपवर्ती आरक्षित वन को भी वन पंचायत के गठन में सम्मिलित करने पर विचार कर लिया जाय, ऐसी कितनी आरक्षित वन भूमि वन पंचायत के गठन मं सम्मिलित की जाय इसका निर्णय ग्राम सभा की बैठक में कर लिया जाय. ऐसी बैठक सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तहसीलदार के सहयोग से कर ली जाय.

3.5 वन पंचायतों के गठन का प्रमुख उददेश्य यह सुनिश्चित करना है, कि ईधन,चारा व स्थानीय निवासियों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति इससे हो सके. 1915 के वन बन्दोबस्त में अंकित हक हकूक व सुविधाये बढती मानव तथा पशुधन आवादी को देखते हुए अपर्याप्त है इसी प्रकार लघुमाल (petty demand) के रूप में वन भूमि से प्रकाष्ठ के आंवटन में भी कमी हुई है, अतः इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 के अन्तर्गत गठित गाम वन से की जा सकती है, वन पंचायत के गठन हेतु की गई ग्राम सभा की बैठक में ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति न्यूनतम आवश्यक भूमि आकार का आंकलन कर लिया जाय, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तथा उप जिला मजिस्ट्रेट ऐसे सहायक क्षेंत्र अर्थात आरक्षित वन क्षेत्र अथवा आरक्षित वन क्षेत्र ता नांन जेड ए भूमि– के चयन हेतु कारणों का उल्लेख करेंगे.

3.6 ऐसे समीपवर्ती राजस्व ग्रामों में जिनकी कोई भी सीमा किसी आरक्षित वन से लगती हो उक्त ऐसे आरक्षित (Forst compatment) वन कक्ष को ईधन तथा चारा कक्ष के रूप में परिवर्तित किया जायेगा तथा इसमें ईधन एवं चारा प्रजातियों तथा घास इत्यादि का रोपण 2003–04 से प्रारम्भ किया जायेगा, जहॉ तक सम्भव हो, वर्तमान अथवा प्रस्तावित वन पंचायत के सहयोग से चारा प्रजाति के वृक्ष अथवा घास की एक नर्सरी स्थापित की जायेगी, सभी प्रभागीय वनाधिकारी अपने प्रभाग के अन्तर्गत ऐसे समीपवर्ती राजस्व ग्रामों की सिथति की समीक्षा करते हुए इनकी इर्धन एवं चारा पत्ती की आवश्यकताओं की पूर्ती स्थिति हेतु विवरण प्रस्तुत करते हुए यह सुझाव देगे कि किन वन कक्षों को वर्तमान अथवा प्रस्तावित वन पंचायतों में सम्मिलित किया जा सकता है, इस हेतु 2003–04 की कार्ययोजनाओं में भी तदनुसार वार्षिक संशोधन प्रस्तावित किया जाय, यदि वन पंचायत के ऐसे सहयोगी क्षेत्र (support area) के आकार के बारे में शंका हो तो जिलाधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारी जिलेघास तथा वृक्षों की पौध उगाने हेतु प्रयोग में लाया जायेगा ऐसी नर्सरियों को राजस्व ग्रामों के निकट से निकट स्थल पर स्थानान्तरित कर दिया जाय जिससे इनका लाभ स्थानीय ग्रामवासियों को मिल सकें यह स्थानान्तरण अथवा नई नर्सरियों की राजस्व ग्रामों के निकट के वन कक्षों में स्थापना का कार्य 2003–04 मे की अवधि में सम्पन्न कराया जाना है.

3.7 यहॉ के क्षेत्र में चीड पाईन की बहुतायत देखते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को चारा प्रजाति के पौधों एवं घास को वन विभाग की नर्सरियों में उगाने हेतु विशेष प्रयास करने होगे इस हेतु उनके द्वारा भैसोडा फार्म, अल्मोडा से विभिन्न घास प्रजातियों की बीज, जडे अथवा कटिग प्राप्त कर ली जाय तथा वन विभाग की शोध शाखा का भी सहयोग प्राप्त कर लिया जाय, विभिन्न पौधों तथा घास प्रजातियों को एक साथ सफलतापूर्वक उगाने का प्रदर्शन श्री जगत सिंह चौधरी जगली द्वारा रूद्रप्रयाग जिले में किया गया है, उनके सुझाव भी सम्बन्धित वन संरक्षक प्राप्त कर लेगे.

3.7.1 वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा सूचना प्रेषण प्रारूप निम्नानुसार कर दिया जाय तथा जिले के सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा भी तदनुसार कर ली जाय.

क्र.स.	जनपद	राजस्व ग्रमो की संख्या	वन पंचायतों से आच्छादित ग्राम	अन्तर(संख्या)	वन पंचायतों का गठन प्रस्तावित (संख्या)	अनाच्छादित
1	2	3	4	5	6	7

3.8 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है

3.8.1 उपरोक्त कॉलम 4 में सम्मिलित समस्त वन पंचायतों के अमल दरामद आदेश तथा इस आदेश की प्रति सम्बन्धित वन पंचायत को सम्पत्ति रजिस्ट्रर में रखनेहेतु उपलब्ध कराये.

3.8.2 कालम 6 में आने वाले राजस्व ग्रामों के लिए सक्षम अधिकारी से वन पंचायत की गठन की कार्यवाही का आदेश पारित करा अमल दरामद की प्रति सम्बन्धित वन पंचायत को उपलब्ध करा दी जाय.

3.8.3 कॉलम 7 में आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा की बैठक हेतु एक तिथि तय कर दी जाय. यदि ऐसे ग्रामों की संख्या समस्त राजस्व पटवारी, ग्राम विकास ाएवं पचांयत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (वन) तथा वन पंचायत निरीक्षकों की संख्या से ज्यादा हो तो तदनुसार पूरे जिले के लिए दो अथवा अधिक तिथियों को ातय कर लिया जाय, उपरोक्त सभी अधिकारी ऐसी ग्राम सभा बैठकों को आहूत करने तथा संचालित करने हेतु उत्तरदायी होगे इस हेतु उन्हें जिला मुख्यालय पर एक विशेष बैठक करके वन पंचायतों के गठन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भी उपलब्ध करा दिये जाये, जिससे वन पंचायतों के गठन की बैठके सार्थक हो सकें.

3.8.4 ऐसी बैठकों के बाद सजरा (राजस्व ग्राम का नक्शा) की प्रतियां प्राप्त करना, मुनारों (सीमा चिन्हों) का विवरण देना, ग्राम सभा के वन पंचायत गठन करने से सम्बन्धित संकल्पों की प्रति उपलब्ध कराना आदि कार्यो का दायित्व सम्बन्धित पटवारियों को दिया जाय, यदि आवश्यकता हो तो इस हेतु सेवा निवृत्त राजस्व अमीन तथा पटवारी/ कानूनगों की सेवाये भी प्रापत कर ली जाये।

3.8.5 ऐसे राजस्व ग्रामों में जहॉ नांन जेड ए भूमि उपलब्ध नही है, तथा समीपवर्ती आरक्षित वनों के वन कक्ष (compatment) लिये जाने है सम्बन्धित वन रक्षक/ वन दरोगा भी ग्राम सभा की बैठक में भाग लेकर आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करवायेंगे। सभी वन क्षेत्राधिकारी इस हेतु नक्शों की प्रतियां वन संरक्षक/वन दरोगा को उपलब्ध करायेंगे।

38.6 वर्तमान वन पंचायतों की सीमा विस्तार अथवा नॉन जेड ए तथा आरक्षित वन भूमि के सम्मिलित किये जाने वाले प्रकरणों हेतु बैठक पैरा 3.8.2, 3.8.5 में उल्लिखित बैठकों के साथ अथवा पृथक से कर ली जाय.

3.8.7 ऐसी समस्त बैठके अप्रैल तथा मई महिने में आवश्यक पूरी कर ली जाय तथा नई वन पंचायतों के गठन अथवा अवधि विस्तार समस्त कार्यवाही बिलम्बतम् जुलाई 2003 तक कर ली जाय.

3.8.8 वन पंचायतों की माइक्रों प्लानिंग का कार्य अगस्त– सितम्बर में सभी वन पंचायतों हेतु प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा अपने वन क्षेत्राधिकारी तथा डिप्टी रेंजर एवं वन पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अध्किाारी (वन)के सहयोग से सम्पन्न कराया जायेगा.

ग्राम विकास निधि (village development fund) के नाम से वन पंचायतों का कोष रिवाल्विग फण्ड का गठन तथा इसका उपयोग :

4. वन पचांयतों के कोष का उद्देश्य वन पंचायतों द्वारा विभिन्न वृक्षारोपण कार्यो, माइक्रो प्लान के कियान्वयन तथा अन्य वानिकी कार्य हेतु है अनेक वन पंचायते, जिन्होने संयुक्त वन प्रबन्धन लागू किया है अपने खाते में परियोजना सम्बन्धित

धनराशि रखते है जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चतकरेगें कि ऐसी वन पचायतों की कोइ भी धनराशि किसी अन्य ,खाते में नही रखी जायेगी अन्यथा यह संयुक्त वन प्रबन्ध नियमावली का उल्लघन होगा ऐसी किसी धनराशि को किसी अन्य स्थान पर चाहे वह जिला मुख्यालय ही क्यो न हो और उसे उनके खाते में ही रखा जाय तब भी वह इस नियमावली का उल्लघंन होगा.

5. यह संज्ञान में आया है कि वन पंचायतों की धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा अल्प बचत के अनतर्गत फिक्स डिपोजिट के रूप में अथवा विभिन्न दीर्घकालीन निक्षेपों के रूप में जमा कराया गया है और अभी भी जमा कराया जा रहा है यह वन पंचायतों के निहितार्थ धनराश का गलत उपयोग है, समस्त जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी उक्त कोष के सम्बन्ध में तात्कालिक रूप से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगे,

5.1 जनपद स्तर पर वन पंचायत रिवाल्विंग फण्ड का गठन प्रत्येक वन पंचायत कोष के 10 प्रतिशत, जहॉ ऐसी धनराशि 1000 रू से अधिक हो, का आहरण करके किया जाय यदि किसी वन पंचायत में उक्त धनराशि रू 1000 से कम होतो उनके द्वारा रिवाल्विंग फण्ड में कोई योगदान नही किया जायेगा वन पंचायतों ककी कोई भी धनराशि जो किसी भी प्रकारकी धनराशि अथवा दीर्घकालीन निवेश के रूप में रखी गई हो, तत्काल वन पंचायतों के पक्ष में अवमुक्त की जाय तथा भविष्य में जिलाधिकारियों द्वारा ऐसा काई उपयोग वन पंचायतों की निधि का ानही किया जायेगा.

5.2 उक्त जिला वन पंचायत रिवाल्बिग फण्ड के अतिरिक्त वन पंचायतों की कोई धनराशि जिला मुख्यालय पर नही रखी जायेगी, उक्त जिला वन पंचायत रिवाल्विंग फण्ड को सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा मुख्यालय के क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा.

5.3 उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा भविष्य में वन पंचायतों को किये जाने वाले समस्त भुगतान एकाउन्ट पेई, सम्बन्धित वन पंचायतों के नाम किये जायेगे, उक्त समस्त किस्तों को दो भागों में भुगतान किया जायेगा यथा 10 प्रतिशत सम्बन्धित जिला वन पंचायत रिवाल्विग फण्ड को, जहॉ उक्त राशि रू0 1000 से अधिक होतथा शेष सम्बन्धित वन पंचायत के नाम खाते में भुगतानहेतु जो जनपद मुख्यालय के प्रभागीय वनाधिकारी को भेजा जायेगा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि ऐसे चैक सम्बन्धित वन पंचायत अथवा जिला वन पंचायत रिवाल्विंग फण्ड के खाते में जमा कर दिये गये है.

5.4 उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा वन पंचायतों को देय समस्त धनराशि तत्कालीन प्रभाव से पैरा 5.3 में निहित व्यवस्था के अनुरूप की जायेगी.

5.5 वन संरक्षक, वन पंचायत यह सुनिश्चित करेगे कि वन पंचायतों को देय समस्त धनराशि का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जा रहा है तथा इसमें किसी भी प्रकार के विचलन की सूचना यथोचित कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायेगे, इन आदेशों से किसी प्रकार के विचलन को शासन द्वारा अनुमोदित नियमों का उल्लघन माना जायेगा,

5.6 जिला वन पंचायत रिवाल्विग फण्ड का उपयोग केवल नये वन पंचायतों के गठन अथवा क्षेत्रफल विस्तर हेतु किया जायेगा, अन्य किसी भी उद्देश्य हेतु नही इस रिवाल्विग फण्ड के वन विभाग, वन पंचायतों के प्रबन्ध हेतु सम्बन्धित विभाग अथवा भारतीय वन अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत गठित किसी ग्राम वन के उपयोग हेतु शासकीय आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगे विभिन्न वन पंचायतों के पास उपलब्ध धनराशि के उपयोग का नियंत्रण शासन द्वारा अधिसूचित वन पंचायत नियमावली के अन्तर्गत होगा.

puko rFkk ou ipkrk d ekbdk lyku dk fu:i.k %

6. समस्त वन पंचायतों के पंचवर्षीय चुनावों का समय से सम्पन्न किया जाना जिला प्रशासन का एक महत्पूर्ण दायित्व है, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे जिला प्रशासन द्वारा

पंचायती राज संगठनों व सहकारी संस्थाओं आदि का चुनाव सम्पन्न कराया जाता है जिलाधिकारी इस दायित्व को किसी डिप्टी कलेक्टर कोदेते हुए यह सुनिश्चित करे कि इसमें व्यापक सुधार हो तथा अन्य संस्थाओं की ही भांति इनके चुनाव भी निश्चित समय के अन्दर हो जाये।

7. वन संरक्षक तथा प्रभागीय वनाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि सभी वन पंचायतों के माइक्रों प्लान का निरूपण वार्षिक योजना के अधार पर कर लिया जाय यहॅा वन पंचायतों से अभिप्राय संयुक्त वन पंबन्ध समितियों से भी है जो व्यवस्था वन पंचायतों के लिए है वही व्यवस्था संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों हेतु भी उपयुक्त है,

ou iapk;rksa gsrq ekuo lalk/ku izcU/k %

8. वन पंचायत कार्यो से जुडे हुए ऐसे अनेक पदाधिकारी है जिनके कार्यो एवं दायित्यों की समीक्षा की जानी आवश्यक है, वन संरक्षक, वन पंचायत यह सुनिश्चित करें कि सहायक विकास अधिकारी (वन पंचायत) के कार्यो की नियमित रूप से समीक्षा प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर कर ली जाये सहायक विकास अधिकारी (वन) के पद पूर्व में सभी सीमान्त जनपदों तथा कुछ अन्य जनपदों में सृजित किये गये है, उक्त मानव संसाधन का नियोजन निम्न प्रारूप के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जाय.

जनपद	सहायक विकास अधिकारी(वन)		वन पंचायत निरीक्षक		वन पंचायतों की संख्या
	स्वीकृत पद	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	कवर्ड
1	2	3	4	5	6

9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त विवरण जनपद हेतु तैयार करा लिया जाय. नोडहल प्रभागीय वनाधिकारी सहायक विकास अधिकारी (वन) के स्वीकृत तथा भरे गये पदों का विवरण अपने वन संरक्षक तथा वन संरक्षक, वन पंचायत को भेजेगें. वन संरक्षक, वन पंचायत ऐसे सहायक विकास अधिकारी (वन) की जनपद और विकास खण्डवार सूची तैयार कराते यह सुनिश्चित करायेगे कि रिक्त पदों को वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भर लिया जाय. इन पदो का गठन विकास खण्डवार किया गया है तथा ये सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उन्हीं के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त करते है, प्रत्येक विकास खण्डों में वन पंचायतों की सूची सम्बन्धित नोडल अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जिले सभी विकास खण्डों प्रेषित की जायेगी, नोडल प्रभागीय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि इस पत्र द्वारा बताये गये समस्त कार्य, वन पंचायतों के गठन एवं विस्तार को सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (वन) के पद सृजित है वहा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (वन) यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न ग्राम विकास योजनाये यथा वन पंचायतों के बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायकता समूहों का गठन, औषधीय एवं औषधीय प्रजातियों का रोपण आदि कार्य भी उनके माध्यम से सम्पन्न किये जायेगे, प्रभागीय वनाधिकारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारियों को उनके नियंत्रक खण्ड विकास आधिकारियों के माध्यम से वन पंचायतों के गठन, माइकों के लिए निरूपण आदि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर अवगत करायेगें, वन संरक्षक, वन पंचायत यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक विकास ाअधिकारी (वन) की स्वीकृति पर भरे रहें इस हेतु वन रक्षक/ वन दरोगाओं की एक सूची तैयार कराई जाये जिससे इस पद हेतु प्रतिनियुक्ति पर लोग तत्काल लिये जा सकें, वन संरक्षक, वन पंचायत सहायक विकास अधिकारी (वन) की एक संयुक्त ग्रेडेशन लिस्ट प्राप्त कर उसका अनुमोदन प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत सहायक विकास अधिकारी (वन) की

एक संयुक्त ग्रेडेशन लिस्ट प्राप्त कर उसका अनुमोदन प्रमुख वन संरक्षक से करा कर उसका रखरखाव करेगे.

10. दोनों मण्डलों के आयुक्त इसी प्रकार वन पंचायत निरीक्षकों की मण्डलवार सूची तैयार करायेगें, बरिष्ट पटवारियों की एक सूची, जो सुपरवाईजर कानूनगों में प्रोन्नति के पात्र है पर वन पंचायत निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने को तैयार है, भी तैयार ारखी जाये जिससे ाकिसी रिक्त के उत्पन्न होते ही उसे भरा जा सकें, वन पंचायत निरीक्षकों की जनपदवार, विकास ाखण्डवार, तहसीलवार पद भरी हुई अथवा रिक्त का विवरण वन संरक्षक वन पंचायत को मॉनीटरिंग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, इस ाहेतु यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो इसे प्रमुख सचिव राजस्व के माध्यम से एक प्रति प्रमुख सचिव एवं आयुक्ज वन एवं ग्राम्य विकास को पृष्ठांकित करते हुए प्राप्त किया जा सकता है, अपर सचिव,वन दोनों सूचियों – स्वीकृत सहायक विकास अधिकारी (वन) विकास खण्ड व जनपदवार तथा वन पंचायत निरीक्षकों हेतु एक वन पंचायत कार्मिक समीक्षा समिति का गठन किया जायेगा, यह समिति मासिक रूप से इन पदों की रिक्तियों तथा उनके भरे जाने से सम्बन्धित प्रकरणों तथा वन पचायतों से सम्बन्धित कार्मिकों हेतु उपयुक्त कार्यो के आवंटन हेतु प्रकरणों की समीक्षा करेगी, वन संरक्षक, वन पंचायत सचिव / अपर सचिव, वन के माध्यम से एक मासिक प्रगति विवरण तैयार कर प्रसारित करेंगे जिससे यह प्रत्येक मास के प्रामि सोमवार तक उपलब्ध होजायें, इस प्रगति विवरण की प्रतिया। मासिक वन संरक्षकों की कार्यशाला में भाग ले रहे समस्त वन संरक्षकों व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाय साथ ही इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारियों एवं आयुक्तों को भी वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाय.

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायक विकास अधिकारी (वन) के समस्त पद असंवर्गीय है तथा इन्हें वन विभाग के कमियों में से उसके बाद के निचले वेतन क्रम के कार्मिकों से भरे जाते है इसी प्रकार वन पंचायत निरीक्षकों के पद भी जिलों में असंवर्गीय पद है जिन्हें उसके वाद के निचले वेतन क्रम कें कार्मिकों से भरा जाता है, यह स्पष्ट है कि वन पंचायतों की संख्या में वृद्वि तथा सामुदायिक वानिकी कार्यो में उनके बढते महत्व से शेष विकास खण्डों में भी सहायक विकास अधिकारी वन के असंवर्गीय पदों की आवश्यकता होगी, यह उचित होगा कि हर विकास खण्ड में वन पंचायतों की संख्या के आधार पर ऐसे अतिरिक्त पदों का सृजन वन विभाग व राजस्व विभाग में कर लिया जाय प्रदेश के विकास खण्डों की संख्या (95) तथा उपलब्ध सहायक विकास आधिकारी (वन) तथा वन पंचायत निरीक्षकों की संख्या में अन्तर को अनुपातिक रूप से सहायक विकास अधिकारी (वन) तथा वन पंचायत निरीक्षकों में विभाजित करते हुए इन पदों का सृजन वन विभाग व राजस्व विभाग में कर लिया जाय,इन अतिरिक्त असंवर्गीय पदों को तीन वर्ष के आधार पर सृजित किया जाय तथा इन्हें सम्बन्धित फीडर संवगों में उसी अनुपात में बाद के निचले वेतन क्रम के कार्मिकों में कमी करते हुए भरा जाना प्रस्तावित किया जाय, इससे दोनों विभागों में समानुपातिक रूप से न्यूनतम असन्तोष होगा, प्रत्येक वन पंचायत निरीक्षक का कार्यक्षेत्र एक विकास खण्ड होना चाहिए.

ou iapk;rksa ds ek/;e ls okfudh ,oa fodkl dk;ksa dk ,dhdj.k%

12. वन पंचायतों का गठन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 के अन्तर्गत ग्राम वन के रूप में किया जाता है, अतः उसके समग्र विकास का दायित्व वन विभाग पर ही है तथा वन विभाग के विभिन्न स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी गण उसके नियोजित विकास हेतु उत्तरदायी है, वन संरक्षक तथा प्रभागीय वनाधिकारी अपने क्षेत्र निरीक्षण के समय उनके पबन्ध की समीक्षा, विशेष रूप से वानिकी कार्यो से सम्बन्धित, करेंगे ताकि चुनाव आदि विषयों पर कोई कमी पाए जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी, को लिखित रूप से अवगत कराते हुए कमिया दूर करायेगें, वन विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न विकास कार्यो यथा बांस, रिगाल एवं चारा प्रजातियों

का रोपण, जैविक कम्पोस्ट, ईको पर्यटन आदि का लाभ भी इन तक पहुॅचाने के प्रयास किये जाने चाहिए ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से इन तक पहुॅचाना होगा, विभिन्न कार्यो हेतु नोडल वन संरक्षक उन गतिविधियों को वन पंचायतों में भी क्रियान्वित करायेगे, एफ.डी.ए. के अध्यक्ष भी है तथा वे सुनश्चित करें कि एफ.डी.ए. की राष्ट्रीय वनीकरण तथा पारिसिीतिकी बोर्ड भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन पंचायतों कोभी पर्याप्त सहायता प्राप्त हो.

14. अतः इस बात को सर्वाधिक बरीयता दी जाय कि वन पंचायतों के समस्त कार्य स्वंय सहायता समूहों द्वारा ही संचालित किये जाये जहां किसी वन पंचायत के अन्तर्गत कोई स्वंय सहायकता समूह गठित नही है वहॉ सर्वप्रथम यही प्रयास किया जाय कि वहॉ एक स्वयं सहायकता समूह का गठन कर उसे वन पंचायत की गतिविधियों से सहयोग प्रदान किया जाय, इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि वानिकी कार्यो में मजदूरी भुगतान जो वानिकी बजट का 75 प्रतिशत या अधिक होता है, के समस्त कार्य गांव के अन्तर्गत ही निवास करने वाले ग्रामीणों के द्वारा ही सम्पादित करवाये जाये तथा स्थारनीय ग्रामीणों के ग्राम के बीच बोध होता है, भविष्य में भूमि आधारित तथा मजदूरी भुगतान सम्बन्धी समस्त बानिकी कार्य स्थानीय ग्रामीणों के, यथा सम्भव स्वयं सहायता समूहों के, माध्यम से ही क्रियान्वित कराये जायेगें, प्रभागीय वनाधिकारी स्वंय सहायता समूहों के गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र आदि मुख्य विकास अधिकारी से प्राप्त कर लें, इस सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए केवल यह प्रयास करना है कि ग्रामीणों, स्वयं सहायता समूह सदस्यों , विशेष रूप से महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखा जाय तथा वानिकी तथा भूमि आधारित कार्यो को इस प्रकार से नियोजित किया जाय जिससे ग्रामीणों की अपनेकृषि सम्बन्धी गतिविधियों के समय तथा वन विभाग के प्रस्तावित कार्यो के समय में टकराव न हो, अच्छे नियोजन तथा गांवों में उपलबध श्रम शक्ति, विशेष रूप से महिलाओं के साथ सघन विचार विमर्श कर इस उद्‌देश्य की पूर्ति आसानी से की जा सकती है, वैसे भी ग्रामीण माइक्रों प्लान का मुख्य उद्‌देश्य इसी प्रकार का समय तथा संसाधनों का नियोजन ही है, कुछ समय बाद जब माइक्रों प्लानिग की प्रक्रिया आम रूप से क्रियान्वित होने लगेगी तब ऐसी समस्याओं का स्वयं समाधान हो जायेगा, बिना किसी औपचारिक माइक्रो प्लान के भी यह सुनिश्चित किया जाय कि केवल स्थानीय ग्रामीणों का ही उपयोग इन कार्यो में किया जाय.

ekfld i`xfr fooj.k i="k.k rFkk okf"kZd fjiksVZ %

15. वन संरक्षक, वन पंचायत उपरोक्त आदेशों का पूर्ण रूपेरण अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे इस हेतु वे आवश्यकतानुसार शासकीय आदेश निर्गत कराने एवं शासन स्तर पर समीक्षा भी आयोजित करवायेगे, वे आवश्यकतानुसार राज्य के प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षकों को सीधे अथवा प्रमुख वन संरक्षक के माध्यम से सम्पर्क भी करेगें, वे विभिन्न जिलों का भ्रमण कर मण्डलीय आयुक्त तिाि जिलाधिकारियों / प्रभागीय वनाधिकारियों से बैठक कर इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा वन पंचायतों के सदस्यों के बानिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी द्वारा संचालित कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वयं भी भाग लेगें, वन संरक्षक वन पंचायत इन निर्देशों के प्रत्येक विन्दुओं पर एक मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक सूचनायें प्राप्त करेगें एवं उसे सकलित करते हुए मण्डलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षको एवं अन्यों उपलब्ध करायेगें, उनके द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार कर वन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी.

16. वन संरक्षक,वन पंचायत वन पंचायतों के ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर पर फेडरेशन गठन करवाना सुनिश्चित करेंगें, वे संयुक्त वन प्रबन्ध कमेटियों की प्रगति भी इन्हीं मासिक प्रगति रिपोटों व वार्षिक रिपोर्टो में यथोचित रूप से सम्मिलित करेंगे.

i`dk'ku] ifj;kstuk i`cU/k bdkbZ] ou foHkkx rFkk lh-,Q-Mh- %

17- परियोजना प्रबन्ध इकाई, वन विभाग तथा सी.एफ.डी. उत्तरांचल बानिकी शोध संस्थान हल्द्वानी के बीच समन्वय बनाया जायेगा, वन पंचायतों के सम्बर्न्द्धन हेतु उपर्युक्त परियोजनायें एफ0डी0ए0 अथवा परियोजना प्रबन्धक इकाई द्वारा परियोजना

प्रबन्ध इकाई के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी, वन पंचायतों के समस्त प्रकाशन सी. एफ.डी. के माध्यम से ही सुनिश्चित कराई जायेगें.

18. International workshop on A Decade of J F M- Retrospection and International कार्यशाला जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में जून, 19.20,2000 को आयोजित हुई तथा National Workshop on ^Technological Innovations and Research Advancements for Application in JFM^ जो आई.सी.एफ.आर. ई, देहरादून में 3–4 फरवरी, 2003 में आयोजित हुई के प्रस्तावों (प्रतियां श्री मुदित कुमार सहायक महानिदेशक, आई.सी.एफ.आर. ई.से प्राप्त करनी है) को संकलित एवं परीक्षण कर उनके ऊपर वन संरक्षण, वन पंचायत द्वारा विभिन्न सम्बन्धित एजेन्सियों के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न कराई जायेगी, जिससे प्रदेश की वन पंचायतें लोकतांत्रिक, विधिक, आर्थिक व प्रशासनिक रूप से सुदृड हो तथा इस हेतु दूसरे प्रान्तों एवं देशों में ऐसे लाभों के वितरण (benefit sharing) जेण्डर (gender)इक्यूटि (equity) आदि के उत्कृष्ठ उदाहरणों का आमेलन इस प्रदेश में भी कराया जायेगा, प्रदेश की वन पंचायतों का एक राज्य स्तरीय, मण्डलीय तथा सभी जिला स्तर / विकास खण्ड स्तर पर भी एक – एक वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित कराया जायेगा, इन वार्षिक सम्मलनों में वन पंचायतों की दशा और दिशा पर विचार विमर्श होगा तथा आगामी वर्षो के लिए कार्यबिन्दुओं पर भी विचार किया जायेगा.

(डा. आर. एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या– 2243 / X –2 – 2005 – 19 (1) 2003

प्रेषक,

बी0पी0 गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराचल देहरादून.
2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग – 2 देहरादूनः दिनांक 21 जुलाई, 2005

विषयः– उत्तरांचल राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों को मिलने वाले वन उपज सम्बन्धी अधिकार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण.

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक 597 / मुख्य सचिव /, दिनांक 23 जून, 2005 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें,

2. उक्त का अनुपालन व्यापक स्तर पर हो सके, अतः शासनादेशों की प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

संलग्नः यथोपरि,

भवदीय,

(वी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव

मुख्य सचिव

संख्याः / मुख्य सचिव / 2005 दिनांकः देहरादून, जून 23, 2005

सचिव, वन

27 मार्च, 1985 का संलग्न शासनादेश महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसमें स्पष्टीकरण देते समय कुमायू का संन्दर्भ दिया गया है चूँकि कुमायू गढवाल और पूर्व टिहरी राज्य में भी इसी प्रकार के अधिकार स्थानीय व्यक्तियों को थे अतः यह स्पष्ट कर दिया जाय कि भारत सरकार का उपरोक्त शासनादेश उत्तरांचल के सभी आरक्षित वनों पर समान रूप से लागू होता है, चूँकि वेनाप भूमि को भी वन की संज्ञा दी गई है अतः उपरोक्त स्पष्टीकरण वेनाप भूमि पर भी समान रूप से लागू है,

2. कृपया संलग्न शासनादेश का व्यापक प्रचार वनाधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के माध्यम से कराये, कृपया सभी वनाधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को शासनादेश को शासनादेश की स्वच्छ प्रति भेज दें,

संलग्नः यथोपरि,

(डा0आर.एस.टोलिया)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास
2. प्रमुख सचिव, वन संरक्षण उत्तरांचल

संलग्नकः शासनादेश की प्रति,

¼डा0आर.एस.टोलिया)
मुख्य सचिव

No 10-12/84-FRY(WP)
Government of India
Ministry of Env. & Forestry
(Department of Forest & Wildlife)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated- 27 March, 1985

To,

Forest Secretory,
Forest Department,
Governmet of Uttar Pradesh;
Lucknow.

Subject- Restriction imposed by the Forest Department of U.P. forbidding the extraction of State stone being used on roofing material in the hill areas of the state regarding

Sir,

I am directed to refer to your letter no 6076/14-2-103/84, dated 13th of November, 1984 and 7811/14-2-103/84, dated 3rd of December, 1984 on the subject mentioned above and to inform you that issue has been considered in light of the facts brought out by you in the above quoted letters.It is observed that the inhabitants of Kumaun were extracting stone, slate and sand free of charge from the reserved forest for their bonafide personal needs according to the sanctioned rights and concessions. The matter was duly examined by the by the Advisory Committee in the light of the provision of the Forest Conservation Act, 1980. After the careful cosideration in the Committee has come to the conclusion that this case does not attract the provision of the Forest Conservation Act, 1980, because the rights / concessions in the forest ares were granted to the people by te State Govt. before the Act came into.

Action in the matter may please be taken.

Thanking you,

Your simcerely,
Suraj Kapoor)
Under Secretory
Government of India

संख्या–2212 / X –2–2005–19 (37) 2003

प्रेषक,

डॉ रणबीरसिंह
सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग– 2 देहरादूनः दिनांक 28 जुलाई, 2005

विषयः– वन्यजीवों द्वारा जान–माल की क्षति की दशा में देय आर्थिक अनुग्रह सहायता की दरों का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2384 / 25–1 दिनांक 04 फरवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 238 / 14–4–96–'836/92 दिनांक 06.12.1996 को अतिकमित करते हुए वन्य पशुओं द्वारा मारे गये व घायल किए गये व्यक्तियों को अथवा उनके आश्रितों को तथा बन्य पशुओं द्वारा ग्राम वासियों के पालतू पशुओ को मारे जाने एवं जंगली हाथियों तथा सुअरों द्वारा ग्राम वासियों के मकान व फसलों को क्षति पहुचाये जाने की दशा में अनुग्रह (एक्स–ग्रेसिया) आर्थिक सहायता निम्नवत् प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वन्य पशुओं– बाघ, तेन्दुआ, लेपर्ड, स्नो– लेपर्ड (लकबग्गा) भालू, हाथी, मगरमच्छ एवं घडियाल
द्वारा मानव क्षति पर देय मुआवजा॥

क्षति का प्रकार	देय धनराशि (रू0 मे)
गम्भीर रूप से घायल	15,000/–
आंशिक रूप से अपंग	25,000/–
पूर्ण रूप से अपंग	1,00,000/–
अवयस्क की मृत्यु पर	50,000/–
वयस्क की मृत्यु पर	1,00,000/–

1.1 उक्त अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्न प्रक्रिया एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगाः–

(1) राजकीय चिकित्सक द्वारा पीडित व्यक्ति को वन्य प्राणी द्वारा मारे जाने, अपंग अथवा घायल कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमाध्या पत्र दिया जायेगा तथा वन विभाग के सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पुष्टि की जायेगी,

(2) सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को धिकार होगा कि वे किसी व्यक्ति की मृत्यु वन्य प्राणी के द्वारा होने पर मृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि / किया कर्म के लिए मृतक के परिवार या स्वजन को रूपया 5,000 / – (रू0पांच हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान तत्काल करेगे जो बाद में स्वीकृत होने वाली अनुग्रह राशि से कम कर ली जायेगी,

(3) अनुग्रह राशि / आर्थिक सहायता की धनराशि स्वीकृत करनेहेतु अन्तिम जांच रिपोर्ट / संस्तुति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराचल कोप्रस्तुत की जायेगी जो मामले में निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी होगें.

(4) अनुग्रह राशि / आर्थिक सहायता का भुगतान करने से पूर्व मृतक/ अपंग/ घायल होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

2– वन्य पशुओं – बाघ, तेन्दुआ, लेपर्ड / स्नों– लेपर्ड तथा जंगली सुअरों द्वारा पालतू पशुओं के मारे जाने पर देय मुआवजाः

पशु का प्रकार	देय धनराशि (रू0 में)
गाय	3,000/–
घोडा, खच्चर	5,000/–
बैल (तीन वर्ष से अधिक आयु)	5,000/–
भैंस (तीन वर्ष से अधिक आयु)	5,000/–
गाय का बछडा / बछिया तथा भैस का पडवा / पडिया (क) दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम आयु (ख) एक वर्ष से दो वर्ष की आयु (ग) एक वर्ष से कम आयु तक	1,200/– 500/– 300/–
बकरी / भेड	500/–

2.1 उक्त अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्न प्रक्रिया एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगाः–

(1) किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव बिहार में पालतू पशुओं के बाघ / गुलदार द्वारा मारे जाने की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता तभी देय होगी जब पालतू पशुओं को प्रवेश की अनुज्ञा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथासंशोधित वर्ष 2002) के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई हो.

(2) मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के दो दिन के भीतर निकटतम रेंज कार्यालय में दी गई हो.

(3) यदि मवेशी गौशला या पशुशाला से अन्यत्र मारा गया हो तो उसके स्वामी या चरवाहे के मृत मवेशी के साथ होने की दशा में ही अनुग्रह सहायता देय होगी.

(4) मारे गये मवेशी के मृत शरीर को घटना स्थल से तब तक न हटाया जाय तब तक घटना की जांच स्थानीय वनाधिकारी द्वारा नही कर ली जाती है,मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ न डाला जाय और न ही अन्यथा किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेडछाछ की जाय।

(5) घटना की सूचना, घटना के 24 घण्टे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी, जो वन क्षेत्राधिकारी या सहायक वन्य जीव प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, को दी जानी चाहिए स्थानीय वनाधिकारी को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुच कर जांच कर लेनी चाहिए जिसमें यथासम्भव क्षेत्र के किसी सम्मानित व्यक्ति से भी सम्पर्क किया जाना चाहिए और गांव के प्रधान (जहां हो) से भी मवेशी के प्रकार, आयु आदि के सम्बन्ध में प्रमाणित करा लेना चाहिए, जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभागीय / वन्य जीव प्रतिपालक को भेज देनी चाहिए।

(6) घटना की अन्तिम जांच उक्त क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक/ वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा की जानी चाहिये,

(7) जांच के बाद अनुग्रह सहायता सम्बन्धी संस्तुति सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल को भेजी जानी चाहिए जो ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी होगें.

3. जंगली हाथियों द्वारा सुअरों के द्वारा ग्रामीणों की फसलों तथा जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति पहुचाये जाने की दशा में देय आर्थिक सहायताः

3.1 कृषि फसल की क्षतिः

फसल का प्रकार	क्षति की मात्रा	देय धनराशि (रू0 में)
(क) गन्ना	सम्पूर्ण फसल	रू0 4,000/– प्रति एकड
(ख) धान/ गेहू/ तिलहन	सम्पूर्ण फसल	रू0 3,500/– प्रति एकड
(ग) उपरोक्त को छोडकर अन्य सभी फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	रू0 2,000/– प्रति एकड

3.2 मकान की क्षति :

मकान का प्रकार	क्षति की मात्रा	देय धनराशि (रू0 में)
(क) कच्चा मकान	पूर्ण रूप से	रू0 5,000/–
(ख) कच्चा मकान	आंशिक रूप से	रू0 2,000/–
(ग) झोपडी, टटूर से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर		रू0 1,000/–

3.3 उक्त अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्न प्रक्रिया एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगाः–

(1) घटना की सूचना घटना के 24 घण्टे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी जो वन क्षेत्राधिकारी या सहायक वन्य जीव प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, को दी जानी चाहिए जिसमें यथा सम्भव क्षेत्र के प्रधान एवं किसी सम्मानित व्यक्ति को भी साथ में लिया जाना चाहिए, जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी / वन्य जीव प्रतिपालक को भेज देनी चाहिए,

(2) कृषि फसलों की आंशिक रूप से क्षति होने की दशा में हानि के प्रतिशत का आंकलन कर सम्पूर्ण क्षति हेतु प्राविधानित धनराशि के उतने प्रतिशत तक ही आर्थिक अनुग्रह सहायता देय होगी.

(3) घटना की जांच उक्त क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक/ वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा की जानी चाहिए जिसमें भूमि के स्वामित्व की पुष्टि भी कर ली जाय.

(4) जांच के वाद मुआवजा सम्बन्धी संस्तुति सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तरांचल को भेजी जानी चाहिए जो ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी होगें.

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला समस्त व्यय अनुदान संख्या–27 के लेखा शीर्षक 2406 – वानिकी तथा वन्य जीवन–01 –वानिकी –800– अन्य व्यय –09 जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या आम जनता को जान–माल के नुकसान पर क्षतिपूर्ति–20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामें डाला जायेगा.

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–71 / वित्त अनु0–2, दिनांक 26 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
(डा0 रणवीरसिंह)
सचिव

l;[;k&2212 ¼1½ x &2&2005] rnfnukfdr]

ifrfyfi% निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन,
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल देहरादून.
महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून.
मण्डलायुक्त, कुमायू मण्डल/ गढवाल मण्डल, उत्तरांचल.
समस्त, अपर प्रमुख वन सरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / निदेशक,राष्ट्रीय पार्क/ अभ्यारण्य, उत्तरांचल.
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.

स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाए उत्तरांचल, देहरादून.
निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून.
समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
प्रभारी, एन0आई0सी0 उत्तरांचल सचिवालय को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ.
गार्ड फाईल–ए

(श्यामसिंह)
अनु सचिव,

foHkkx& 27

संख्या–948 / उच्च शिक्षा / 2003

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
2– निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 18 अक्टूबर,2003

विषय– प्रदेश के बाहरी विश्वविद्यालयों /उच्च शिक्षा संस्थाआं द्वारा अध्ययन केन्द्र आदि के संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों /संस्थाओं द्वारा अध्ययन केन्द्र आदि खोलने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से सम्बन्धित इस तरह के अध्ययन केन्द्रों पर न तो कोई नियन्त्रण है और न ही कोई निगरानी की व्यवस्था है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो अध्ययन केन्द्र खोले जा रहें है वे विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों तथा संसथाओं का ही है, उनके पाठ्यक्रम आदि मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में यह भी अनिश्चितता बनी हुई है कि ऐसे कन्द्रो से अध्ययन हेतु समबद्ध होने के पश्चात प्रदेश के छात्र–छात्राओं को किसी कठिनाई का सामना तो नही करना पडेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा भी देश के बाहर के विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही भारत में कार्य करने की व्यवस्था की गई है।

2– उक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित अध्ययन केन्द्रो में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों आदि के द्वारा प्रदेश में अध्ययन केन्द्र आदि स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नकित प्रक्रिया अपनायी जानी होगी :–

(1) प्रदेश में कहीं भी प्रदेश के बाहर के किसी विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षा से सम्बन्धित किसी संस्था के द्वारा कोई भी अध्ययन केन्द्र ,शैक्षिक केन्द्र सम्पर्क केन्द्र आदि किसी भी नाम से संचालित करना प्रस्तावित हो तो ऐसा करने से पूर्व ऐसे केन्द्र चलाने वाले व्यक्ति/संस्था को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को एक निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) के अनुसार पहले ही सूचनायें उपलब्ध करानी होगी।

(2) ऐसे निर्धारित प्रारूप के द्वारा संस्था की मान्यता, पंजीकरण,पाठयक्रम ,शुल्क आदि आवश्यक सूचनाओं का विवरण प्राप्त किया जायेगा, जिसका परीक्षण शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति /संस्था को एक रसीद दी जायेगी, जिसमें एक निश्चित समय अवधि अंकित की जायेगी, ताकि वे एक निश्चित अवधि के पश्चात जिला प्रशासन से औपचारिक रूप से दिये गये सूचना के क्रम में आवश्यक सूचना/अतिरिक्त कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त कर सके।

(4) यह व्यवस्था तुरन्त प्रभावी होगी।

(5) यदि इन व्यवस्थाओं की अवहेलना करते हुए कोई अध्ययन केन्द्र आदि संचालित किया जाता है तो जिला प्रशासन द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही हेतु व्यवस्था की जायेगी।

3– वर्तमान में इस प्रकार जो भी केन्द्र आदि संचालित है, उन सबाके एक माह के भीतर प्रारूप के अनुसार सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, इसका जनपद में व्यापक प्रचार –प्रसार भी किया जाय।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय
(एन0रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–948(1)/उच्च शिक्षा/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तरांचल।
2– निदेशक प्राविधिक शिक्षा,उत्तरांचल।
3– कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वद्यिालय,श्रीनगर।
4– कुल सचिव,कुमायू विश्वविद्यालय नैनीता।
5– निदेशक सूचना विभाग, उत्तरांचल।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एन0रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव।

foHkkx&28

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–3
संख्या 425/37–3–88–216–एन.के.वी.–76
लखनउ,4 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

प0आ0–239

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या– 34 सन् 1958) की धारा–4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या– 657/37–3–216 एन0के0वी–76 दिनांक 22 जून, 1077 में निम्नलिखित संशोधन करते है :–

l'kks/ku

उपर्युक्त अधिसूचना में दी गयी सारणी में विनियमित क्षेत्र बदरीनाथ से संबंधित क्रम संख्या–8 के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉ रख दी जायेगी –

1–जिला मजिस्ट्रैट, चमोली	अध्यक्ष
2–उप प्रभागीय वन अधिकारी, बदरीनाथ उप प्रभाग चमोली–गोपेश्वर	सदस्य
3–सहयुक्त नियोजक, गढवाल संभागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश देहरादून	सदस्य
4–अधिशासी अभियन्ता, पन्द्रहवॉ वृत्त जल निगम, गोपेश्वर	सदस्य
5–अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड,गोपेश्वर	सदस्य
6–सचिव बदरीनाथ मदिर समिति	सदस्य
7–अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नोटीफाइड एरिया बदरीनाथ	सदस्य
8–उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी , स्वास्थ्य, चमोली	सदस्य

आज्ञा से
एस0डी0 बागला,
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
आवास अनुभाग– 3
संख्या–86 (6)/9–आ–3–94–9–आर0ए0/93
लखनउः दिनांक 13 मई 1994

''अधिसूचना''

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम–1958 (उत्तर प्रदेश अधनियम संख्या–34 सन् 1958) की धारा–2 के खण्ड (छः) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या–86/9–आ–3–94–9 आर0ए0/93 दिनांक 13 मई 1994 के अधीन इस रूप में घोषित विनियमित क्षेत्र गोचर जिला चमोली के सम्बन्ध में परगना अधिकारी–कर्णप्रयाग को नियत प्राधिकारी नियुक्त करते है ।

आज्ञा से,
रमेश यादव,
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
आवास अनुभाग– 3
संख्या–86 (3)/9–आ–3–94–9–आर0ए0/93
लखनउः दिनांक 13 मई 1994

''अधिसूचना''

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन)अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–34 सन् 1958) की धारा–4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या–86/9–आ–3–94–9 आर0ए0/93 दिनांक 13 मई 1994 के अधीन इस रूप में घोषित विनियमित क्षेत्र– गौचर जिला चमोली के लिए निम्नलिखित नियंत्रक प्राधिकारी का गठन करते है, जो उक्त अधिनियम के अधीन सौपे गये कृत्येां का निर्वहन करेगा ।

fu;=d izkf/kdkjh] fofu;fer {ks= &xkpj

अ– जिलाधिकारी, चमोली	अध्यक्ष
ब– राज्य सरकार द्वारा नामित–	
(1)अध्यक्ष जिला परिषद, चमोली	सदस्य
(2)अध्यक्ष टाउन एरिया कमेटी, गोचर	सदस्य
(3)सहयुक्त नियोजक गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून	सदस्य
(4)अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 गोचर	सदस्य
(5)अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम,गोपेश्वर	सदस्य
(6)अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड,गोपेश्वर	सदस्य

आज्ञा से,
रमेश यादव,
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
आवास अनुभाग– 3
संख्या–86 /9–आ–3–94–9–आर0ए0/93
लखनउः दिनांक 13 मई 1994

''अधिसूचना''

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जिला चमोली में निम्नलिखित क्षेत्र की भूमि के अत्यवस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेषों की बढोतरी को रोकने के लिए तथा समुचित योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958)उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–34 सन् 1958 के अधीन विनियमित करना अपेक्षित है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप धारा–(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित करते है :–

^^fofu;fer {k=&xkpj^^

तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली के अर्न्तगत टाउन एरिया गोचर का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसकी सीमा निम्नानुसार है :–

उत्तर– प्लाट नं0–1,2 व 8 रावल नगर तल्ला ।

दक्षित– प्लाट नं0–716, 775, 776, 790, ग्राम पनाई मल्ली ।

पूर्व– प्लाट नं0–241, 257 ग्राम धारी लगा पनाई ।

पश्चिम– प्लाट नं0–133, 134 ग्राम सैल ।

आज्ञा से,
रमेश यादव
सचिव

foHkkx& 29

संख्या–480 / कार्मिक–2 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 04 अप्रैल,2003

विषयः– सेवा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा विभिन्न सेवा संबंधी मामलों में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें छायर की जाती है जिन पर प्रभावी पैरवी न होने के कारण सेवा संबंधी मामलों में विभिन्न प्रकार की पेचीदगियां उत्पन्न होती हैं और इससे सरकारी सेवकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में राज्य गठन से पूर्व की मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिकायें, मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल को स्थानान्तरित हो गयी हैं, परन्तु अभी तक अनेक रिट याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उसकी लखनऊ पीठ में लम्बित रिट याचिकाओं के अभिलेख उ0प्र0 शासन से प्राप्त नहीं किये गये हैं जिसके कारण लम्बित रिट याचिका के तथ्य तथा प्रति शपथ–पत्र दाखिल होने की पूर्ण सूचना संबंधित विभागों में नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे प्रकरणों में अग्रेत्तर निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

2– उपरोक्त वर्णित स्थिति में सेवा संबंधी मामलों की लम्बित रिट याचिकाओं में प्रभावी पैरवी और उसकी त्रैमासिक समीक्षा किये जाने हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः–

(1) रिट याचिका की प्रति प्राप्त होने पर उसकी प्रस्तरवार टिप्पणी तैयार करके प्रतिशपथ पत्र यथाशीघ्र लगाया जाये।

(2) जिन मामलों में रिट याचिका में अन्तरिम आदेश हुए हैं उनमें रिट याचिका की प्रति शीघ्रता से प्राप्त करके प्रस्तरवार टिप्पणी तैयार करके तत्काल प्रतिशपथ पत्र लगाया जावे तथा अन्तरिम आदेश निष्प्रभावी कराये जाने का प्रार्थना पत्र भी साथ–साथ दाखिल किया जावे।

(3) अन्तरिम आदेश प्राप्त होने पर उसका तत्पराता से परीक्षण किया जावे। प्रकरण के तथ्यों के आलोक में यदि अन्तरिम आदेश का कार्यान्वयन किया जाना प्रशासनिक रूप से उपयुक्त हो तो उसके कार्यान्वयन की कार्यवाही तत्काल की जावे और यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तरिम आदेश का कार्यान्वयन किया जना उपयुक्त न हो तब उसके विरूद्ध विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने के लिये निर्धारित समयावधि के अन्दर मत स्थिर करके अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(4) जो रिट याचिकाएं प्रतिशपथ पत्र लगाने के बाद भी पर्याप्त समय से अनिस्तारित लम्बित चल रही हैं उनमें त्वरित निस्तारण (एक्सपेडाइट) हेतु प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय में लगाया जावे।

(5) एक प्रकार के तथ्यों पर आधारित रिट याचिकाओं को एक साथ सुनकर निस्तारित किये जाने हेतु संबंधित रिट याचिकाओं में प्रार्थना पत्र लगाये जावें।

(6) लम्बित रिट याचिका प्रतिवाद स्वरूप शासन की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र तथा प्रकरण से संबधित पत्रावली की छायाप्रति अथवा पत्रावली, जैसी स्थिति हो, प्राप्त करके प्रशासकीय विभाग द्वारा संदर्भित के लिए सुरक्षित रख जाये।

(7) लम्बित रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश की प्रति संकलित की जाये तथा उसके अनुपालन की स्थिति अथवा उसके विरूद्ध विशेष अपील/अनुज्ञा याचिका दाखिल होने की स्थिति व तत्संबंधी अभिलेख संकलित किये जायें।

(8) अन्तरिम आदेशों का उपरोक्तानुसार परीक्षण करके अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(9) जो रिट याचिकायें केवल इस राज्य के सरकारी सेवक से संबंधित हैं उनके मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल को हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रार्थना पत्र लगाया जाये। जिन मामलों में दोनों राज्यों के सरकारी सेवकों के मामले हो वहां रिट याचिका में पक्षकार बनाये जाने व शासन का पक्ष रखने के लिये प्रतिशपथ पत्र लगाये जाये।

(10) उत्तरांचल शासन के विभागों/कार्यालयों में व्यहरित हो रहे प्रकरणों में लम्बित रिट याचिकाओं के तथ्योंका संज्ञान लेकर ही अग्रेत्तर उपयुक्त निर्णय लिये जावें। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आये हैं जिनमें लम्बित रिट याचिकाओं का ज्ञान न होने के कारण अवांछित अग्रेत्तर कार्यवाही की गई और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या 505/XXX (2)/2004

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण,
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09, जून,2004

विषय– सेवा सम्बन्धी मामलों में उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी किया जाना।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित सेवा संबंधी रिट याचिकाओं पर प्रभावी कार्यवाही व पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1874/कार्मिक–2/2002 दिनांकः 22,जनवरी, 2003 तथा शासनादेश संख्या 480/कार्मिक–2/2003 दिनांकः 04,अप्रैल, 2003 द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभागों में उक्त शासनादेशों में इंगित व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु यह देखने में यह आ रहा है कि मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से प्रतिवाद करने के लिए प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने में अभी भी अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है, जिसके कारण रिट याचिका में शासन का पक्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ऐससी रिट याचिकाएं जिनमें शासन स्तर से ही याची को अनुतोष प्राप्त हो सकता है उन मामलों में भी रिट याचिकाओं पर प्रतिशपथ पत्र लगाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को रिट याचिकाएं भेज दी जाती हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि रिट याचिकाओं में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्या प्रतिशपथ पत्र लगाया गया, फलस्वरूप प्रायः शासन को रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है और रिट याचिका में पारित आदेश का प्रतिकार करने के लिए विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं रह जाता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। शासन के विभागों द्वारा इस प्रवृत्ति को तत्काल रोका जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मूझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लिन रिट याचिकाओं में शासन स्तर से ही अनुतोष प्राप्त होना है उन रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र शासन स्तर पर अनुमोदित होने के बाद ही न्यायालय में दाखिल कराया जाय। शासन में अनुमोदन के समय यह अवश्य देख लिया जाय कि प्रतिशपथ पत्र में रिट याचिका का प्रतिवाद सम्यक रूप से किया है।

रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेशों के शासन में प्राप्त होने पर लम्बे समय तक न तो उनका परीक्षण होता है और न ही अनुपालन के सम्बंध में कोई कार्यवाही होती है, जिसके कारण अवमाना याचिका शासन के उच्चस्तरीय अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालयों में चलती रहती है। अन्तरिम आदेश प्राप्त होने पर विशेष प्रयास करके रिट याचिका की प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता से प्राप्त कर उसमें उपयुक्त शपथ पत्र लगाने की कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही मामले के तथ्यों के आलोक में पारित अन्तरिम ओदश का परीक्षण होना चाहिए कि उसका क्रियान्वयन उचित है अथवा नहीं। क्रियान्वयन उचित न पाये जाने पर अन्तरिम आदेश के विरूद्ध विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका समय से दाखिल करने के लिए तत्परता से कार्यवाही

होनी चाहिए, ताकि अवमानना की स्थिति उत्नप्प न हो।

अन्तरिम आदेशों के कार्यान्वयन अथवा उसके विरूद्ध प्रतिवाद, विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका दायर न करने पर अन्तरिम आदेश का पालन बाध्यकारी हो जाता है और शासन के समक्ष उनके अनुपालन को लेकर अवांछित स्थिति उत्पन्न होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में अन्तरिम आदेशों का परीक्षण समय से न करने और उपयुक्त कार्यवाही समय से न करने पर उत्पन्न हुयी स्थिति की समीक्षा/विभागीय स्तर पर की जाय और उत्पन्न स्थिति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 663 / XXXI (2)(जी) / 2004

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तरांचल शासन।
1—समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
2—समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रश्शसन विभाग देहरादूनः दिनांकः 4, अक्टुबर, 2004

विषयः— मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में उत्तरांचल सरकार की ओर से प्रति शपथ—पत्र योजित किये जाने हेतु उप सचिव स्तर (वेतनमान—12000—16500) के अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2004 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने पत्र दिनांक 24—12—2003 में निर्देश दिये गये हैं कि मा0 उच्च न्यायालय नेनीताल में सरकार की ओर से प्रति शपथ—पत्र योजित किये जाने हेतु उप सचिव स्तर (वेतनमान—12000—16500) के अधिकारी को प्राधिकृत कर दिया जाय और इससे निम्न स्तर का अधिकारी प्राधिकृत न किया जाय।

2— अतः निबन्धक / मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्रों की ओर आपका घ्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागों / कार्यालयों में मा0 उच्च न्यायालय में दायर एवं लम्बित वादों के संबंध में सरकार की ओर से प्रति शपथ—पत्र योजित किये जाने हेतु अपने विभाग से तत्काल उप सचिव स्तर (वेतनमान—12000—16500) के अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए उसकी सूचना सीधे मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नैनीताल को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोक्त

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्याः 101–एक(6)/छत्तीस–1/न्या.अनु./2004

प्रेषक,

यू0सी0ध्यानी,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त जिलाधिकारी।

न्याय अनुभाग देहरादून दिनांक : 12 अक्टुबर, 2004

विषय– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिपशपथ पत्र (Counter Affidavit) के लिए प्रस्तरवार आख्या (Parawise Narrative) तैयार किया जाना।

महोदय,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विभिन्न याचिकाओं/अपीलों में मा. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु विभागों द्वारा जो प्रस्तरवार आख्या तैयार की जाती है, वह स्पष्ट नहीं होती है। प्रस्तरवार आख्या के आधार पर ही प्रतिशपथ पत्र तैयार किया जाता है। प्रायः देखा गया है कि विभिन्न विभाग पूर्ण सूचना अथवा प्रभावी उत्तर नहीं देते हैं। कई मामलों में जब रिट याचिकाओं के किसी पैरा में शासन अथवा उसके अधिकारियों पर गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं, तब प्रस्तरवार आख्या में उनका उत्तर ''कोठ टिप्पणी नहीं/कुछ नहीं कहना'' इत्यादि उल्लिखित कर दिया जाता है। प्रतिशपथ पत्र के साथ जो सुसंगत अभिलेख संलग्न करते आवश्यक आधार पर जब प्रतिशपथ पत्र तैयार किया जाता है तब रिट याचिका प्रायः शासन के विरूद्ध निर्णीत होती है।

2– कई मामलों मे जब रिट याचिकाओं के कई प्रस्तरों का प्रभावी ढंग से विरोध करना चाहिए तब यह देखा जाता है कि प्रस्तरवार आख्या में उन्हें स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में शासन के अधिवक्तागण को प्रस्तरवार आख्या को अतिरिक्त सूचना के लिए वापस करते हुए सम्बन्धित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध करना पड़ता है ताकि सहि प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने में महत्वपूर्ण समय नष्ट होता है तथा अनावश्यक विलम्ब हो जाता है, परिणामस्वरूप शासन के विरूद्ध पारित अन्तरिम आदेश विस्तारित होते रहते हैं और रिट याचिका के निस्तारण में विलम्ब हो जाता है जिससे शासन के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3– इस सम्बन्ध मे मुख्य स्थायी अधिवक्ता से प्राप्त पत्र दिनांकः 29.9.2004 की छायाप्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तरवार आख्या में रिट याचिका के प्रत्येक पैरा का स्पष्ट, पूर्ण एवं प्रभावी उत्तर दिया जाना चाहिए। नये तथ्यों का विशेष रूप से वर्णन करना चाहिए। वह सब बाते उठानी चाहिए जिनसे यह दर्शित होता हो कि रिट याचिका/अपील विधि की दृष्टि से शून्य या शून्यकरणीय है और प्रतिरक्षा के सभी आधार लिये जाने चाहिए।

4– रिट याचिका के कई प्रस्तरों का साधारण खण्डन करना पर्याप्त नहीं

होगा अपितु यह आवश्यक है कि तथ्य सम्बन्धी प्रत्येक बिन्दु का विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया जाता है तब याचिका के सम्बन्धित प्रस्तर को मा0 न्यायालय द्वारा सत्य समझा जा सकता है। प्रतिशपथ पत्र राज्य सरकार की ओर से किये गये अन्य अभिवचन राज्य की ओर से की जाने वाली बहस का मुख्य आधार होते हैं।

5— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिशपथ पत्र तैयार किये जाने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता का प्रेषित की जाने वाली प्रस्तरवार आख्या सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को अवलोकित कराई जानी चाहिए। प्रस्तरवार आख्या के साथ मामले से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख भी संलग्न किये जाने चाहिए ताकि मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष सही एवं प्रभावी ढंग से रखा जा सके।

संलग्न—यथा उपर्युक्त।

भवदीय,

(यू0सी0ध्यानी)
सचिव ।

संख्याः 101—एक(6)/छत्तीस—1/न्या.अनु./2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र दिनांकः 29.09.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0डी0पालीवाल)
अपर सचिव ।

प्राथमिकता/न्यायालय प्रकरण
संख्याः 176–एक(1)/छत्तीस–1/न्याय अनुभाग/2005

प्रेषक,

यू0सी0ध्यानी,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

न्याय अनुभाग देहरादून : दिनांक : 5 मई, 2005

विषयः– मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासन के विरूद्ध दायर मामलों में नियत समय में प्रतिपशपथ पत्र दाखिल किया जाना।

महोदय,

महाधिवक्ता, उत्तरांचल के पत्र दिनांक 21–4–2005 एवं मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या–385/मु0स0/2005, दिनांकः 25–4–2005 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर अप्रसन्नता व्यक्त की है कि उत्तरांचल राज्य तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों के विरूद्ध रिट याचिकाओं में नियत अवधि के भीतर प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जाता है, अतः मा0 न्यायालय ऐसे विभाग के विरूद्ध गम्भीर कार्यवाही करेगी। इस सम्बन्ध में महाधिवक्ता महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में अनुज्ञात समय के भीतर मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिए जाएंगे।

2– उक्त के परिपेक्ष्य में प्रत्येक विभाग रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र लगाए जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम व अन्तिम आदेशों के पालन अथवा उनके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका नाम/पदनाम/दूरभाष संख्या आदि की सूचना न्याय विभाग एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

3– उक्त के साथ ही अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि भविष्य में अनुज्ञात समय के भीतर प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित किया जाय। ऐसे मामलों की सूचना संकलित की जाय कि कितने मामलों में प्रतिशपथ पत्र देना शेष है और प्रति सप्ताह ऐसे मामलों की समीक्षा भी की जाय।

4– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

संख्याः 176–एक(1)/छत्तीस–1/न्याय अनुभाग/2005,तद्दिनाक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाधिवक्ता, उत्तरांचल, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
2– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तरांचल, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय

परिसर, नैनीताल।

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

संख्याः 190–एक(1)/छत्तीस (एक)/न्या. अनु./2005

प्रेषक,

यू0सी0ध्यानी,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

न्याय अनुभाग : देहरादून : दिनांक : 4 जून, 2005

विषयः शासन के विरूद्ध योजित रिट याचिकाओं में प्रतिवाद आदेश निर्गत किया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों के विरूद्ध बड़ी संख्या में रिट याचिकायें एवं अपीलें मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित हो रही है जिनमें प्रतिवाद के आदेश अपेक्षित होते है। इस प्रकार के प्रकरणों में विधि परामर्शी निर्देशिका के प्राविधानों के अनुरूप मुख्य स्थायी अधिवक्ता के स्तर पर स्थगनादेश का विरोध किया जाना अनिवार्य है।

2. विचारोपरान्त तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुये और प्रकरणों में त्वरित सुनवाई को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासन अथवा उसक अधीनस्थ किसी विभाग/अधिकारी के विरूद्ध योजित रिट याचिकाओं /अपीलों में प्रतिवाद करने और आदेश निर्गत करने हेतु शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है परन्तु इस प्रकार के आदेशों को पारित करने के उपरान्त प्रशासकीय विभाग के माध्यम से न्याय विभाग को मासिक संकलित सूचना उपलब्ध कराते हुये कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जिन प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिवाद न किये जाने का विनिश्चय किया जाय, उन प्रकरणों को विधि परामर्शी निदेशिका के प्राविधानों के अनुरूप परामर्श हेतु प्रशासकीय विभाग न्याया विभाग को सम्प्रेषित करेंगे।

3. शासन अथवा उसके अधीनस्थ किसी विभाग/अधिकारी की ओर से मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका/अपील दायर किये जाने, किसी अन्य मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका/अपील दायर करने, उसका प्रतिवाद करने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद करने अथवा संस्थित करने हेतु न्याय विभाग की पूर्व अनुमति की भांति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4. अतः मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय में लम्बित विधिक कार्यवाहियों में प्रतिवाद आदेश में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिये अपने स्तर से उक्त व्यवस्था के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(यू0सी0ध्यानी)
सचिव

संख्याः 190–एक(1)/छत्तीस(एक)/न्या. अनु./2005तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाधिवक्ता, उततरांचल, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

3– समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।

4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5– एन0 आई0 सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव

संख्याः 88–एक(2)/छत्तीस (1)/न्याय विभाग/2005

प्रेषक,

यू0सी0ध्यानी,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2– समस्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
4– निदेशक
स्थानीय निकाय, उत्तरांचल।
5– निदेशक,
पंचायती राज, उत्तरांचल।
6– निबन्धक,
सहकारी सिमति, उततरांचल।

न्याय अनुभाग। देहरादून, दिनांक : 2 दिसम्बर,, 2005

विषयः– सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया AIR 2005 SPREME COURT 3353 नामक मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन।

महोदय,

शासन, विभिन्न विभागों के विरूद्ध, शासन के अधीनस्थ अधिकारियों के विरूद्ध उनकी पदीय हैसियत में एवं स्थानीय प्राधिकारियों (local authorities) के विरूद्ध जिला न्यायालयों में प्रायः सिविल वाद दायर होते हैं। कई सिविल वादों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अनुसार वादी को वाद दायर करने से पूर्व दो मास की सूचना (notice) देनी होती है, इसी प्रकार विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व नोटिस दिए जाने की व्यवस्था है। इस उपबन्ध का आशय यह है कि वादी से नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अध्ययन कर यदि सम्भव हो तो तुरन्त उसका समाधान किया जायेगा ओर इस प्रकार राज्य के विरूद्ध अनावश्यक रूप से वाद दायर नहीं होंगे। नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर यदि वादी वाद दायर करना आवश्यक ही समझता है तो वादी को सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी भी हो जायेगी और वह अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख वाद पत्र में नहीं करेगा।

2– प्रायः यह देखा गया है कि नोटिस मिलने के उपरान्त सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती और न ही नोटिस का उत्तर प्रेषक को भेजा जाता है, जिस कारण उसे मजबूरी में राज्य एवं उसके प्राधिकारियों के विरूद्ध वाद दायर करना पड़ता है। फलस्वरूप वाद लम्बित रहने के दौरान शासन के समय, श्रम एवं धन की बरबादी होती है और वादी को भी न्याय प्राप्त होने में लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

3– उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय ने सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडू प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया AIR 2005 SPREME COURT 3353 नामक मामले में दिनांकः 2/8/2005 को पारित निर्णय के पैरा–40, 41 एवं 75 में इस सम्बन्ध में अग्रलिखित आदेश पारित किए हैंः–

"Section 80

40. Section 80(1) of the code requires prior notice of two months to be served on

the Government as a condition for filing a suit except when there is urgency for interim order in which case the court may not insist on the rigid rule of

prior notice. The two month's period has been provided for so that the government shall examine the claim put up in the notice and has sufficient time to send a suitable reply. The underlying object is to curtail the litigation. The object also is to curtail the area of dispute and controversy. Similar provisions also exist in various other legislations as well. Wherever the statutory provision requires service of notice as a condition precedent for filing of suit and prescribed period therefore, it is not only necessary for the Governments or departments or other statutory bodies to send a reply to such a notice but it is further necessary to properly deal with all material points and issues raised in the notice. The Governments, government departments or statutory authorities are defendants in large number of suits pending in various courts on the country. Judicial notice is not replied or in few cases where reply is sent, it is generally vague and evasive. The result is that the object underlying. Section 80 of the Code and similar provisions gets defeated. It not only gives rise to avoidable litigation but also results in heavy expense and cost to the exchequer as well. Proper reply can result in reduction of litigation between State and the citizens. On case proper reply is sent either the claim in the notice may be admitted or area of controversy curtailed or the citizen may be satisfied on knowing the stand of the state. There is no accountability in the Government. Central or State or the statutory authorities in violating the spirit and object of section 80.

41- These provisions cast an implied duty on all concerned Governments and states and statutory authorities to send appropriate reply to such notices. Having regard to the existing state of affairs, we direct all concerned Governments, Central or State or other authorities, wherever any statute requires service of notice as a condition precedent for filing of suit or other proceedings against it, to nominate, within a period of three months, an officer who shall be made responsible to ensure that replies to notices under Section 80 or similar provisions are sent within the period stipulated in a particular legislation. The replies shall be sent after due application of mind. Despite such nomination, if the Court finds that either the notice has been sent without proper application of mind, the court shall ordinarily award heavy coat against the Government and direct it to take appropriate action against the concerned Officer including recovery of costs from him.

75. A copy of this Judgment shall be sent to all the High Courts through Regstrar Generals, Central Government through Cabinet Chief Secetaries and State Government/ Union Territories through Chief Secetaries so that expeditious Follow up action can be taken by all cocerned . The Regstrar Generals, Central Government and State/Union Territories shall file the progree report in regard to action taken eithin a period of four months"

4– उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में शासन, विभागाध्यक्ष, जिला एवं तहसील स्तर पर यथास्थिति प्रत्येक स्तर हेतु विभिन्न विभागों एवं प्राधिकारियों द्वारा तुरन्त एक अधिकारी नामित किया जाना है, जो धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त होने पर यदि नोटिस में उठाए गए बिन्दुओं का समाधान विधिक रूप से सम्भव हो तो तत्काल समाधान करेगा एवं नोटिस का उत्तर मस्तिष्क का सम्यक प्रयोग करने के उपरान्त (after due application of mind)

नोटिस प्रेषित करने वाले को भेजेगा। नोटिस का उत्तर बाग्छलपूर्ण (evasive) एवं अस्पष्ट (vague) नहीं होना चाहिए। ऐसरा न किए जाने पर न्यायालय द्वारा सरकार के विरूद्ध भारी खर्चा (heavy cost) डाला जायेगा और उक्त नामित अधिकारी के

विरूद्ध कार्यवाही किए जाने एवं खर्चे की राशि वसूल किए जाने के निर्देश दिए जायेंगे।

5– अतः अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक स्तर हेतु एक–एक अधिकारी तत्काल नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय
(यू0सी0ध्यानी)
सचिव।

संख्याः 88–एक(2)/छत्तीस (1)/न्याय विभाग/2005

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2– महानिबन्धक, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।

आज्ञा से
(आर0डी0 पालीवाल)

स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव

पत्रांक 245/एस.ओ. मुख्य सचिव/2005 देहरादून : दिनांक 30,जून,2005

समस्त प्रमुख्य सचिव/सचिवगण,
उत्तरांचल शासन।

मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक 385/मु0स0–2005 दिनांकः 25.4.2005 से आपको अवगत कराया गया था कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा बिलम्ब से प्रतिशपथ पत्र लगाने को गम्भीरता से लिया गया है और यह निर्देश भी किये गये हैं कि प्रतिशपथ पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत न लगाये जाने पर संबंधित अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। उक्त पत्र में आपको यह भी कहा गया था कि कार्मिक विभाग द्वारा रिट याचिकाओं का विवरण रखने के संबंध में निर्धारित प्रारूप पत्र पर रिटों का विवरण रखने की कार्यवाही भी विभागों से सुनिश्चित करायें। परन्तु देखने में यह आ रहा है कि इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। विभागीय स्तर पर शपथ पत्रों को समय से न लगाये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सरकार पक्ष पर तथा सरकार के प्राधिकारियों पर 10 हजार रू0 तक का अर्थदण्ड कई मामलों में लगाया है। मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव व सचिव को प्रतिशपथ पत्र निर्धारित अवधि में न लगाये जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित हो करके स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेश दिये हैं। मुख्य सचिव द्वारा इस स्थिति पर खेद व्यक्त किया गया है और अपेक्षा की गयी है कि रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने की स्थिति की समीक्षा व्यक्तिगत रूप से तत्काल सुनिश्चित कर लें। प्रतिशपथ पत्र विलम्ब से लगाया जाना अपने आप में खेद–जनक स्थिति है जब तक कि विलम्ब के लिए समुचित कारण न हों और मा0 उच्च न्यायालय से प्रतिशपथ पत्र लगाने के लिए अतिरिक्त समय न प्राप्त कर लिया गया हो। मुख्य सचिव द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि आप यह देख लें कि जिन–जिन मामलों में यह स्थिति उत्पन्न हुयी है उनमें इस स्थिति के उत्पन्न होने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है। संबंधित मामले में शपथ पत्र लगा दिया गया है अथवा नहीं। शपथ पत्र समय से न लगाये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय से अतिरिक्त समय प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं। इस संबंध में आप अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक विभाग के संबंध में पृथक –पृथक प्रास्थिति रिपोर्ट मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ 3 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों अथवा अन्तिम आदेशों का यदि अनुपालन किया जाना उपयुक्त न पाया जाय तब उसके विरूद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका जैसी स्थिति हो दाखिल कर जी जानी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश/अन्तिम आदेश को चुनौती नहीं दी जानी है तब अनुपालन समय से सुनिश्चित कर लिया जाय जिससे अवमानना वाद सृजित होने की स्थिति न बने। मुख्य सचिव द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि आप यह देखें कि जिन मामलों में अन्तरिम आदेश पारित हुए हैं। उनमें अन्तरिम आदेशों के अनुपालन अथवा चुनौती दिये जाने के लिए कार्यवाही समय से कर ली गयी है अथवा नहीं। यदि विलम्ब हुआ है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है इस प्रकार यदि अनुपालन किया जाना था और अनुपालन निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया गया तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है इसकी समीक्षा करके प्रत्येक विभाग के मामलों पर पृथक–पृथक प्रास्थिति रिपोर्ट मुख्य सचिव महोदय को 5 दिन में उपलब्ध कराया जाय।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह इंगित किया है कि इधर लगातार ऐसी स्थितियां सामने आयी हैं जिससे यह प्रकट होता है कि विभागों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वादों की पैरवी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं बनायी गयी है और अचानक अवांछित स्थिति सामने आने पर विभाग में मामले को देखा जाता है। मुख्य सचिव द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि रिट याचिकाओं की पैरवी की एक नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल करना, अन्तरिम आदेश अथवा अन्तिम आदेशों को चुनौती देने अथवा

अनुपालन करने जैसी भी स्थिति हो के लिए सभी कार्यवाहियां समय से सुनिश्चित करके मुख्य स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय को समय से अवगत करा दिया जाय जिससे उपरोक्त प्रकार की अवांछित परिस्थितियां उत्पन्न न हों।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के सज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव

संख्या–15 मु0स0 / 18(1) / 2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनांक : 12 जुलाई, 2005

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्टॉफ आफिसर–मुख्य सचिव के पत्र संख्या–245 / एस0ओ0 मुख्य सचिव / 2005 दिनांकः 30 जून, 2005 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के क्रम में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूं मण्डल, उत्तरांचल।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।